मेन्स
आंसर राइटिंग
(Consolidation)

जून
2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 **3**

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 5
- भूगोल 8
- संस्कृति 18

सामान्य अध्ययन पेपर-2 **20**

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 20
- राजव्यवस्था 22
- सामाजिक न्याय 27

सामान्य अध्ययन पेपर-3 **33**

- अर्थव्यवस्था 33
- आपदा प्रबंधन 40
- पर्यावरण 43
- विज्ञान-प्रौद्योगिकी 44

सामान्य अध्ययन पेपर-4 **47**

- केस स्टडी 47

निबंध **62**

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारतीय शासन पर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का व्यापक और स्थायी प्रभाव है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **मौर्य साम्राज्य की समयावधि का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्त्व बताइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

मौर्य साम्राज्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, का प्रशासनिक ढाँचा अत्यधिक संगठित और कुशल था, जिसने भारतीय शासन पर अमिट छाप छोड़ी।

मुख्य भाग:

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्त्व:

- **मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन:** मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें राजा सर्वोच्च नेता होता था, उसकी सहायता के लिये 'मंत्रिपरिषद' (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समान) होती थी।
- **प्रांतीय प्रशासन:** साम्राज्य को उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि जैसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक को राजधानी शहर (Capital City) के नाम से जाना जाता था। (राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समान)
  - प्रांतों को ज़िलों (आहार, जनपद) में विभाजित किया गया, जो राजुकों (Rajukas) द्वारा युक्तों के साथ प्रशासित थे। (ज़िलों के समान)
  - ज़िलों में ग्राम प्रमुखों और कानून एवं व्यवस्था के लिये शहर के अधीक्षकों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले गाँव शामिल थे। (पंचायतों, नगर निकायों के समान)
- **सैन्य प्रशासन:** मौर्यों ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ और नौसेना डिवीज़नों के साथ एक विशाल, अच्छी तरह से सुसज्जित पेशेवर सेना का निर्माण किया। (भारतीय सशस्त्र बलों के समान)
  - सेनापति सेना का समग्र कमांडर-इन-चीफ था। (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान)
- **आर्थिक प्रशासन:** सम्हर्ता (Samharta) मुख्य राजस्व संग्रहकर्त्ता था और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था।
  - भूमि, सीमा शुल्क, सिंचाई, खदान आदि जैसे विभिन्न स्रोतों पर कर लगाया जाता था (वर्तमान कर प्रणाली के समान)
- **जासूसी (Espionage) प्रणाली:** उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिये एक विस्तृत जासूसी प्रणाली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
  - विशेष अधिकारी, जिन्हें "गुढपुरुष" या सीक्रेट एजेंट के रूप में जाना जाता था, जो अधिकारियों और आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये नियुक्त किये जाते थे।
  - R&AW विंग की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है।

निष्कर्ष:

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना ने भारतीय शासन और प्रशासन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो बाद के साम्राज्यों तथा राज्यों के लिये एक खाका के रूप में कार्य करती है। इसकी विरासत आधुनिक भारत में गूँजती रहती है, जो देश के शासन दर्शन (Governance Philosophy) और प्रथाओं को आकार देती है।

प्रश्न : क्या वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह महज एक सैन्य विद्रोह था या यह औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक एवं राजनीतिक चिंताओं का परिचायक था? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह तथा सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **इस विद्रोह के प्रमुख प्रेरक कारकों पर प्रकाश डालिये।**
- **उचित निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह (जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है) उस अवधि के दौरान औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चिंताओं का परिचायक था।

- निस्संदेह भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम वेतन के साथ सीमित पदोन्नति के अवसरों जैसी सैन्य शिकायतों ने इसके प्रेरक के रूप में कार्य किया। हालाँकि यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था।

मुख्य भाग:

प्रमुख प्रेरक कारक:

- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:**
  - **रीति-रिवाज़ों में ब्रिटिश हस्तक्षेप:** सती प्रथा के उन्मूलन एवं बाल विवाह पर रोक लगाने की नीति जैसे सुधारों की शुरुआत को पारंपरिक सामाजिक रीति-रिवाज़ों तथा मूल्यों पर प्रहार माना गया।
- **सांस्कृतिक अधीनता का डर:** भारतीय सिपाहियों (सैनिकों) और नागरिकों को ईसाई मूल्यों को लागू करने तथा धार्मिक पहचान के लिये संभावित खतरे के बारे में चिंता थी।
- **कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग:** अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नए कारतूस गाय तथा सुअर की चर्बी से बने थे, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची और व्यापक आक्रोश हुआ।
- **राजनीतिक कारक:**
  - **भारतीय कुलीन वर्ग की शक्ति और विशेषाधिकारों का क्षरण:** विलय की ब्रिटिश नीतियों (जैसे कि व्यपगत का सिद्धांत और सहायक संधि प्रणाली) से भारतीय शासकों एवं कुलीन वर्ग की शक्ति तथा विशेषाधिकारों पर प्रहार हुआ, जिससे उनका असंतोष बढ़ गया था। (उदाहरण के लिये सतारा (1848 ई.), बघाट (1850 ई.) एवं झाँसी (1853 ई.) का विलय किया गया था।
  - **ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियाँ:** कंपनी के आक्रामक क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप को भारतीय शासकों की संप्रभुता एवं स्वायत्तता के लिये खतरा माना जाता था।
- **आर्थिक कारक:**
  - **आर्थिक शोषण:** ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण की नीतियों (जैसे भारत से संसाधनों एवं धन को ब्रिटेन ले जाना) से भारतीय लोगों में व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ।
  - **कारीगरों एवं बुनकरों की दयनीय स्थिति:** ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति तथा पारंपरिक भारतीय उद्योगों (जैसे वस्त्र उद्योग) के पतन से कारीगरों एवं बुनकरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

निष्कर्ष:

हालाँकि इस विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था लेकिन इससे ब्रिटिश नीतियों में प्रमुख बदलाव आया जिसके परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। सिपाही विद्रोह की विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई।

प्रश्न : गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को मज़बूत एवं समृद्ध बनाने में अनेक वर्गों ने योगदान दिया था। विस्तार से चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन की विशेषताओं को बताते हुए परिचय लिखिये।**
- **राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण को दृढ़ करने वाली विभिन्न आवाज़ों पर प्रकाश डालिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों को संगठित किया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण के दौरान, कई महत्त्वपूर्ण लोगों ने इसे मज़बूत बनाने और समृद्ध बनाने में योगदान दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिये विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए।

मुख्य भाग:

यहाँ कुछ प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं:

- **जवाहरलाल नेहरू:**
  - जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और औद्योगिक भारत का दृष्टिकोण गांधी के पारंपरिक तथा ग्रामीण-केंद्रित दृष्टिकोण का पूरक था।
  - भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के लिये भारतीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - नेहरू के भाषणों और लेखों ने कई लोगों, मूलतः युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरित किया।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल:**
  - "भारत के लौह पुरुष" के रूप में पहचाने जाने वाले पटेल ने गुजरात में किसानों को संगठित करने और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - उन्होंने कॉन्ग्रेस पार्टी और आंदोलन के प्रशासनिक तथा संगठनात्मक पहलुओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **सुभाष चंद्र बोस:**
  - बोस का दृष्टिकोण गांधी के अहिंसक तरीकों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी था। उन्होंने पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता का समर्थन किया, इसके अतिरिक्त वे, यदि आवश्यक हो तो सैन्य बल का उपयोग करने के लिये भी तैयार थे।

- भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के उनके गठन और धुरी शक्तियों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण आयाम जोड़ा।

- **महिला नेतृत्वकर्त्ता:**
  - सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाएँ महत्त्वपूर्ण शख्सियतों के रूप में उभरीं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया तथा महिला भागीदारी को संगठित किया।
  - महिलाओं के समावेश ने एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया और आंदोलन की समावेशी प्रकृति को उजागर किया।
- **क्रांतिकारी आंदोलन:**
  - गांधीवादी आंदोलन के समानांतर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे क्रांतिकारी समूहों ने अधिक उग्रवादी रणनीति अपनाई।
  - उनके कार्यों और बलिदानों ने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा तथा कई युवा भारतीयों को प्रेरित किया।
- **क्षेत्रीय नेतृत्वकर्त्ता:**
  - दक्षिण में सी. राजगोपालाचारी, उत्तर-पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खान (सीमांत गांधी) और कई अन्य नेताओं के शामिल होने से आंदोलन में क्षेत्रीय विविधता आई।
  - उन्होंने स्थानीय आबादी को संगठित करने और राष्ट्रीय संघर्ष के व्यापक ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में सहायता की।
- **समाज सुधारक और विचारक:**
  - बी.आर. अंबेडकर जैसे लोगों ने गांधी के तरीकों के कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन सामाजिक न्याय और हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर चर्चा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - उनके कार्यों से यह सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से सामाजिक असमानता एवं न्याय के मुद्दों का समाधान हो सके।

निष्कर्ष:

इन विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों ने सामूहिक रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को समृद्ध किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह सिर्फ स्वतंत्रता के लिये एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण समाज के लिये एक सामाजिक क्रांति भी थी। विभिन्न विचारधाराओं, रणनीतियों और नेतृत्व शैलियों के परस्पर प्रभाव ने अंततः गांधीवादी चरण के दौरान आंदोलन की व्यापक एवं गतिशील प्रकृति में योगदान दिया।

भारतीय समाज

प्रश्न : भारतीय समाज पर गाँवों से शहरों की ओर होने वाले प्रवासन के प्रभाव पर प्रकाश डालिये। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **ग्रामीण-शहरी प्रवास के प्रेरक कारकों का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **भारतीय समाज पर ग्रामीण-शहरी प्रवास के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।**
- **शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।**
- **आगे की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

ग्रामीण-शहरी प्रवास एक जनसाँख्यिकीय घटना है, जो दशकों से भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रही है। गरीबी, रोज़गार के अवसरों की कमी और बेहतर जीवन स्तर की चाहत जैसे कारकों से प्रेरित होकर, लाखों लोग अपने ग्रामीण घरों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जीवनयापन की तलाश में आ गए हैं।

मुख्य भाग:

भारतीय समाज पर ग्रामीण-शहरी प्रवास का प्रभाव:

- **शहरीकरण और शहरी प्रसार:** ग्रामीण-शहरी प्रवास ने तीव्र शहरीकरण को जन्म दिया है, जिससे शहरों का अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से विस्तार हो रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप झुग्गियों, अनौपचारिक बस्तियों और बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ा है, जो शहरी योजनाकारों तथा नीति निर्माताओं के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन:** विविध पृष्ठभूमियों से प्रवासियों के आगमन ने शहरी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं जीवंतता में योगदान दिया है।
  - इससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण, सामाजिक विखंडन और शहरी जीवन शैली में आत्मसात करने में चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।
- **आर्थिक निहितार्थ:** प्रवासन ने शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के लिये श्रम की निरंतर आपूर्ति प्रदान की है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिला है।

- इससे रोज़गार, आवास एवं अन्य संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ गई है, जिससे आय असमानताएँ और भी बढ़ सकती हैं।

- **जनसाँख्यिकीय परिवर्तन:** ग्रामीण-शहरी प्रवास ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आयु तथा लैंगिक संरचना को बदल दिया है।
  - शहरों में प्राय: कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का संकेंद्रण अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन के कारण "खोखलापन" का प्रभाव देखने को मिलता है।
  - इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** तीव्र शहरीकरण और प्रवासियों के आगमन ने शहरी बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वायु तथा जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियाँ एवं ऊर्जा खपत में वृद्धि जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

- **आवास और आश्रय:** प्रवासियों के लिये किफायती और सभ्य आवास एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण कई लोग भीड़भाड़ वाली झुग्गियों या खराब रहने की स्थिति वाली अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं।
  - प्रत्येक छठा शहरी भारतीय ऐसी झुग्गियों में निवास करता है, जो मानव निवास के लिये अनुपयुक्त हैं। वास्तव में झुग्गियाँ इतनी आम हैं कि वे 65% भारतीय शहरों में पाई जाती हैं।
  - स्वच्छ जल, स्वच्छता और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शहरी प्रवासियों के लिये निरंतर संघर्षरत बनी हुई हैं।
- **रोज़गार और आजीविका:** कौशल, शिक्षा या सामाजिक नेटवर्क की कमी के कारण प्रवासियों को प्राय: स्थिर तथा अच्छे वेतन वाले रोज़गार के अवसर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - कई लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ रोज़गार की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच:** प्रवासियों को प्राय: दस्तावेज़ों की कमी, भाषा संबंधी बाधाओं या वित्तीय बाधाओं के कारण अपने बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा शैक्षिक अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - यह गरीबी के चक्र को बनाए रख सकता है और सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकता है।
- **सामाजिक सहायता नेटवर्क की कमी:** प्रवासी समुदायों में प्राय: अपने ग्रामीण गृहनगरों में उपलब्ध पारंपरिक सामाजिक सहायता नेटवर्क और सुरक्षा जाल की कमी होती है।
  - इससे अलगाव, भेद्यता और शहरी जीवन के अनुकूल होने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह:

- **मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम:** "मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम" का क्रियान्वयन करना, जिसके तहत मौजूदा मलिन बस्तियों में धीरे-धीरे बुनियादी ढाँचे, सुरक्षित भूमि स्वामित्व और समुदाय-संचालित विकास पहलों के साथ सुधार किया जाएगा।
- **शहरी रोज़गार और आजीविका:** "प्रवासी उद्यमिता इनक्यूबेटर" की स्थापना करना, जो प्रवासियों को अपना स्वयं का व्यवसाय या सामाजिक उद्यम शुरू करने के लिये प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं।
- इसके अतिरिक्त "शहरी कृषि पहल" विकसित करना, जहाँ प्रवासी छोटे स्तर पर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो सकें, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच:** "मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक" की शुरुआत की जाए, जो नियमित रूप से प्रवासी बस्तियों का दौरा करें, बुनियादी चिकित्सा सेवाएँ, स्वास्थ्य जाँच और निकटवर्ती अस्पतालों के लिये रेफरल प्रदान करें।
- प्रवासी इलाकों में "सामुदायिक शिक्षण केंद्र" स्थापित करना, जहाँ बच्चों और वयस्कों दोनों के लिये किफायती शिक्षा, भाषा कक्षाएँ तथा कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँ।
- **प्रवासी श्रमिक संरक्षण योजना:** वेतन संहिता, 2019 का बेहतर कार्यान्वयन, सुरक्षित कार्य स्थितियाँ, तथा प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, के लिये विधिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

ग्रामीण-शहरी प्रवास एक अपरिहार्य शक्ति है, जिसने भारत में तीव्र शहरीकरण और जनसाँख्यिकीय परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। शहरी रोज़गार गारंटी योजनाओं जैसी लक्षित योजनाओं के माध्यम से भारत एक समतापूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

प्रश्न : "जाति व्यवस्था को नई पहचान एवं सांगठनिक रूप मिलने के आलोक में इसे भारत में समाप्त नहीं किया जा सकता है।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत में जाति व्यवस्था की प्राथमिक प्रकृति का उल्लेख कीजिये।**
- **जाति व्यवस्था किस प्रकार नई पहचान और साहचर्य रूप अपना रही है, वर्णन कीजिये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारतीय समाज में गहनता से समाहित जाति व्यवस्था ने पारंपरिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम, व्यावसायिक भूमिकाएँ और वैवाहिक प्रथाओं को निर्धारित किया है। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के वैधानिक तथा संवैधानिक प्रयासों (जैसे- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17) के बावजूद, यह विभिन्न रूपों में कायम है।

मुख्य भाग:

नई पहचान और संघात्मक स्वरूप

राजनीतिक लामबंदी

- **जाति-आधारित राजनीतिक दल:** जातिगत समूहों ने स्वयं को राजनीतिक संस्थाओं में संगठित किया है। राजनीतिक दल विशिष्ट जाति हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उभरे हैं।
- **वोट बैंक की राजनीति:** राजनेता प्राय: वोट हासिल करने के लिये जातिगत पहचानों को संगठित करते हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में जाति-आधारित पहचान कायम होती है।

आर्थिक संघ

- **जाति-आधारित व्यवसाय संजाल:** कुछ जातियों ने शक्तिशाली व्यवसायिक समुदायों का निर्माण किया है, जैसे कि मारवाड़ी, चेट्टियार और अन्य। ये संजाल जाति के भीतर आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करते हैं।
- **माइक्रोफाइनेंस और सहकारिता:** ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित सहकारी समितियाँ और माइक्रोफाइनेंस समूह वित्तीय सेवाएँ तथा सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जातिगत संबंध मज़बूत होते हैं।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

- **जाति संघ:** कई जातियों ने समुदाय के भीतर कल्याण, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपने स्वयं के सामाजिक संगठन स्थापित किये हैं। ये संघ प्राय: जातिगत पहचान और एकजुटता को बनाए रखने के लिये कार्य करते हैं।
- **वैवाहिक प्रथाएँ:** भारतीय समाज में अंतर्विवाह का प्रचलन है, वैवाहिक विज्ञापनों और मैचमेकिंग सेवाओं में प्राय: जातिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है।

उन्मूलन में चुनौतियाँ

सामाजिक मानदंडों का गहरा समावेशन

- **सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण:** जातियाँ सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और मानदंडों में अंतर्निहित है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
- **सामाजिक स्तरीकरण:** जाति व्यवस्था अपनेपन और पहचान की भावना उत्पन्न करती है, जिससे इन पारंपरिक संरचनाओं को भंग करना मुश्किल हो जाता है।

आर्थिक निर्भरताएँ

- **संरक्षक-ग्राहक संबंध:** ग्रामीण भारत में विभिन्न जाति समूहों (जैसे- भूस्वामी और मज़दूर) के बीच पारंपरिक आर्थिक निर्भरता जाति पदानुक्रम को कायम रखती है।
- **संसाधन वितरण:** संसाधनों और अवसरों तक पहुँच प्राय: जातिगत रेखाओं का अनुसरण करती है, जिससे आर्थिक असमानताएँ मज़बूत होती हैं।

संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएँ

- **शिक्षा और रोज़गार:** सकारात्मक कार्रवाई हेतु कई नीतियाँ मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में असमानताएँ जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करती हैं।
- **विधिक प्रवर्तन:** भेदभाव-विरोधी कानूनों का कार्यान्वयन प्राय: कमज़ोर होता है हालाँकि जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव अभी भी होते हैं।

शमन के संभावित मार्ग

शैक्षणिक सुधार

- **समावेशी पाठ्यक्रम:** समानता और जाति के हानिकारक प्रभावों पर ज़ोर देने वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से मानसिकता के परिवर्तन में सहायता मिल सकती है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि हाशिये पर पड़े समुदायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकता है।

आर्थिक सशक्तीकरण

- **सकारात्मक कार्रवाई:** शिक्षा और रोज़गार में सकारात्मक कार्रवाई को मज़बूत करने से हाशिये पर पड़ी जातियों के उत्थान में सहायता मिल सकती है।
- **उद्यमिता और कौशल विकास:** वंचित जातियों को लक्षित करके उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।

वैधानिक एवं नीतिगत उपाय

- **प्रभावी कानून प्रवर्तन:** भेदभाव विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत करना और जाति-आधारित हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।

- **नीतिगत सुधार:** ऐसी नीतियों का निर्माण करना, जो हाशिये पर पड़ी जातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समग्र रूप से संबोधित करे।

सामाजिक आंदोलन और समर्थन

- **ज़मीनी स्तर के आंदोलन:** जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले ज़मीनी स्तर के आंदोलनों का समर्थन करना।
- **अंतर-जातीय संवाद:** समझ को बढ़ावा देने और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिये विभिन्न जातिगत समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत में जाति व्यवस्था, विकसित और अनुकूलन करते हुए भी, एक दुर्जेय सामाजिक संरचना बनी हुई है। इसकी निरंतरता पहचान तथा संघ के नए स्वरूपों द्वारा समर्थित है जो जातिगत भेदभाव को मज़बूत करती है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी आयामों को संबोधित करते हुए समानता तथा समावेश की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा दिया जाए। जो चुनौतीपूर्ण होते हुए भी निरंतर प्रयासों एवं सुधारों के माध्यम से होने वाली क्रमिक प्रगति एक अधिक समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

भूगोल

प्रश्न : भारतीय शासन पर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का व्यापक और स्थायी प्रभाव है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **मौर्य साम्राज्य की समयावधि का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्त्व बताइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

मौर्य साम्राज्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था, का प्रशासनिक ढाँचा अत्यधिक संगठित और कुशल था, जिसने भारतीय शासन पर अमिट छाप छोड़ी।

मुख्य भाग:

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का महत्त्व:

- **मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन:** मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें राजा सर्वोच्च नेता होता था, उसकी सहायता के लिये 'मंत्रिपरिषद' (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समान) होती थी।
- **प्रांतीय प्रशासन: साम्राज्य को उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि जैसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक को राजधानी शहर (Capital City) के नाम से जाना जाता था। (राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समान)**
  - **प्रांतों को ज़िलों (आहार, जनपद) में विभाजित किया गया, जो राजुकों (Rajukas) द्वारा युक्तों के साथ प्रशासित थे। (ज़िलों के समान)**
  - **ज़िलों में ग्राम प्रमुखों और कानून एवं व्यवस्था के लिये शहर के अधीक्षकों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले गाँव शामिल थे। (पंचायतों, नगर निकायों के समान)**
- **सैन्य प्रशासन:** मौर्यों ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ और नौसेना डिवीज़नों के साथ एक विशाल, अच्छी तरह से सुसज्जित पेशेवर सेना का निर्माण किया। (भारतीय सशस्त्र बलों के समान)
  - **सेनापति सेना का समग्र कमांडर-इन-चीफ था। (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान)**
- **आर्थिक प्रशासन:** सम्हर्ता (Samharta) मुख्य राजस्व संग्रहकर्त्ता था और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था।
  - **भूमि, सीमा शुल्क, सिंचाई, खदान आदि जैसे विभिन्न स्रोतों पर कर लगाया जाता था (वर्तमान कर प्रणाली के समान)**
- **जासूसी (Espionage) प्रणाली:** उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिये एक विस्तृत जासूसी प्रणाली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
  - **विशेष अधिकारी, जिन्हें "गुढपुरुष" या सीक्रेट एजेंट के रूप में जाना जाता था, जो अधिकारियों और आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये नियुक्त किये जाते थे।**
  - **R&AW विंग की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है।**

निष्कर्ष:

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना ने भारतीय शासन और प्रशासन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो बाद के साम्राज्यों तथा राज्यों के लिये एक खाका के रूप में कार्य करती है। इसकी विरासत आधुनिक भारत में गूँजती रहती है, जो देश के शासन दर्शन (Governance Philosophy) और प्रथाओं को आकार देती है।

प्रश्न : भारतीय समाज पर गाँवों से शहरों की ओर होने वाले प्रवासन के प्रभाव पर प्रकाश डालिये। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **ग्रामीण-शहरी प्रवास के प्रेरक कारकों का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **भारतीय समाज पर ग्रामीण-शहरी प्रवास के प्रभाव का उल्लेख कीजिये।**
- **शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।**
- **आगे की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

ग्रामीण-शहरी प्रवास एक जनसाँख्यिकीय घटना है, जो दशकों से भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रही है। गरीबी, रोज़गार के अवसरों की कमी और बेहतर जीवन स्तर की चाहत जैसे कारकों से प्रेरित होकर, लाखों लोग अपने ग्रामीण घरों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जीवनयापन की तलाश में आ गए हैं।

मुख्य भाग:

भारतीय समाज पर ग्रामीण-शहरी प्रवास का प्रभाव:

- **शहरीकरण और शहरी प्रसार:** ग्रामीण-शहरी प्रवास ने तीव्र शहरीकरण को जन्म दिया है, जिससे शहरों का अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से विस्तार हो रहा है।
  - **इसके परिणामस्वरूप झुग्गियों, अनौपचारिक बस्तियों और बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ा है, जो शहरी योजनाकारों तथा नीति निर्माताओं के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।**
- **सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन:** विविध पृष्ठभूमियों से प्रवासियों के आगमन ने शहरी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं जीवंतता में योगदान दिया है।
  - **इससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण, सामाजिक विखंडन और शहरी जीवन शैली में आत्मसात करने में चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।**
- **आर्थिक निहितार्थ:** प्रवासन ने शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के लिये श्रम की निरंतर आपूर्ति प्रदान की है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिला है।
  - **इससे रोज़गार, आवास एवं अन्य संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ गई है, जिससे आय असमानताएँ और भी बढ़ सकती हैं।**
- **जनसाँख्यिकीय परिवर्तन:** ग्रामीण-शहरी प्रवास ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आयु तथा लैंगिक संरचना को बदल दिया है।
  - **शहरों में प्राय: कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का संकेंद्रण अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन के कारण "खोखलापन" का प्रभाव देखने को मिलता है।**
  - **इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है।**
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** तीव्र शहरीकरण और प्रवासियों के आगमन ने शहरी बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक दबाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वायु तथा जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियाँ एवं ऊर्जा खपत में वृद्धि जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

- **आवास और आश्रय:** प्रवासियों के लिये किफायती और सभ्य आवास एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण कई लोग भीड़भाड़ वाली झुग्गियों या खराब रहने की स्थिति वाली अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं।
  - **प्रत्येक छठा शहरी भारतीय ऐसी झुग्गियों में निवास करता है, जो मानव निवास के लिये अनुपयुक्त हैं। वास्तव में झुग्गियाँ इतनी आम हैं कि वे 65% भारतीय शहरों में पाई जाती हैं।**
  - **स्वच्छ जल, स्वच्छता और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शहरी प्रवासियों के लिये निरंतर संघर्षरत बनी हुई हैं।**
- **रोज़गार और आजीविका:** कौशल, शिक्षा या सामाजिक नेटवर्क की कमी के कारण प्रवासियों को प्राय: स्थिर तथा अच्छे वेतन वाले रोज़गार के अवसर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - **कई लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ रोज़गार की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है।**
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच:** प्रवासियों को प्राय: दस्तावेज़ों की कमी, भाषा संबंधी बाधाओं या वित्तीय बाधाओं के कारण अपने बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा शैक्षिक अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **यह गरीबी के चक्र को बनाए रख सकता है और सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकता है।**

- **सामाजिक सहायता नेटवर्क की कमी:** प्रवासी समुदायों में प्राय: अपने ग्रामीण गृहनगरों में उपलब्ध पारंपरिक सामाजिक सहायता नेटवर्क और सुरक्षा जाल की कमी होती है।
  - **इससे अलगाव, भेद्यता और शहरी जीवन के अनुकूल होने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।**

आगे की राह:

- **मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम:** "मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम" का क्रियान्वयन करना, जिसके तहत मौजूदा मलिन बस्तियों में धीरे-धीरे बुनियादी ढाँचे, सुरक्षित भूमि स्वामित्व और समुदाय-संचालित विकास पहलों के साथ सुधार किया जाएगा।
- **शहरी रोज़गार और आजीविका:** "प्रवासी उद्यमिता इनक्यूबेटर" की स्थापना करना, जो प्रवासियों को अपना स्वयं का व्यवसाय या सामाजिक उद्यम शुरू करने के लिये प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं।
- **इसके अतिरिक्त "शहरी कृषि पहल" विकसित करना, जहाँ प्रवासी छोटे स्तर पर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो सकें, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।**
- **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच:** "मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक" की शुरुआत की जाए, जो नियमित रूप से प्रवासी बस्तियों का दौरा करें, बुनियादी चिकित्सा सेवाएँ, स्वास्थ्य जाँच और निकटवर्ती अस्पतालों के लिये रेफरल प्रदान करें।
- **प्रवासी इलाकों में "सामुदायिक शिक्षण केंद्र" स्थापित करना, जहाँ बच्चों और वयस्कों दोनों के लिये किफायती शिक्षा, भाषा कक्षाएँ तथा कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँ।**
- **प्रवासी श्रमिक संरक्षण योजना:** वेतन संहिता, 2019 का बेहतर कार्यान्वयन, सुरक्षित कार्य स्थितियाँ, तथा प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, के लिये विधिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

ग्रामीण-शहरी प्रवास एक अपरिहार्य शक्ति है, जिसने भारत में तीव्र शहरीकरण और जनसाँख्यिकीय परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। शहरी रोज़गार गारंटी योजनाओं जैसी लक्षित योजनाओं के माध्यम से भारत एक समतापूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

प्रश्न : क्या वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह महज एक सैन्य विद्रोह था या यह औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक एवं राजनीतिक चिंताओं का परिचायक था? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह तथा सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **इस विद्रोह के प्रमुख प्रेरक कारकों पर प्रकाश डालिये।**
- **उचित निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

वर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह (जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है) उस अवधि के दौरान औपनिवेशिक भारत में व्याप्त गहन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चिंताओं का परिचायक था।

- **निस्संदेह भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम वेतन के साथ सीमित पदोन्नति के अवसरों जैसी सैन्य शिकायतों ने इसके प्रेरक के रूप में कार्य किया। हालाँकि यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था।**

मुख्य भाग:

प्रमुख प्रेरक कारक:

- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:**
  - **रीति-रिवाज़ों में ब्रिटिश हस्तक्षेप:** सती प्रथा के उन्मूलन एवं बाल विवाह पर रोक लगाने की नीति जैसे सुधारों की शुरुआत को पारंपरिक सामाजिक रीति-रिवाज़ों तथा मूल्यों पर प्रहार माना गया।
  - **सांस्कृतिक अधीनता का डर:** भारतीय सिपाहियों (सैनिकों) और नागरिकों को ईसाई मूल्यों को लागू करने तथा धार्मिक पहचान के लिये संभावित खतरे के बारे में चिंता थी।
  - **कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग:** अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नए कारतूस गाय तथा सुअर की चर्बी से बने थे, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची और व्यापक आक्रोश हुआ।
- **राजनीतिक कारक:**
  - **भारतीय कुलीन वर्ग की शक्ति और विशेषाधिकारों का क्षरण:** विलय की ब्रिटिश नीतियों (जैसे कि व्यपगत का सिद्धांत और सहायक संधि प्रणाली) से भारतीय शासकों एवं कुलीन वर्ग की शक्ति तथा विशेषाधिकारों पर प्रहार हुआ, जिससे उनका असंतोष बढ़ गया था। (उदाहरण के लिये सतारा (1848 ई.), बघाट (1850 ई.) एवं झाँसी (1853 ई.) का विलय किया गया था।

- **ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियाँ:** कंपनी के आक्रामक क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप को भारतीय शासकों की संप्रभुता एवं स्वायत्तता के लिये खतरा माना जाता था।

- **आर्थिक कारक:**
  - **आर्थिक शोषण:** ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण की नीतियों (जैसे भारत से संसाधनों एवं धन को ब्रिटेन ले जाना) से भारतीय लोगों में व्यापक आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ।
  - **कारीगरों एवं बुनकरों की दयनीय स्थिति:** ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति तथा पारंपरिक भारतीय उद्योगों (जैसे वस्त्र उद्योग) के पतन से कारीगरों एवं बुनकरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

निष्कर्ष:

हालाँकि इस विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था लेकिन इससे ब्रिटिश नीतियों में प्रमुख बदलाव आया जिसके परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। सिपाही विद्रोह की विरासत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई।

प्रश्न : भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि क्षरण तथा मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का परीक्षण कीजिये। इसके साथ ही धारणीय भूमि प्रबंधन प्रथाओं हेतु रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भूमि क्षरण को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिये।**
- **भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के परिणामों पर गहनता से विचार कीजिये।**
- **स्थायी भूमि प्रबंधन के लिये रणनीति बताइये।**
- **भारत में भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय:

भूमि क्षरण से तात्पर्य मृदा, वनस्पति एवं जल संसाधनों सहित भूमि संसाधनों की उत्पादक क्षमता में क्षरण या हानि से है।

- **यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का क्षरण होने से विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा मानवीय गतिविधियों को सहारा देने की इसकी क्षमता में कमी आती है।**

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण (क्षेत्रानुसार):

- **शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भाग):**
  - **अतिचारण:** पशुओं द्वारा होने वाली अत्यधिक चराई से वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे मृदा, वायु एवं जल से होने वाले कटाव के संपर्क में आ जाती है (उदाहरण के लिये राजस्थान में थार रेगिस्तान का बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण विस्तार हो रहा है)।
  - **वनों की कटाई:** ईंधन एवं इमारती लकड़ी के लिये पेड़ों की असंतुलित कटाई से मृदा की नमी कम होने से वायु द्वारा इसके कटाव में वृद्धि हो जाती है (उदाहरण के लिये अरावली पहाड़ियों में वनों की कटाई से मृदा की उर्वरता कम होने के साथ आस-पास के क्षेत्रों में धूल भरी आँधी आती है)।
  - **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा प्रतिरूप, बढ़ता तापमान तथा सूखे की बढ़ती आवृत्ति से बंजर भूमि का का विस्तार हो रहा है (उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में अनियमित मानसून से फसल की पैदावार और मृदा की नमी प्रभावित होती है)।
- **दक्कन का पठार (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ भाग):**
  - **लवणीकरण:** उचित जल निकासी के बिना नहर सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से मृदा की लवणीयता में वृद्धि होने से यह खेती के लिये अनुपयुक्त हो जाती है (उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लवणीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है)।
  - **खनन गतिविधियाँ:** खनन से मृदा की प्राकृतिक संरचना में असंतुलन होने से मृदा प्रदूषित होती है (उदाहरण के लिये झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्रों में भूमि का अवतलन हुआ है)।
- **हिमालयी क्षेत्र:**
  - **गैर-टिकाऊ पर्यटन प्रथाएँ:** अनियंत्रित पर्यटक आवागमन तथा बुनियादी ढाँचे के असंतुलित विकास से मृदा का क्षरण होता है (उदाहरण के लिये, जोशीमठ भूमि अवतलन)।
  - **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों में कमी आने से जल विज्ञान चक्र बाधित होता है, जिससे जल की उपलब्धता प्रभावित होती है (उदाहरण के लिये हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा एक मौसमी नदी बन सकती है, जिससे गंगा के मैदान में कृषि को खतरा हो सकता है)।

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के परिणाम:

- **कृषि उत्पादकता में कमी:** मृदा की उर्वरता और आर्द्रता में कमी से फसल की पैदावार कम होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

- **जल की कमी:** भूमि क्षरण से भू-जल पुनर्भरण में कमी आती है, जिससे पीने और सिंचाई के लिये जल की कमी होती है (उदाहरण के लिये हाल ही का बेंगलुरु का जल संकट)।
- **जैवविविधता का नुकसान:** भूमि क्षरण से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होने से जीवों के आवास का नुकसान होता है तथा प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं (उदाहरण के लिये भारत में मरुस्थलीकरण के कारण गुलाबी सिर वाली बत्तख और सुमात्रा गैंडे विलुप्त हो गए हैं)।
- **पलायन में वृद्धि:** भूमि क्षरण के कारण बेहतर आजीविका की तलाश में लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिये मजबूर होते हैं (उदाहरण के लिये मृदा के कटाव तथा जल की कमी के कारण ओडिशा के गाँवों से पलायन में वृद्धि हुई है)।

धारणीय भूमि प्रबंधन के लिये रणनीतियाँ:

- **पर्माकल्चर और पुनर्योजी कृषि:** पर्माकल्चर सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के साथ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित धारणीय एवं आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों को डिज़ाइन करना आवश्यक है।
  - **पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिये जैसे कि मृदा के स्वास्थ्य तथा उर्वरता को बेहतर बनाने के लिये कवर क्रॉपिंग और फसल चक्रण को अपनाना।**
  - **पारिस्थितिकी गलियारों के माध्यम से भूमि परिदृश्य का पुनरुद्धार:** जीवों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने तथा जैवविविधता को बढ़ावा देने के लिये संरक्षित क्षेत्रों एवं क्षरित भूमि के बीच पारिस्थितिकी गलियारे स्थापित करना।
  - **पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान का एकीकरण:** स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान के साथ उनकी टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को आधुनिक संरक्षण रणनीतियों में शामिल करना।
  - **पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों के पुनरुद्धार और संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना।**
- **संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा देना:** संधारणीय शहरी नियोजन को प्रोत्साहित करना, जिसमें भूमि संसाधनों पर शहरीकरण के प्रभावों को कम करने के लिये हरित स्थान और हरित अवसंरचना शामिल हो।
- **बायोरिमेडिएशन और फाइटोरिमेडिएशन तकनीक:** दूषित और क्षरित भूमि के बायोरेमेडिएशन के लिये सूक्ष्मजीवों तथा पौधों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - **फाइटोरिमेडिएशन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना (जैसे कि विशिष्ट पौधों की प्रजातियों की कृषि को बढ़ावा देना) जिससे मृदा, जल और वायु से प्रदूषकों को हटाया जा सकता है।**

निष्कर्ष:

धारणीय भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट पारिस्थितिकी, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अपनाया जाना चाहिये तथा इस तरह भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उर्वर बनाने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न : परिवहन तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में अंतर्देशीय जलमार्गों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। भारत में नदियों के माध्यम से होने वाले नौवहन से संबंधित भौगोलिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

हल करने का दृष्टिकोण:

- **अंतर्देशीय जलमार्गों पर गहनता से विचार करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **अंतर्देशीय जलमार्गों के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।**
- **भारत में नदियों पर नौवहन से जुड़ी भौगोलिक चुनौतियों पर गहनता से विचार कीजिये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

अंतर्देशीय जलमार्ग नौगम्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों को संदर्भित करते हैं, जिनका उपयोग माल तथा यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन के लिये किया जाता है।

ये जलमार्ग सड़कों और रेलवे के लिये परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में कार्य करते हैं, जो माल तथा लोगों को उनके आवागमन के अनुकूल लागत प्रभावी स्वरूप प्रदान करते हैं।

मुख्य भाग:

अंतर्देशीय जलमार्ग का महत्त्व:

- **परिवहन का लागत-प्रभावी स्वरूप:** अंतर्देशीय जलमार्ग, परिवहन का अत्यधिक लागत-प्रभावी स्वरूप प्रदान करते हैं, विशेषत: थोक वस्तुओं और भारी माल के लिये।
  - **सड़क और रेल परिवहन की तुलना में परिचालन लागत काफी कम है, जिससे परिवहन व्यय कम होता है तथा व्यवसायों के लिये लाभप्रदता बढ़ती है।**
  - **उदाहरण:** राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) माल और कच्चे माल के लिये लागत-प्रभावी परिवहन मार्ग प्रदान करता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** अंतर्देशीय जलमार्गों को अन्य साधनों की तुलना में न्यून कार्बन उत्सर्जन और न्यून वायु प्रदूषण के कारण परिवहन का अधिक पर्यावरण अनुकूल स्वरूप माना जाता है।

- **अंतर्देशीय जल परिवहन के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 40% कम है, जो सतत् विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है।**

- **कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास:** अंतर्देशीय जलमार्ग माल और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाते हैं, जो दूर-दराज़ के क्षेत्रों एवं शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं।
  - **वे नदी तटों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें उद्योगों, कृषि और व्यापार के विकास को बढ़ावा देना शामिल है।**
  - **उदाहरण:** संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी ने मध्य-पश्चिम क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में नदियों पर नौवहन से जुड़ी भौगोलिक चुनौतियाँ:

- **जल प्रवाह में मौसमी बदलाव:** कई भारतीय नदियों में जल प्रवाह में मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें मानसून के मौसम में अधिक जल्स्राव और शुष्क मौसम में कम जल स्तर शामिल है।
  - **जल स्तर में यह उतार-चढ़ाव नौगम्य गहराई को बनाए रखने के लिये चुनौतियाँ पेश करता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिये परिचालन अवधि सीमित हो जाती है।**
  - **उदाहरण:** गंगा नदी में जल स्तर में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे कुछ हिस्सों में संपूर्ण वर्ष नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **गाद और उथलेपन का निर्माण:** कई भारतीय नदियों में अवसादन भार बहुत अधिक होता है, जिससे गाद जम जाती है और नदी के तटीय उथलेपन (उथले क्षेत्र) का निर्माण होता है।
  - **ये अवरोध जहाज़ों के आवागमन में बाधा डाल सकते हैं और नौगम्य गहराई बनाए रखने के लिये नियमित रूप से ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है।**
  - **उदाहरण:** असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्च अवसाद भार के लिये जानी जाती है, जिससे प्राय: उथलेपन का निर्माण होता है और नौवहन में चुनौतियाँ आती हैं।
- **नदियों की घुमावदार प्रकृति:** कई भारतीय नदियों में घुमावदार प्रकृति होती है, जिसमें तीक्ष्ण मोड़ और घुमाव होते हैं जो नौवहन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, मूलत: बड़े जहाज़ों के लिये।
  - **इन मोड़ों पर विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता हो सकती है और इनमें फँसने या टकराने का जोखिम हो सकता है।**
- **रैपिड्स और झरनों की उपस्थिति:** कुछ भारतीय नदियों, विशेष रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रैपिड्स तथा झरनों वाले खंड हैं, जो नेविगेशन के लिये खतरनाक हो सकते हैं।
  - **इन प्राकृतिक बाधाओं के लिये जहाज़ों के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है।**
  - **उदाहरण:** कावेरी नदी का शिवनसमुद्रम् जलप्रपात।

निष्कर्ष:

सतत् अवसंरचना विकास में नदी प्रशिक्षण कार्यों और प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करके, सतत् आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय एकीकरण के लिये भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क की संपूर्ण क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

प्रश्न : भारतीय आहार में स्थानीय भूगोल तथा कृषि से प्रभावित स्वाद एवं व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारतीय व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डालते हुए उत्तर लिखिये।**
- **क्षेत्रीय विविधता और भूगोल के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।**
- **कृषि के प्रभाव पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारतीय व्यंजन एक पाक कला का बहुरूपदर्शक (Culinary Kaleidoscope) है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र के स्वाद भूगोल, कृषि और सांस्कृतिक प्रभावों के परस्पर प्रभाव से आकार लेते हैं।

जलवायु, भूभाग और कृषि उपज की विविधता ने व्यंजनों की एक विशाल श्रृंखला को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वभाव है।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय विविधता और भौगोलिक प्रभाव:

- **उत्तर भारत:** गंगा नदी बेसिन के उपजाऊ मैदानों में गेहूँ, दालें और जड़ युक्त सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो मलाईदार दाल (दाल की करी), मक्खन वाली रोटियाँ (चपटी रोटी) तथा मिट्टी के ओवन में पकाए जाने वाले तंदूरी व्यंजनों का आधार बनती हैं।

- **दक्षिण भारत:** लंबी तटरेखा और उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ, दक्षिण भारतीय व्यंजन नारियल, मिर्च तथा करी पत्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं।
  - **मुख्य अनाज चावल, समुद्री भोजन करी, दाल-आधारित सांभर और डोसा (किण्वित क्रेप्स) के साथ परोसा जाता है।**
  - **पश्चिमी घाट पर इलायची एवं काली मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जो जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं।**
- **तटीय क्षेत्र:** तटीय व्यंजनों में समुद्री भोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - **गोवा में विंदालू करी और सिरके के उपयोग में पुर्तगाली प्रभाव स्पष्ट है।**
  - **बंगाल से ओडिशा तक पूर्वी तट पर मछली की करी में सरसों और खसखस के बीज होते हैं।**
- **पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत:** इस क्षेत्र की हरी-भरी पहाड़ियाँ और घाटियाँ स्वादों का अनूठा मिश्रण पेश करती हैं।
  - **बाँस की टहनियाँ, किण्वित सोयाबीन (किनेमा) और नदी की मछली आम सामग्री हैं।**
  - **असम के व्यंजनों में तीखा और धुएँदार "भूना" खाना पकाने की शैली है।**
- **अन्य प्रभाव:** राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र करी में फलियाँ, दाल और मसालों पर निर्भर करते हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके।
  - **हिमालयी क्षेत्रों में ठंड से निपटने के लिये स्टू और मोमोज (पकौड़ी) मिलते हैं।**

कृषि प्रभाव:

- **मुख्य फसलें:** विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों ने स्थानीय व्यंजनों को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।
  - **उदाहरण:** उत्तर भारत के गेहूँ आधारित व्यंजन, जैसे- नान, रोटी और पराठा, दक्षिण भारत के चावल आधारित व्यंजनों, जैसे- इडली, डोसा एवं वड़ा से भिन्न हैं।
- **मसाले और जड़ी-बूटियाँ:** भारत अपने मसालों और जड़ी-बूटियों की विविधता के लिये प्रसिद्ध है, जिनमें से कई स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं तथा क्षेत्रीय व्यंजनों में शामिल किये जाते हैं, जो अद्वितीय स्वाद एवं सुगंध प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण:** कश्मीरी व्यंजन केसर और सूखे मेवों के उदार उपयोग के लिये जाने जाते हैं, जबकि तटीय व्यंजनों में नारियल तथा करी पत्तों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **सब्जियाँ और फल:** मौसमी और स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों तथा फलों की उपलब्धता ने विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों एवं खाना पकाने की तकनीकों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
  - **उदाहरण:** गुजराती व्यंजनों में स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों जैसे लौकी से बने व्यंजन शामिल हैं, जबकि बंगाली व्यंजनों में कई तरह की पत्तेदार सब्जियाँ शामिल हैं।
- **डेयरी उत्पाद:** दूध, दही और घी जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन तथा खपत क्षेत्रों में भिन्न होती है, जो तदनुसार पाक परंपराओं को आकार देती है।
  - **उदाहरण:** पंजाबी और हरियाणवी व्यंजन मक्खन के भरपूर उपयोग के लिये जाने जाते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय व्यंजनों में दही आधारित करी तथा उसके साथ परोसे जाने वाले व्यंजन शामिल होते हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय व्यंजनों में स्वाद और व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भूगोल तथा कृषि संपदा का प्रमाण है। प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी अनूठी पाक पहचान विकसित की है, जो स्थानीय सामग्री, जलवायु परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाती है।

प्रश्न : गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को मज़बूत एवं समृद्ध बनाने में अनेक वर्गों ने योगदान दिया था। विस्तार से चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन की विशेषताओं को बताते हुए परिचय लिखिये।**
- **राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण को दृढ़ करने वाली विभिन्न आवाज़ों पर प्रकाश डालिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों को संगठित किया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण के दौरान, कई महत्त्वपूर्ण लोगों ने इसे मज़बूत बनाने और समृद्ध बनाने में योगदान दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिये विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए।

मुख्य भाग:

यहाँ कुछ प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं:

- जवाहरलाल नेहरू:
  - जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और औद्योगिक भारत का दृष्टिकोण गांधी के पारंपरिक तथा ग्रामीण-केंद्रित दृष्टिकोण का पूरक था।
  - भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के लिये भारतीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - नेहरू के भाषणों और लेखों ने कई लोगों, मूलत: युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिये प्रेरित किया।
- सरदार वल्लभभाई पटेल:
  - "भारत के लौह पुरुष" के रूप में पहचाने जाने वाले पटेल ने गुजरात में किसानों को संगठित करने और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - उन्होंने कॉन्ग्रेस पार्टी और आंदोलन के प्रशासनिक तथा संगठनात्मक पहलुओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सुभाष चंद्र बोस:
  - बोस का दृष्टिकोण गांधी के अहिंसक तरीकों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी था। उन्होंने पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता का समर्थन किया, इसके अतिरिक्त वे, यदि आवश्यक हो तो सैन्य बल का उपयोग करने के लिये भी तैयार थे।
  - भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के उनके गठन और धुरी शक्तियों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण आयाम जोड़ा।
- महिला नेतृत्वकर्त्ता:
  - सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाएँ महत्त्वपूर्ण शख्सियतों के रूप में उभरीं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया तथा महिला भागीदारी को संगठित किया।
  - महिलाओं के समावेश ने एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया और आंदोलन की समावेशी प्रकृति को उजागर किया।
- क्रांतिकारी आंदोलन:
  - गांधीवादी आंदोलन के समानांतर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे क्रांतिकारी समूहों ने अधिक उग्रवादी रणनीति अपनाई।
  - उनके कार्यों और बलिदानों ने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा तथा कई युवा भारतीयों को प्रेरित किया।
- क्षेत्रीय नेतृत्वकर्त्ता:
  - दक्षिण में सी. राजगोपालाचारी, उत्तर-पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खान (सीमांत गांधी) और कई अन्य नेताओं के शामिल होने से आंदोलन में क्षेत्रीय विविधता आई।
  - उन्होंने स्थानीय आबादी को संगठित करने और राष्ट्रीय संघर्ष के व्यापक ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में सहायता की।
- समाज सुधारक और विचारक:
  - बी.आर. अंबेडकर जैसे लोगों ने गांधी के तरीकों के कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन सामाजिक न्याय और हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर चर्चा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - उनके कार्यों से यह सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से सामाजिक असमानता एवं न्याय के मुद्दों का समाधान हो सके।

निष्कर्ष:

इन विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों ने सामूहिक रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को समृद्ध किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह सिर्फ स्वतंत्रता के लिये एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण समाज के लिये एक सामाजिक क्रांति भी थी। विभिन्न विचारधाराओं, रणनीतियों और नेतृत्व शैलियों के परस्पर प्रभाव ने अंतत: गांधीवादी चरण के दौरान आंदोलन की व्यापक एवं गतिशील प्रकृति में योगदान दिया।

प्रश्न : "जाति व्यवस्था को नई पहचान एवं सांगठनिक रूप मिलने के आलोक में इसे भारत में समाप्त नहीं किया जा सकता है।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में जाति व्यवस्था की प्राथमिक प्रकृति का उल्लेख कीजिये।
- जाति व्यवस्था किस प्रकार नई पहचान और साहचर्य रूप अपना रही है, वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय समाज में गहनता से समाहित जाति व्यवस्था ने पारंपरिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम, व्यावसायिक भूमिकाएँ और वैवाहिक प्रथाओं को निर्धारित किया है। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के वैधानिक तथा संवैधानिक प्रयासों (जैसे- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17) के बावजूद, यह विभिन्न रूपों में कायम है।

मुख्य भाग:

नई पहचान और संघात्मक स्वरूप

राजनीतिक लामबंदी

- **जाति-आधारित राजनीतिक दल:** जातिगत समूहों ने स्वयं को राजनीतिक संस्थाओं में संगठित किया है। राजनीतिक दल विशिष्ट जाति हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उभरे हैं।
- **वोट बैंक की राजनीति:** राजनेता प्राय: वोट हासिल करने के लिये जातिगत पहचानों को संगठित करते हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में जाति-आधारित पहचान कायम होती है।

आर्थिक संघ

- **जाति-आधारित व्यवसाय संजाल:** कुछ जातियों ने शक्तिशाली व्यवसायिक समुदायों का निर्माण किया है, जैसे कि मारवाड़ी, चेट्टियार और अन्य। ये संजाल जाति के भीतर आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करते हैं।
- **माइक्रोफाइनेंस और सहकारिता:** ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित सहकारी समितियाँ और माइक्रोफाइनेंस समूह वित्तीय सेवाएँ तथा सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जातिगत संबंध मज़बूत होते हैं।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

- **जाति संघ:** कई जातियों ने समुदाय के भीतर कल्याण, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपने स्वयं के सामाजिक संगठन स्थापित किये हैं। ये संघ प्राय: जातिगत पहचान और एकजुटता को बनाए रखने के लिये कार्य करते हैं।
- **वैवाहिक प्रथाएँ:** भारतीय समाज में अंतर्विवाह का प्रचलन है, वैवाहिक विज्ञापनों और मैचमेकिंग सेवाओं में प्राय: जातिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है।

उन्मूलन में चुनौतियाँ

सामाजिक मानदंडों का गहरा समावेशन

- **सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण:** जातियाँ सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और मानदंडों में अंतर्निहित है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
- **सामाजिक स्तरीकरण:** जाति व्यवस्था अपनेपन और पहचान की भावना उत्पन्न करती है, जिससे इन पारंपरिक संरचनाओं को भंग करना मुश्किल हो जाता है।

आर्थिक निर्भरताएँ

- **संरक्षक-ग्राहक संबंध:** ग्रामीण भारत में विभिन्न जाति समूहों (जैसे- भूस्वामी और मज़दूर) के बीच पारंपरिक आर्थिक निर्भरता जाति पदानुक्रम को कायम रखती है।
- **संसाधन वितरण:** संसाधनों और अवसरों तक पहुँच प्राय: जातिगत रेखाओं का अनुसरण करती है, जिससे आर्थिक असमानताएँ मज़बूत होती हैं।

संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएँ

- **शिक्षा और रोज़गार:** सकारात्मक कार्रवाई हेतु कई नीतियाँ मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में असमानताएँ जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करती हैं।
- **विधिक प्रवर्तन:** भेदभाव-विरोधी कानूनों का कार्यान्वयन प्राय: कमज़ोर होता है हालाँकि जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव अभी भी होते हैं।

शमन के संभावित मार्ग

शैक्षणिक सुधार

- **समावेशी पाठ्यक्रम:** समानता और जाति के हानिकारक प्रभावों पर ज़ोर देने वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से मानसिकता के परिवर्तन में सहायता मिल सकती है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि हाशिये पर पड़े समुदायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकता है।

आर्थिक सशक्तीकरण

- **सकारात्मक कार्रवाई:** शिक्षा और रोज़गार में सकारात्मक कार्रवाई को मज़बूत करने से हाशिये पर पड़ी जातियों के उत्थान में सहायता मिल सकती है।
- **उद्यमिता और कौशल विकास:** वंचित जातियों को लक्षित करके उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।

वैधानिक एवं नीतिगत उपाय

- **प्रभावी कानून प्रवर्तन:** भेदभाव विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत करना और जाति-आधारित हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- **नीतिगत सुधार:** ऐसी नीतियों का निर्माण करना, जो हाशिये पर पड़ी जातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समग्र रूप से संबोधित करे।

सामाजिक आंदोलन और समर्थन

- **ज़मीनी स्तर के आंदोलन:** जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले ज़मीनी स्तर के आंदोलनों का समर्थन करना।
- **अंतर-जातीय संवाद:** समझ को बढ़ावा देने और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिये विभिन्न जातिगत समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत में जाति व्यवस्था, विकसित और अनुकूलन करते हुए भी, एक दुर्जेय सामाजिक संरचना बनी हुई है। इसकी निरंतरता पहचान तथा

संघ के नए स्वरूपों द्वारा समर्थित है जो जातिगत भेदभाव को मज़बूत करती है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी आयामों को संबोधित करते हुए समानता तथा समावेश की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा दिया जाए। जो चुनौतीपूर्ण होते हुए भी निरंतर प्रयासों एवं सुधारों के माध्यम से होने वाली क्रमिक प्रगति एक अधिक समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

प्रश्न : "जाति व्यवस्था को नई पहचान एवं सांगठनिक रूप मिलने के आलोक में इसे भारत में समाप्त नहीं किया जा सकता है।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत में जाति व्यवस्था की प्राथमिक प्रकृति का उल्लेख कीजिये।**
- **जाति व्यवस्था किस प्रकार नई पहचान और साहचर्य रूप अपना रही है, वर्णन कीजिये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारतीय समाज में गहनता से समाहित जाति व्यवस्था ने पारंपरिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम, व्यावसायिक भूमिकाएँ और वैवाहिक प्रथाओं को निर्धारित किया है। जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के वैधानिक तथा संवैधानिक प्रयासों (जैसे- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17) के बावजूद, यह विभिन्न रूपों में कायम है।

मुख्य भाग:

नई पहचान और संघात्मक स्वरूप

राजनीतिक लामबंदी

- **जाति-आधारित राजनीतिक दल:** जातिगत समूहों ने स्वयं को राजनीतिक संस्थाओं में संगठित किया है। राजनीतिक दल विशिष्ट जाति हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उभरे हैं।
- **वोट बैंक की राजनीति:** राजनेता प्राय: वोट हासिल करने के लिये जातिगत पहचानों को संगठित करते हैं, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में जाति-आधारित पहचान कायम होती है।

आर्थिक संघ

- **जाति-आधारित व्यवसाय संजाल:** कुछ जातियों ने शक्तिशाली व्यवसायिक समुदायों का निर्माण किया है, जैसे कि मारवाड़ी, चेट्टियार और अन्य। ये संजाल जाति के भीतर आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करते हैं।
- **माइक्रोफाइनेंस और सहकारिता:** ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित सहकारी समितियाँ और माइक्रोफाइनेंस समूह वित्तीय सेवाएँ तथा सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जातिगत संबंध मज़बूत होते हैं।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

- **जाति संघ:** कई जातियों ने समुदाय के भीतर कल्याण, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपने स्वयं के सामाजिक संगठन स्थापित किये हैं। ये संघ प्राय: जातिगत पहचान और एकजुटता को बनाए रखने के लिये कार्य करते हैं।
- **वैवाहिक प्रथाएँ:** भारतीय समाज में अंतर्विवाह का प्रचलन है, वैवाहिक विज्ञापनों और मैचमेकिंग सेवाओं में प्राय: जातिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है।

उन्मूलन में चुनौतियाँ

सामाजिक मानदंडों का गहरा समावेशन

- **सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण:** जातियाँ सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और मानदंडों में अंतर्निहित है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
- **सामाजिक स्तरीकरण:** जाति व्यवस्था अपनेपन और पहचान की भावना उत्पन्न करती है, जिससे इन पारंपरिक संरचनाओं को भंग करना मुश्किल हो जाता है।

आर्थिक निर्भरताएँ

- **संरक्षक-ग्राहक संबंध:** ग्रामीण भारत में विभिन्न जाति समूहों (जैसे- भूस्वामी और मज़दूर) के बीच पारंपरिक आर्थिक निर्भरता जाति पदानुक्रम को कायम रखती है।
- **संसाधन वितरण:** संसाधनों और अवसरों तक पहुँच प्राय: जातिगत रेखाओं का अनुसरण करती है, जिससे आर्थिक असमानताएँ मज़बूत होती हैं।

संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएँ

- **शिक्षा और रोज़गार:** सकारात्मक कार्रवाई हेतु कई नीतियाँ मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में असमानताएँ जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करती हैं।
- **विधिक प्रवर्तन:** भेदभाव-विरोधी कानूनों का कार्यान्वयन प्राय: कमज़ोर होता है हालाँकि जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव अभी भी होते हैं।

शमन के संभावित मार्ग

शैक्षणिक सुधार

- **समावेशी पाठ्यक्रम:** समानता और जाति के हानिकारक प्रभावों पर ज़ोर देने वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से मानसिकता के परिवर्तन में सहायता मिल सकती है।

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि हाशिये पर पड़े समुदायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकता है।

आर्थिक सशक्तीकरण

- **सकारात्मक कार्रवाई:** शिक्षा और रोज़गार में सकारात्मक कार्रवाई को मज़बूत करने से हाशिये पर पड़ी जातियों के उत्थान में सहायता मिल सकती है।
- **उद्यमिता और कौशल विकास:** वंचित जातियों को लक्षित करके उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।

वैधानिक एवं नीतिगत उपाय

- **प्रभावी कानून प्रवर्तन:** भेदभाव विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत करना और जाति-आधारित हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- **नीतिगत सुधार:** ऐसी नीतियों का निर्माण करना, जो हाशिये पर पड़ी जातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समग्र रूप से संबोधित करे।

सामाजिक आंदोलन और समर्थन

- **ज़मीनी स्तर के आंदोलन:** जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करने वाले ज़मीनी स्तर के आंदोलनों का समर्थन करना।
- **अंतर-जातीय संवाद:** समझ को बढ़ावा देने और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिये विभिन्न जातिगत समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत में जाति व्यवस्था, विकसित और अनुकूलन करते हुए भी, एक दुर्जेय सामाजिक संरचना बनी हुई है। इसकी निरंतरता पहचान तथा संघ के नए स्वरूपों द्वारा समर्थित है जो जातिगत भेदभाव को मज़बूत करती है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी आयामों को संबोधित करते हुए समानता तथा समावेश की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा दिया जाए। जो चुनौतीपूर्ण होते हुए भी निरंतर प्रयासों एवं सुधारों के माध्यम से होने वाली क्रमिक प्रगति एक अधिक समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

संस्कृति

प्रश्न : भारतीय आहार में स्थानीय भूगोल तथा कृषि से प्रभावित स्वाद एवं व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारतीय व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डालते हुए उत्तर लिखिये।**
- **क्षेत्रीय विविधता और भूगोल के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।**
- **कृषि के प्रभाव पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारतीय व्यंजन एक पाक कला का बहुरूपदर्शक (Culinary Kaleidoscope) है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र के स्वाद भूगोल, कृषि और सांस्कृतिक प्रभावों के परस्पर प्रभाव से आकार लेते हैं।

जलवायु, भूभाग और कृषि उपज की विविधता ने व्यंजनों की एक विशाल श्रृंखला को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वभाव है।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय विविधता और भौगोलिक प्रभाव:

- **उत्तर भारत:** गंगा नदी बेसिन के उपजाऊ मैदानों में गेहूँ, दालें और जड़ युक्त सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो मलाईदार दाल (दाल की करी), मक्खन वाली रोटियाँ (चपटी रोटी) तथा मिट्टी के ओवन में पकाए जाने वाले तंदूरी व्यंजनों का आधार बनती हैं।
- **दक्षिण भारत:** लंबी तटरेखा और उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ, दक्षिण भारतीय व्यंजन नारियल, मिर्च तथा करी पत्तों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं।
  - **मुख्य अनाज चावल, समुद्री भोजन करी, दाल-आधारित सांभर और डोसा (किण्वित क्रेप्स) के साथ परोसा जाता है।**
  - **पश्चिमी घाट पर इलायची एवं काली मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जो जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं।**
- **तटीय क्षेत्र:** तटीय व्यंजनों में समुद्री भोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - **गोवा में विंदालू करी और सिरके के उपयोग में पुर्तगाली प्रभाव स्पष्ट है।**
  - **बंगाल से ओडिशा तक पूर्वी तट पर मछली की करी में सरसों और खसखस के बीज होते हैं।**
- **पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत:** इस क्षेत्र की हरी-भरी पहाड़ियाँ और घाटियाँ स्वादों का अनूठा मिश्रण पेश करती हैं।

- **बाँस की टहनियाँ, किण्वित सोयाबीन (किनेमा) और नदी की मछली आम सामग्री हैं।**
- **असम के व्यंजनों में तीखा और धुएँदार "भूना" खाना पकाने की शैली है।**

- **अन्य प्रभाव:** राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र करी में फलियाँ, दाल और मसालों पर निर्भर करते हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके।
  - **हिमालयी क्षेत्रों में ठंड से निपटने के लिये स्टू और मोमोज (पकौड़ी) मिलते हैं।**

कृषि प्रभाव:

- **मुख्य फसलें:** विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों ने स्थानीय व्यंजनों को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।
  - **उदाहरण:** उत्तर भारत के गेहूँ आधारित व्यंजन, जैसे- नान, रोटी और पराठा, दक्षिण भारत के चावल आधारित व्यंजनों, जैसे- इडली, डोसा एवं वड़ा से भिन्न हैं।
- **मसाले और जड़ी-बूटियाँ:** भारत अपने मसालों और जड़ी-बूटियों की विविधता के लिये प्रसिद्ध है, जिनमें से कई स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं तथा क्षेत्रीय व्यंजनों में शामिल किये जाते हैं, जो अद्वितीय स्वाद एवं सुगंध प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण:** कश्मीरी व्यंजन केसर और सूखे मेवों के उदार उपयोग के लिये जाने जाते हैं, जबकि तटीय व्यंजनों में नारियल तथा करी पत्तों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **सब्जियाँ और फल:** मौसमी और स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों तथा फलों की उपलब्धता ने विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों एवं खाना पकाने की तकनीकों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
  - **उदाहरण:** गुजराती व्यंजनों में स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली सब्जियों जैसे लौकी से बने व्यंजन शामिल हैं, जबकि बंगाली व्यंजनों में कई तरह की पत्तेदार सब्जियाँ शामिल हैं।
- **डेयरी उत्पाद:** दूध, दही और घी जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन तथा खपत क्षेत्रों में भिन्न होती है, जो तदनुसार पाक परंपराओं को आकार देती है।
  - **उदाहरण:** पंजाबी और हरियाणवी व्यंजन मक्खन के भरपूर उपयोग के लिये जाने जाते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय व्यंजनों में दही आधारित करी तथा उसके साथ परोसे जाने वाले व्यंजन शामिल होते हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय व्यंजनों में स्वाद और व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भूगोल तथा कृषि संपदा का प्रमाण है। प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी अनूठी पाक पहचान विकसित की है, जो स्थानीय सामग्री, जलवायु परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाती है।

■■■

सामान्य अध्ययन पेपर-2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने सामरिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने में भारत की एक्ट ईस्ट नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। साथ ही भारत तथा आसियान देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी गहनता से विचार कीजिये। (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए परिचय लिखिये।**
- **आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक्ट ईस्ट नीति की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालिये।**
- **भारत और आसियान के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारत की एक्ट ईस्ट नीति, नवंबर 2014 में विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये एक कूटनीतिक पहल के रूप में शुरू की गई थी।

मुख्य भाग:

एक्ट ईस्ट नीति की प्रभावशीलता:

- **रणनीतिक संबंधों को मज़बूत बनाने में:**
  - **भारत ने विभिन्न आसियान-नेतृत्व वाली व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जैसे कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच तथा आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आदि।**
- **इन मंचों ने क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत और सहयोग को सुगम बनाया है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी मज़बूत हुई है।**
  - **सामरिक साझेदारी:** भारत ने सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया सहित कई आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है।
    - इन साझेदारियों से गहन सहयोग संभव हुआ है।
- **आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने में:**
  - **व्यापार और निवेश:** भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 131.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
    - भारत ने व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA) लागू किया है।
    - व्यापार संतुलन आसियान के पक्ष में बना हुआ है, जो सुधार के संभावित क्षेत्रों का संकेत देता है।
  - **कनेक्टिविटी पहल:** भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिये भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाएँ शुरू की हैं।
    - इन पहलों का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, जिससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिले।

भारत और आसियान के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्र:

- **समुद्री सहयोग:** दक्षिण चीन सागर में समुद्री डकैती, अवैध मत्स्याग्रहण और क्षेत्रीय विवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये संयुक्त गश्त, सूचना साझाकरण तथा क्षमता निर्माण सहित समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** एक मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर सहयोग करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने तथा सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये सौर, पवन एवं हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास व तैनाती पर सहयोग करना।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी:** उपग्रह विकास, सुदूर संवेदन, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन तथा पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों के लिये अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों सहित अंतरिक्ष अन्वेषण पहलों पर सहयोग करना।
- **नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधन प्रबंधन:** समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग, समुद्री सुरक्षा तथा मत्स्य पालन, जलीय कृषि एवं तटीय पर्यटन जैसे क्षेत्रों सहित नीली अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग बढ़ाना।

- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा आसियान कनेक्टिविटी 2025 पर आसियान के मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर सहयोग करना।

निष्कर्ष:

भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत किया है। पूरक शक्तियों का लाभ उठाकर तथा साझा चुनौतियों का समाधान करके, भारत एक मज़बूत, भविष्योन्मुखी साझेदारी बना सकता है जो क्षेत्रीय स्थिरता, सतत् विकास एवं सामूहिक समृद्धि में योगदान दे।

प्रश्न. अफ्रीकी देशों के साथ भारत में जुड़ाव के रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये तथा यह भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत-अफ्रीका संबंध तथा भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के साथ इसके समन्वय पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।**
- **अफ्रीकी देशों के साथ भारत के समन्वय के रणनीतिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये। भारत-अफ्रीका संबंधों से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।**
- **सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

अफ्रीका के साथ भारत का संबंध एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गया है। उभरती शक्तियों का मुकाबला करने, संसाधनों को सुरक्षित करने और अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने के क्रम में भारत का अफ्रीका के साथ संबंध सुधारित बहुपक्षवाद तथा विकास-केंद्रित कूटनीति के अपने मूल विदेश नीति लक्ष्य के साथ सहज रूप से संरेखित है।

मुख्य भाग:

अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध का रणनीतिक महत्त्व:

- **चीन के प्रभाव का मुकाबला करना:** चीन बड़े पैमाने पर निवेश और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से अफ्रीका में अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है।
  - **भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए अफ्रीका में विकास परियोजनाएँ शुरू की हैं।**
  - **भारत अफ्रीका के साथ गहन संबंधों को चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में देखता है।**
- **संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना:** अफ्रीका में विश्व का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम तथा प्लैटिनम है। विश्व स्तर पर कोबाल्ट, हीरे, प्लैटिनम एवं यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार अफ्रीका में हैं।
  - **भारत और अफ्रीका के बीच खनिज, कच्चे तेल एवं अन्य संसाधनों का व्यापार होता है।**
  - **इनके बीच संबंधों के मज़बूत होने से भारत को इन संसाधनों के विश्वसनीय स्रोतों को सुरक्षित करने एवं अपने आयात बास्केट में विविधता लाने में सहायता मिलेगी।**
  - **उदाहरण:** भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से आयात करता है।
- **व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार:** अफ्रीका भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये एक विशाल संभावित बाज़ार प्रस्तुत करता है। गहरे संबंध द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, नए निवेश के अवसर पैदा कर सकते हैं एवं वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं।
  - **उदाहरण:** प्रति तीन वर्ष में आयोजित होने वाला भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग पर केंद्रित होता है तथा व्यापार और निवेश के लिये नए मार्ग तलाशता है।
- **समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करना:** हिंद महासागर भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। हिंद महासागर की सीमा से लगे अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, समुद्री डकैती से निपटा जा सकता है और आतंकवाद के खतरों का मुकाबला किया जा सकता है।
  - **उदाहरण:** भारत कई अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे AFINDEX 2023) करता है और उनके समुद्री सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान करता है।
- **वैश्विक नेतृत्व और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना:** भारत स्वयं को विकासशील देशों की अग्रणी आवाज़ के रूप में स्थापित करना चाहता है।
  - **अफ्रीका के साथ मज़बूत संबंध वैश्विक शासन के मुद्दों पर भारत की आवाज़ को मज़बूत करेंगे तथा आपसी हित के मामलों पर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देंगे।**
  - **उदाहरण:** भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (AU) को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अफ्रीकी देशों के अधिक प्रतिनिधित्व के लिये भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

जबकि भारत की अफ्रीका के साथ भागीदारी का रणनीतिक महत्त्व निर्विवाद है, लेकिन इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सैन्य तख्तापलट, अविकसित परिवहन नेटवर्क, अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को नियंत्रित करने जैसे बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ व्यापार के सुचारु प्रवाह में बाधा डाल सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारत को एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो उसके आर्थिक तथा रणनीतिक हितों को गैर-हस्तक्षेप, संप्रभुता के सम्मान एवं सतत् विकास के सिद्धांतों के साथ संतुलित करना। क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व लोगों के बीच संबंधों में अपनी ताकत का लाभ उठाकर, भारत अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता है और अफ्रीकी देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा कर सकता है।

राजव्यवस्था

प्रश्न : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर टिप्पणी करते हुए डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि यह "माननीय या अधिकारी शायद भारत के संविधान में वर्णित सबसे अहम अधिकारी हैं।" क्या आप इस बात से सहमत हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **CAG से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **प्रमुख तर्कों का उपयोग करते हुए डॉ. बी.आर. अंबेडकर के कथन की पुष्टि कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत सरकार की वित्तीय अखंडता और जवाबदेहिता की देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार है।

मुख्य भाग:

भारत के संविधान में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यालय है CAG:

- **सार्वजनिक धन का संरक्षक:** CAG केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से तथा इच्छित उद्देश्यों के लिये किया जाए।
  - **उदाहरण के लिये आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के CAG के हालिया ऑडिट में कहा गया है कि डेटाबेस में 7.5 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे।**
- **संवैधानिक स्वायत्तता:** CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
  - **संविधान में CAG को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के रूप में माना गया है, लेकिन व्यवहार में CAG मुख्य रूप से महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है।**
- **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख:** CAG भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, जो वित्तीय जवाबदेहिता को बनाए रखने और शासन के विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **संसदीय सलाहकार:** CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सिफारिशें सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) जैसी संसदीय समितियों के लिये मूल्यवान इनपुट के रूप में कार्य करती हैं।
  - **वे संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।**
- **शुद्ध आय का प्रमाणन:** CAG किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है तथा उसे प्रमाणित करता है (अनुच्छेद 279)। इस मामले में उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होता है।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान में CAG के महत्त्व पर ज़ोर देने वाला डॉ. बी.आर. अंबेडकर का कथन सही है। सार्वजनिक वित्त की अखंडता को बनाए रखने और सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देने के लिये CAG की स्थिति, अधिकार तथा स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है।

प्रश्न : भारत में हाल ही में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" चर्चा का विषय रहा है। ऐसी प्रणाली को लागू करने के संभावित लाभ एवं हानियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **एक राष्ट्र एक चुनाव को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभों पर प्रकाश डालिये।**
- **इसके नुकसानों पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा के अंतर्गत देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिये एक साथ चुनाव कराना शामिल है।

- **हाल ही में इस अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2023 में एक साथ चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई है।**

मुख्य भाग:

एक साथ चुनाव के संभावित लाभ और नुकसान:

- **लाभ:**
  - **लागत-प्रभावशीलता:** आँकड़ों के अनुसार मात्र लोकसभा के लिये आम चुनाव कराने की लागत लगभग ₹4,000 करोड़ है।
    - अलग-अलग अंतराल पर कई चुनाव कराने से कुल व्यय में काफी वृद्धि होती है।
    - एक साथ चुनाव कराने से सरकार और राजनीतिक दलों के लिये लागत में महत्त्वपूर्ण बचत हो सकती है।
  - **संसाधनों का कुशल उपयोग:** एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक मशीनरी, अर्द्धसैनिक बलों और चुनाव कराने के लिये आवश्यक अन्य संसाधनों की तैनाती में सुधार होगा।
    - इससे बार-बार होने वाले चुनावों के कारण शासन और प्रशासनिक दक्षता में होने वाले व्यवधानों को रोका जा सकेगा।
  - **प्रचार मोड (Campaign Mode) में कमी:** वर्तमान प्रणाली के तहत राजनीतिक दल और नेता निरंतर चुनाव होने के कारण निरंतर प्रचार मोड में रहते हैं, जिससे नीति-निर्माण तथा शासन में बाधा उत्पन्न होती है।
    - एक साथ चुनाव होने से चुनावी व्यवधानों के बिना अपेक्षाकृत लंबे समय तक स्थिर शासन मिल सकता है।
  - **सामाजिक सामंजस्य:** प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में होने वाले उच्च-दाँव (High-stake) वाले चुनावों के कारण प्राय: राजनीतिक दलों द्वारा ध्रुवीकरण अभियान चलाए जाते हैं, जिससे धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक विभाजन बढ़ता है।
    - एक साथ चुनाव कराने से संभावित रूप से ऐसे विभाजनकारी अभियानों की आवृत्ति कम हो सकती है, जिससे सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।
  - **मतदाताओं की भ्राँति का निवारण:** बार-बार चुनाव होने से मतदाता भ्राँति महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से मतदान में कमी आ सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हो सकती है।
    - एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे मतदाताओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- **हानि:**
  - **संघीय सिद्धांतों पर समझौता:** भारत एक विविधतापूर्ण संघीय देश है, जिसके राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे हैं।
    - एक साथ चुनाव कराने से ये विशिष्ट चिंताएँ खत्म हो सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के मुकाबले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को फायदा मिल सकता है, जिससे संघीय ढाँचा कमज़ोर पड़ सकता है।शायद यह इतना लागत प्रभावी न हो: चुनाव आयोग के विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि पाँच वर्ष के चक्र में सभी राज्य और संसदीय चुनाव कराने की लागत प्रति मतदाता प्रतिवर्ष 10 रुपए के बराबर है।
    - अल्पावधि में एक साथ चुनाव कराने से EVM और VVPAT की बहुत बड़ी संख्या में तैनाती की लागत बढ़ जाएगी।
  - **संवैधानिक चुनौतियाँ:** न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान के नेतृत्व में विधि आयोग ने रिपोर्ट दी कि मौजूदा संवैधानिक ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है।
    - एक साथ चुनाव लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि एवं विघटन से संबंधित हैं।
    - इस तरह के संशोधनों का संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
    - प्रणालीगत विफलताओं के प्रति संवेदनशीलता: वर्तमान प्रणाली में यदि किसी राज्य या क्षेत्र को चुनाव के दौरान रसद या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो शेष राज्य प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

- हालाँकि एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत विफलता या व्यवधान संभावित रूप से संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है, जिससे प्रणाली के लचीलेपन से संबंधित चिंताओं में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करने का कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित होना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक साथ चुनाव के संभावित लाभों को प्राप्त करते हुए संघवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक औचित्य के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।

प्रश्न. भारत में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में दबाव समूहों या हित समूहों की भूमिका की व्याख्या कीजिये। उनके प्रभाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- **दबाव समूहों को परिभाषित करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **भारत में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में दबाव समूहों या हित समूहों की भूमिका पर प्रकाश डालिये।**
- **इनके सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा कीजिये।**
- **उचित निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

दबाव समूह और हित समूह समाज के विशिष्ट समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हैं यह सार्वजनिक व्यवस्था एवं सरकारी निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

- **भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में ऐसे समूह नीतिगत निर्माण प्रक्रिया को आकार देने के साथ यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समाज के विभिन्न समूहों की चिंताओं पर ध्यान दिया जाए।**

मुख्य भाग:

भारत में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका:

- **एजेंडा सेटिंग:** दबाव समूह लोगों की चिंताओं को नीति निर्माताओं के समक्ष लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **ये जागरूकता बढ़ाने और नीतिगत एजेंडा को आकार देने के क्रम में लॉबिंग, जन अभियान तथा विरोध प्रदर्शन जैसे तरीकों को अपनाते हैं।**
- **नीति निर्माण:** कई दबाव समूहों के पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है और वे नीति निर्माण में मूल्यवान इनपुट प्रदान करते हैं। ये परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सिफारिशें देते हैं तथा नीतियों में अपने हितों को शामिल करने के लिये वकालत करते हैं।
- **नीति कार्यान्वयन:** दबाव समूह नीतियों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करने के साथ इसके लिये सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। ये नीति कार्यान्वयन के विशिष्ट पहलुओं का समर्थन या विरोध करते हैं, जिससे नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के तरीके पर प्रभाव डाला जा सके।
- **जनमत जुटाना:** दबाव समूहों में कुछ नीतियों के पक्ष में या खिलाफ जनमत जुटाने की क्षमता होती है। वे जनता की भावनाओं को प्रभावित करने हेतु सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, जो नीति निर्माताओं के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

इनके सकारात्मक पहलू:

- **विविध हितों का प्रतिनिधित्व:** दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों जैसे- किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों एवं हाशिये पर स्थित समुदायों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण:** अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (AITUC) और भारतीय मज़दूर संघ (BMS) ने श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने तथा श्रम नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **नियंत्रण एवं संतुलन:** दबाव समूह निगरानीकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं और इस क्रम में यह सरकारी कार्यों एवं नीतियों की निगरानी करते हैं तथा नीति निर्माताओं को उनके निर्णयों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं।
  - **उदाहरण:** ग्रीनपीस इंडिया और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) जैसे पर्यावरण समूह पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा प्रदूषण नियंत्रण एवं सतत् विकास से संबंधित नीतियों को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **विशेषज्ञता एवं ज्ञान:** कई दबाव/हित समूहों के पास अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता होती है, जो सूचित नीति निर्माण में योगदान कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), उद्योग संघों, आर्थिक नीतियों एवं विनियमनों पर सरकार को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के साथ ही सिफारिशें भी करते हैं।

- **जन जागरूकता एवं गतिशीलता:** दबाव समूह विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के साथ उनके उद्देश्यों के लिये समर्थन जुटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नीति निर्माताओं को इन चिंताओं को समाप्त करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** नागरिक समाज समूहों द्वारा संचालित आंदोलन ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को समर्थन प्राप्त हुआ।

उनके प्रभाव के नकारात्मक पक्ष:

- **असंतुलित प्रभाव:** सुव्यवस्थित रूप से वित्तपोषित एवं संगठित दबाव समूह नीति निर्माण पर असंगत प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से कम प्रभावशाली अथवा हाशिये पर रहने वाले समूहों के हितों को कमज़ोर कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** शक्तिशाली व्यावसायिक समूहों द्वारा कॉर्पोरेट समुदाय कभी-कभी ऐसी नीतियों का कारण बन सकती है जो सार्वजनिक कल्याण पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देती हैं।
- **संकीर्ण हित:** दबाव समूह प्राय: अपने विशिष्ट हितों की वकालत करते हैं, जो व्यापक सार्वजनिक हित या अन्य समूहों के हितों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** कृषि सुधारों के विरूद्ध कुछ किसान समूहों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना है, लेकिन इससे सरकार के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन लाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **ध्रुवीकरण एवं संघर्ष:** विभिन्न दबाव समूहों की प्रतिस्पर्द्धी मांगों तथा हितों के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया में ध्रुवीकरण, संघर्ष एवं गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
- **गलत सूचना एवं दुष्प्रचार:** कुछ दबाव समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये गलत सूचना अभियान, प्रचार अथवा यहाँ तक कि हिंसा का सहारा ले सकते हैं, जिससे नीति निर्धारण प्रक्रिया की अखंडता कमज़ोर हो सकती है।
  - **उदाहरण:** सैन्य भर्ती के लिये अग्निपथ योजना के विरुद्ध हालिया विरोध प्रदर्शनों में हिंसा की घटनाएँ हुईं, जिससे रचनात्मक बातचीत में बाधा उत्पन्न हुई।

निष्कर्ष:

संतुलित और प्रभावी नीति निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये, दबाव समूहों की वैध चिंताओं को समायोजित करने के साथ-साथ व्यापक सार्वजनिक हित की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है। समावेशी तथा पारदर्शी परामर्श, मज़बूत विनियामक ढाँचे एवं प्रभावी संघर्ष समाधान तंत्र दबाव समूह के प्रभाव के नकारात्मक पहलुओं को कम करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही उनके सकारात्मक योगदान का उपयोग भी कर सकते हैं।

प्रश्न : भारत में संघवाद की अवधारणा एवं विकासयात्रा की व्याख्या कीजिये। भारत में गठबंधन राजनीति के पुनरुत्थान के बाद भारत के संघीय ढाँचे को मज़बूत करने के क्रम में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए इनके समाधान हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण

- **भारत में संघवाद की अवधारणा का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।**
- **भारत में संघवाद के विकास की व्याख्या कीजिये।**
- **भारत के संघीय ढाँचे में प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये।**
- **भारत के संघीय ढाँचे को मज़बूत करने के लिये समाधान दीजिये।**
- **भारत में संघवाद के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तावित करके निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

भारत में संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विषयों का राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट विभाजन संघ की घटक इकाइयों को उनकी संबंधित भूमिकाओं को दर्शाता है।

भारत में संघवाद का उद्देश्य क्षेत्रीय स्वशासन का पालन करते हुए एकता बनाए रखना है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को समायोजित करने की अनुमति देता है। हालाँकि भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जिसकी विशेषता एक मज़बूत केंद्रीय सरकार है, जिसे अक्सर "अर्द्ध-संघीय" कहा जाता है।

मुख्य भाग:

भारत में संघवाद का विकास:

- **आंतरिक-दल संघवाद (Inner-Party Federalism) (1950-67):**
  - संघवाद के प्रथम चरण के दौरान संघीय सरकार और राज्यों के बीच प्रमुख विवादों का समाधान कॉन्ग्रेस पार्टी के मंचों पर किया जाता था, जिसे राजनीतिक-वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने 'कॉन्ग्रेस प्रणाली' (Congress System) कहा है।
- **अभिव्यंजक संघवाद (Expressive Federalism) (1967-89):**
  - इस चरण में कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्षी

दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच 'अभिव्यंजक' (expressive) तथा अधिक प्रत्यक्ष संघर्षपूर्ण संघीय गतिशीलता के युग को चिह्नित किया गया है।

- **बहुदलीय संघवाद (Multi-Party Federalism) (1990-2014):**
  - इस अवधि में केंद्र-राज्य के मध्य तनाव में कमी देखी गई, साथ ही राज्य शासन के विघटन के लिये केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग में भी कमी आई।
- **टकरावपूर्ण संघवाद (Confrontational Federalism) (2014- 2024):**
  - वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एकल दल बहुमत के साथ एक बार फिर 'प्रभुत्वशाली दल' के प्रभाव वाला संघवाद उभर कर सामने आया। इस अवधि में सत्तारूढ़ दल ने कई राज्यों में भी सत्ता पर अपनी पकड़ मज़बूत की साथ ही टकरावपूर्ण संघवाद का उदय हुआ, जहाँ विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों और केंद्र के बीच महत्त्वपूर्ण विवाद हुए।
- **वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद:** केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के पुनरुत्थान ने क्षेत्रीय दलों को प्रमुख शक्ति दल का दर्जा दिया गया, जो केंद्रीकृत नीति निर्णय की प्रवृत्ति का मुकाबला करता है।

भारत में संघवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **केंद्रीकरण और क्षेत्रवाद में संतुलन:** भारत राष्ट्रीय एकता के लिये केंद्रीय प्राधिकार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिये राज्य स्वायत्तता के बीच की जटिल स्थिति का सामना करता है। मज़बूत केंद्रीय सरकारों को अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मज़बूत क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकते हैं।
  - वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल से परामर्श किये बिना ही हटा दिया। संघीय सिद्धांतों को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में इस कदम की आलोचना की गई।
- **शक्तियों के विभाजन से संबंधित विवाद:** संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से)। कई बार यह विभाजन अस्पष्ट सिद्ध हो सकता है, जिससे अधिकार क्षेत्र को लेकर (विशेष रूप से कृषि या शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने) टकराव उत्पन्न हो सकता है।
  - केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को पंजाब जैसे राज्यों ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि कृषि राज्य सूची का विषय है। यह शक्ति विभाजन की व्याख्या को लेकर जारी विवादों को उजागर करता है।
- **राज्यपाल के पद का दुरुपयोग:** राज्यपाल के पद का दुरुपयोग—विशेष रूप से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने, सरकार गठन में हेरा-फेरी, विधेयकों पर मंज़ूरी न देने और प्राय: केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर होने वाले स्थानांतरण एवं नियुक्तियों से संबंधित मामलों में—चिंता का विषय बनता जा रहा है।
  - अरुणाचल प्रदेश (2016) में सत्तारूढ़ सरकार के पास बहुमत का समर्थन होने के बावजूद राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग :**
  - वर्ष 2000 तक 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया था, जिससे राज्य की स्वायत्तता बाधित हुई। हालाँकि इसका उपयोग कम हुआ है, लेकिन इसका संभावित दुरुपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।
    - वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने पाया कि अनुच्छेद 356 के उपयोग के कम-से-कम एक तिहाई मामले राजनीति से प्रेरित थे।
- **राजकोषीय असंतुलन:**
  - **असमान राजस्व वितरण:** 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी की और इसे 32% से बढ़ाकर 41% करने की अनुशंसा की। राज्य प्राय: शिकायत करते हैं कि उन्हें प्राप्त धन अपर्याप्त है और इसे समय पर वितरित नहीं किया जाता है, जिससे राजकोषीय तनाव उत्पन्न होता है।
    - इसके अलावा, दक्षिणी राज्य प्राय: शिकायत करते हैं कि उत्तरी राज्यों की तुलना में करों में अधिक योगदान के बावजूद उन्हें कम धनराशि प्राप्त होती है और उन्हें उनकी कम जनसंख्या के कारण इस असमानता का सामना करना पड़ता है।
- **अंतर्राज्यीय विवाद:**
  - भारत में अंतर्राज्यीय विवादों में जल बँटवारा, सीमा विवाद और संसाधन आवंटन सहित कई मुद्दे शामिल हैं।
    - तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल बँटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद में कई कानूनी लड़ाइयाँ, हिंसक विरोध प्रदर्शन तथा राजनीतिक गतिरोध देखने को मिले हैं।
- **विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग:** बिहार और आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दल विशेष श्रेणी के दर्जे को अपनी विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों से निपटने तथा सतत् वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं।

- राष्ट्रीय गठबंधन सरकार में शामिल बिहार और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपनी विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों से निपटने तथा सतत् वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विशेष श्रेणी दर्जे (Special Category Status) को एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं।

भारत के संघीय ढाँचे को मज़बूत करने के लिये उठाये गए कदम:

- **संघीय सिद्धांतों और भावना का सम्मान:**
  - **केंद्रीय हस्तक्षेप को कम करना:** केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 (जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देते हैं) के तहत अपनी शक्तियों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिये। इससे राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित होगी।
    - सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिये और अत्यंत आवश्यक मामलों में अंतिम उपाय के रूप में तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिये जब अन्य सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएँ।
  - **अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना:** पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भागीदारी की अनुशंसा की थी।
- **शक्तियों का हस्तांतरण बढ़ाना:** संवैधानिक सूचियों को संशोधित करके, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और लचीलापन देकर, राज्यों तथा स्थानीय निकायों को शक्तियों एवं संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाकर संघवाद को मज़बूत किया जा सकता है।
- **शक्तियों का हस्तांतरण बढ़ाना:**
  - संवैधानिक सूचियों में संशोधन करने, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने आदि के रूप में राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिये शक्तियों एवं संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना:** पुंछी आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि का सुझाव दिया है।
- **अंतर-राज्य परिषद (ISC) को पुनर्जीवित करना:** अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ISC को अधिक प्रभावी मंच के रूप में तैयार करना। इसमें आम नीतियों को विकसित करने के लिये इसे अधिक शक्ति प्रदान कर सकते है।
- **सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना:**
  - सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आर्थिक विकास जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर मिलकर कार्य करते हैं, जिससे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
    - उदाहरण के लिये GST परिषद की स्थापना करना और राज्यों की वित्त पोषण हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये वित्त आयोग के सुझाव को मंज़ूरी देना।
  - प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में राज्य बुनियादी ढाँचे, सार्वजनिक सेवाओं और विनियामक ढाँचे में सुधार करके निवेश एवं प्रतिभा के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इससे पूरे देश में नवाचार और बेहतर शासन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
    - नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से भारत में अधिक मज़बूत और प्रतिस्पर्द्धी संघीय प्रणाली के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI), राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (SHI), समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) आदि जैसे विशिष्ट मापदंडों पर रैंकिंग प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

गठबंधन राजनीति के पुनरुत्थान और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से चिह्नित उभरता राजनीतिक परिदृश्य संघीय ढाँचे को पुनर्परिभाषित करने तथा इसे सुदृढ़ करने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। भारत में संघवाद के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण वह होगा जो इसकी विविधता का जश्न मनाए, सहयोग को बढ़ावा दे और इसके सभी नागरिकों के लिये एक सामंजस्यपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करे।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : "आर्थिक सशक्तीकरण के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।" भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए परिचय लिखिये।**
- **सामाजिक न्याय के लिये एक पूर्वापेक्षा के रूप में आर्थिक सशक्तीकरण पर गहनता से विचार कीजिये।**
- **आर्थिक सशक्तीकरण के लिये उत्प्रेरक के रूप में सामाजिक न्याय की विशेषता वाले प्रमुख तर्कों का उल्लेख कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण एक-दूसरे से जुड़ी अवधारणाएँ हैं जो गरीबी को कम करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों पर केंद्रित हैं।

- **"आर्थिक सशक्तीकरण के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता" उक्त कथन इस धारणा को समाहित करता है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना सामाजिक समानता तथा न्याय को साकार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।**

सामाजिक न्याय के लिये आर्थिक सशक्तीकरण एक पूर्व शर्त:

- **सामाजिक समावेशन में बाधा के रूप में गरीबी:** गरीबी प्राय: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित करती है।
  - **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण इन सेवाओं तक पहुँच प्रदान कर सकता है, जिससे सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा मिलता है।**
  - **उदाहरण:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने ग्रामीण परिवारों को रोज़गार के अवसर और आय सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँचने में मदद मिली है।
- **भागीदारी और एजेंसी को सक्षम बनाना:** गरीबी किसी व्यक्ति की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता को सीमित कर सकती है, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।
  - **कौशल विकास, उद्यमशीलता और वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण सामाजिक प्रक्रियाओं में एजेंसी तथा भागीदारी को बढ़ा सकता है।**
  - **उदाहरण:** स्व-सहायता समूह (SHG) आंदोलन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें घरेलू और सामुदायिक निर्णयों में अपनी बात रखने में सक्षम बनाया गया है।
- **अंतर-पीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ना:** गरीबी, पीढ़ियों तक बनी रह सकती है और सामाजिक गतिशीलता में बाधा डाल सकती है, जिससे असमानताओं में वृद्धि हो सकती है।
  - **आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम जो शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस चक्र को तोड़ सकते हैं तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिये सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।**
  - **उदाहरण:** सुकन्या समृद्धि योजना माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य में निवेश करने के लिये एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करती है, जो वित्तीय असुरक्षा तथा निर्भरता के चक्र को तोड़ती है।

आर्थिक सशक्तीकरण के उत्प्रेरक के रूप में सामाजिक न्याय:

- **प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करना:** समावेशिता को बढ़ावा देने वाली और भेदभाव को संबोधित करने वाली नीतियाँ तथा कार्यक्रम आर्थिक सशक्तीकरण के लिये मार्ग खोल सकते हैं।
  - **उदाहरण:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी आर्थिक प्रगति के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** सामाजिक न्याय के सिद्धांत विकास प्रक्रियाओं में हाशिये पर पड़े और कमज़ोर समूहों को शामिल करने पर ज़ोर देते हैं।
  - **समावेशी विकास दृष्टिकोण आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं और संसाधनों एवं सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित कर सकते हैं।**
  - **उदाहरण:** सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) ने लक्षित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की पहचान की सुविधा प्रदान की है।
- **मानव क्षमताओं का निर्माण:** बेहतर मानव क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली सामाजिक न्याय पहल बेहतर आर्थिक अवसरों और स्थायी आजीविका का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
  - **उदाहरण:** एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित समुदायों के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में सुधार करना है, जिससे उनके भविष्य के आर्थिक सशक्तीकरण की नींव रखी जा सके।

निष्कर्ष:

इस तरह, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण के बीच एक सहक्रियात्मक संबंध है। जो अंतर-असमानताओं को संबोधित करके तथा स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर, भारत समावेशी विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का एक बेहतरीन चक्र का निर्माण कर सकता है व SDG, विशेष रूप से लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता)और लक्ष्य एवं (असमानताओं में कमी) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को तेज़ कर सकता है।

प्रश्न : भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धजनों की संवेदनशीलता पर चर्चा करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।**
- **भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों का उल्लेख कीजिये।**
- **भारत में वृद्धजनों द्वारा सामना की जाने वाली कमज़ोरियों पर चर्चा कीजिये।**
- **वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिये समाधान प्रस्तावित कीजिये।**
- **वृद्धजनों को सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करने के तरीकों पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

WHO द्वारा 60-74 वर्ष की आयु वाले लोगों को वृद्धजनों की श्रेणी में रखा गया है। भारत के संदर्भ में किसी व्यक्ति को वृद्धजन के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भारत की जनगणना द्वारा 60 वर्ष की आयु को माना गया है, जो सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु के साथ मेल खाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 104 मिलियन वृद्धजन (60+ वर्ष) हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। वृद्धजनों (60+) में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में वर्ष 2030 तक 193 मिलियन वृद्धजन होंगे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 13% होगा। UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में वृद्धजनों की संख्या का प्रतिशत 2050 तक दोगुनी हो जाने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का 20% से अधिक है।

मुख्य भाग :

भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक:

- **बढ़ी हुई दीर्घायु:** भारत में बढ़ी हुई दीर्घायु के प्राथमिक चालकों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपचार और निवारक देखभाल में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 में 62.1 से 5.2 की वृद्धि के साथ 67.3 हो गई है।**
- **बेहतर जीवन प्रत्याशा:** स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर पोषण तक पहुँच सहित बेहतर जीवन प्रत्याशा ने भी जीवन अवधि की वृद्धि में योगदान दिया है।
  - **स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता कवरेज़ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई से जलजनित रोगों की व्यापकता में कमी देखी गई है।**
- **प्रजनन दर में कमी:** भारत सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये गए, जो प्रजनन दर को कम करने में सफल रहे हैं।
  - **वर्ष 2019-21 के दौरान आयोजित NFHS के पाँचवें दौर के अनुसार, कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो 2.1 बच्चे प्रति महिला के साथ प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से कम है।**
- **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन :**
  - **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि महिला शिक्षा में वृद्धि और कार्यबल में भागीदारी ने भी प्रजनन दर को कम करने तथा महिलाओं में उच्च शिक्षा के स्तर में वृद्धि में भूमिका निभाई है, जो देरी से विवाह एवं बच्चों की संख्या में कमी से संबंधित है। शहरीकरण से परिवार के मानदंड छोटे होते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चों का पालन-पोषण अधिक महँगा और मांग वाला हो सकता है।**
    - केरल, अपनी उच्च साक्षरता दर और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के लिये जाना जाता है, केरल की भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा तथा सबसे कम प्रजनन दर है। राज्य वृद्धजनों के प्रबंधन में अन्य क्षेत्रों के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

भारत में वृद्धजनों से जुड़ी विभिन्न कमजोरियाँ:

- **दैनिक जीवन की गतिविधियों में प्रतिबंध (ADL):** लगभग 20% वृद्धजनों को दैनिक गतिविधियों में प्रतिबंध का अनुभव होता है, जिसमें स्नान, कपड़े पहनना, खाना आदि बुनियादी स्व-देखभाल गतिविधियाँ शामिल हैं। अकेले रहने वाले या पर्याप्त पारिवारिक सहायता के बिना रहने वाले वृद्धजन अक्सर ADL से जूझते हैं, जिससे उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है तथा देखभाल संबंधी सेवाओं की ज़रूरत बढ़ जाती है।
- **बहु-रुग्णता:** कई दीर्घकालिक बीमारियों का होना वृद्धजनों में एक आम समस्या है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताएँ बढ़ती हैं।
  - **लॉन्गिटूडिनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया (LASI) की रिपोर्ट के अनुसार 75% वृद्धजन एक या एक से अधिक दीर्घकालिक बीमारियों जैसे- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित है।**

- **गरीबी:** आर्थिक कमज़ोरी वृद्धजनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जिनके पास आय के स्थिर स्रोत नहीं हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित करते हैं।
  - **भारत में 40% से अधिक वृद्धजन गरीब वर्ग में आते हैं, जिनमें से लगभग 18.7% बिना आय के जीवन यापन कर रहे हैं। (इंडियन एजिंग रिपोर्ट, 2023)**
- **सामाजिक मुद्दे:** पारिवारिक उपेक्षा, शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं पर कम भरोसा आदि जैसे कारक वृद्धजनों की स्थिति को और भी खराब कर देते हैं।
- **'स्वाभाविक रूप से लिंग आधारित':** जनसंख्या वृद्धजनों के उभरते मुद्दों में से एक "वृद्धजनों का स्त्रीकरण" है, अर्थात् पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उम्र अधिक हैं।
  - **भारत की जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 1951 में वृद्धजनों का लिंग अनुपात काफी अधिक (1028) था, जो बाद में वर्ष 1971 में घटकर लगभग 938 हो गया, लेकिन अंततः वर्ष 2011 में बढ़कर 1033 हो गया।**

भारत में वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिये उठाए गए कदम:

- **अभाव से सुरक्षा:** वृद्धजनों के लिये सम्मानजनक जीवन की ओर पहला कदम उन्हें अभाव और उसके साथ आने वाली सभी वंचनाओं से बचाना है। पेंशन के रूप में नकद राशि कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने तथा अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है।
- **अग्रणी लोगों का अनुकरण करना:** दक्षिणी राज्यों और भारत के ओडिशा तथा राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं।
- **बुज़ुर्ग महिलाओं की चिंताओं को पहचानना:** नीति को विशेष रूप से अधिक कमज़ोर और आश्रित वृद्ध एकल महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिये ताकि वे सम्मानजनक एवं स्वतंत्र जीवन जी सकें।
- **अभाव से सुरक्षा:**
  - **वृद्धजनों के लिये सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें अभाव और इससे उत्पन्न सभी वंचनाओं से बचाया जाए। पेंशन के रूप में प्रदत्त नकद राशि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है।**
- **अग्रणी राज्यों का अनुकरण करना:**
  - **दक्षिणी राज्यों और ओडिशा एवं राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति प्राप्त कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं।**
- **वृद्ध महिलाओं की चिंताओं को चिह्नित करना:**
  - **नीति में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाना चाहिये कि भारत में महिलाएँ औसतन पुरुषों की तुलना में तीन वर्ष अधिक जीती हैं। अनुमान है कि वर्ष 2026 तक वृद्धजनों का लिंग अनुपात बढ़कर 1060 हो जाएगा। चूँकि भारत में महिलाएँ आमतौर पर अपने पतियों से कम आयु की होती हैं, इसलिये वे प्रायः वृद्धावस्था में विधवा के रूप में जीवन बिताती हैं।**
- **वृद्धजनों के प्रति धारणा में बदलाव लाना:**
  - **वृद्धजनों को बोझ समझने की धारणा को नवोन्मेषी संस्थाओं और सामाजिक एजेंसियों द्वारा बदला जा सकता है, जो उन्हें सशक्त बनाती हैं तथा उन्हें उत्पादक सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करती हैं।**
    - 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ द थर्ड एज' (U3A) एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जो सेवानिवृत्त और अर्द्ध-सेवानिवृत व्यक्तियों को आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी से लेकर कला तक, विभिन्न विषयों में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।
    - सिंगापुर की 'वरिष्ठजन रोज़गार योजना' (Senior Employment Scheme) नौकरी चाहने वाले वृद्धजनों को ऐसे नियोक्ताओं से मिलाने में मदद करती है जो उनके अनुभव और विश्वसनीयता को महत्त्व देते हैं।

निष्कर्ष:

वृद्धजनों के बारे में लोगों की धारणा को दायित्व से संपत्ति में बदलने में नवोन्मेषी संस्थाएँ और सामाजिक एजेंसियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, रोज़गार, स्वयंसेवा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा सामाजिक समावेश के अवसर प्रदान करके नीतिगत पहलों को वृद्धजनों को सशक्त बनाना चाहिये एवं उन्हें सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करना चाहिये।

प्रश्न : भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धजनों की संवेदनशीलता पर चर्चा करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।**
- **भारत में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों का उल्लेख कीजिये।**
- **भारत में वृद्धजनों द्वारा सामना की जाने वाली कमज़ोरियों पर चर्चा कीजिये।**
- **वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिये समाधान प्रस्तावित कीजिये।**
- **वृद्धजनों को सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करने के तरीकों पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

WHO द्वारा 60-74 वर्ष की आयु वाले लोगों को वृद्धजनों की श्रेणी में रखा गया है। भारत के संदर्भ में किसी व्यक्ति को वृद्धजन के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भारत की जनगणना द्वारा 60 वर्ष की आयु को माना गया है, जो सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु के साथ मेल खाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 104 मिलियन वृद्धजन (60+ वर्ष) हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। वृद्धजनों (60+) में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में वर्ष 2030 तक 193 मिलियन वृद्धजन होंगे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 13% होगा। UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में वृद्धजनों की संख्या का प्रतिशत 2050 तक दोगुनी हो जाने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का 20% से अधिक है।

मुख्य भाग :

भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक:

- **बढ़ी हुई दीर्घायु:** भारत में बढ़ी हुई दीर्घायु के प्राथमिक चालकों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपचार और निवारक देखभाल में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 में 62.1 से 5.2 की वृद्धि के साथ 67.3 हो गई है।**
- **बेहतर जीवन प्रत्याशा:** स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर पोषण तक पहुँच सहित बेहतर जीवन प्रत्याशा ने भी जीवन अवधि की वृद्धि में योगदान दिया है।
  - **स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता कवरेज़ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई से जलजनित रोगों की व्यापकता में कमी देखी गई है।**
- **प्रजनन दर में कमी:** भारत सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये गए, जो प्रजनन दर को कम करने में सफल रहे हैं।
  - **वर्ष 2019-21 के दौरान आयोजित NFHS के पाँचवें दौर के अनुसार, कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो 2.1 बच्चे प्रति महिला के साथ प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से कम है।**
- **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन :**
  - **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि महिला शिक्षा में वृद्धि और कार्यबल में भागीदारी ने भी प्रजनन दर को कम करने तथा महिलाओं में उच्च शिक्षा के स्तर में वृद्धि में भूमिका निभाई है, जो देरी से विवाह एवं बच्चों की संख्या में कमी से संबंधित है। शहरीकरण से परिवार के मानदंड छोटे होते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चों का पालन-पोषण अधिक महँगा और मांग वाला हो सकता है।**
    - केरल, अपनी उच्च साक्षरता दर और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के लिये जाना जाता है, केरल की भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा तथा सबसे कम प्रजनन दर है। राज्य वृद्धजनों के प्रबंधन में अन्य क्षेत्रों के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

भारत में वृद्धजनों से जुड़ी विभिन्न कमजोरियाँ:

- **दैनिक जीवन की गतिविधियों में प्रतिबंध (ADL):** लगभग 20% वृद्धजनों को दैनिक गतिविधियों में प्रतिबंध का अनुभव होता है, जिसमें स्नान, कपड़े पहनना, खाना आदि बुनियादी स्व-देखभाल गतिविधियाँ शामिल हैं। अकेले रहने वाले या पर्याप्त पारिवारिक सहायता के बिना रहने वाले वृद्धजन अक्सर ADL से जूझते हैं, जिससे उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है तथा देखभाल संबंधी सेवाओं की ज़रूरत बढ़ जाती है।
- **बहु-रुग्णता:** कई दीर्घकालिक बीमारियों का होना वृद्धजनों में एक आम समस्या है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताएँ बढ़ती हैं।
  - **लॉन्गिटूडिनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया (LASI) की रिपोर्ट के अनुसार 75% वृद्धजन एक या एक से अधिक दीर्घकालिक बीमारियों जैसे- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित है।**

- **गरीबी:** आर्थिक कमज़ोरी वृद्धजनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जिनके पास आय के स्थिर स्रोत नहीं हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित करते हैं।
  - **भारत में 40% से अधिक वृद्धजन गरीब वर्ग में आते हैं, जिनमें से लगभग 18.7% बिना आय के जीवन यापन कर रहे हैं। (इंडियन एजिंग रिपोर्ट, 2023)**
- **सामाजिक मुद्दे:** पारिवारिक उपेक्षा, शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं पर कम भरोसा आदि जैसे कारक वृद्धजनों की स्थिति को और भी खराब कर देते हैं।
- **'स्वाभाविक रूप से लिंग आधारित':** जनसंख्या वृद्धजनों के उभरते मुद्दों में से एक "वृद्धजनों का स्त्रीकरण" है, अर्थात् पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उम्र अधिक हैं।
  - **भारत की जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 1951 में वृद्धजनों का लिंग अनुपात काफी अधिक (1028) था, जो बाद में वर्ष 1971 में घटकर लगभग 938 हो गया, लेकिन अंततः वर्ष 2011 में बढ़कर 1033 हो गया।**

भारत में वृद्धजनों को सशक्त बनाने के लिये उठाए गए कदम:

- **अभाव से सुरक्षा:** वृद्धजनों के लिये सम्मानजनक जीवन की ओर पहला कदम उन्हें अभाव और उसके साथ आने वाली सभी वंचनाओं से बचाना है। पेंशन के रूप में नकद राशि कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने तथा अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है।
- **अग्रणी लोगों का अनुकरण करना:** दक्षिणी राज्यों और भारत के ओडिशा तथा राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं।
- **बुज़ुर्ग महिलाओं की चिंताओं को पहचानना:** नीति को विशेष रूप से अधिक कमज़ोर और आश्रित वृद्ध एकल महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिये ताकि वे सम्मानजनक एवं स्वतंत्र जीवन जी सकें।
- **अभाव से सुरक्षा:**
  - **वृद्धजनों के लिये सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें अभाव और इससे उत्पन्न सभी वंचनाओं से बचाया जाए। पेंशन के रूप में प्रदत्त नकद राशि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है।**
- **अग्रणी राज्यों का अनुकरण करना:**
  - **दक्षिणी राज्यों और ओडिशा एवं राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति प्राप्त कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं।**
- **वृद्ध महिलाओं की चिंताओं को चिह्नित करना:**
  - **नीति में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाना चाहिये कि भारत में महिलाएँ औसतन पुरुषों की तुलना में तीन वर्ष अधिक जीती हैं। अनुमान है कि वर्ष 2026 तक वृद्धजनों का लिंग अनुपात बढ़कर 1060 हो जाएगा। चूँकि भारत में महिलाएँ आमतौर पर अपने पतियों से कम आयु की होती हैं, इसलिये वे प्रायः वृद्धावस्था में विधवा के रूप में जीवन बिताती हैं।**
- **वृद्धजनों के प्रति धारणा में बदलाव लाना:**
  - **वृद्धजनों को बोझ समझने की धारणा को नवोन्मेषी संस्थाओं और सामाजिक एजेंसियों द्वारा बदला जा सकता है, जो उन्हें सशक्त बनाती हैं तथा उन्हें उत्पादक सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करती हैं।**
    - 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ द थर्ड एज' (U3A) एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जो सेवानिवृत्त और अर्द्ध-सेवानिवृत व्यक्तियों को आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी से लेकर कला तक, विभिन्न विषयों में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।
    - सिंगापुर की 'वरिष्ठजन रोज़गार योजना' (Senior Employment Scheme) नौकरी चाहने वाले वृद्धजनों को ऐसे नियोक्ताओं से मिलाने में मदद करती है जो उनके अनुभव और विश्वसनीयता को महत्त्व देते हैं।

निष्कर्ष:

वृद्धजनों के बारे में लोगों की धारणा को दायित्व से संपत्ति में बदलने में नवोन्मेषी संस्थाएँ और सामाजिक एजेंसियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, रोज़गार, स्वयंसेवा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा सामाजिक समावेश के अवसर प्रदान करके नीतिगत पहलों को वृद्धजनों को सशक्त बनाना चाहिये एवं उन्हें सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करना चाहिये।

■■■

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : राजकोषीय घाटे में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय समेकन के उपाय सुझाइये। इस संदर्भ में FRBM अधिनियम की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **राजकोषीय घाटे और राजकोषीय समेकन की आवश्यकता को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।**
- **राजकोषीय घाटे में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डालिये।**
- **राजकोषीय समेकन और समावेशी विकास के लिये उपाय सुझाइये।**
- **FRBM अधिनियम की भूमिका पर गहनता से विचार कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

राजकोषीय घाटा एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को मापता है। भारत का वित्त वर्ष 2024 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.63% है।

- **राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - कुल प्राप्ति (उधारी को छोड़कर)**

मुख्य भाग:

राजकोषीय घाटे में योगदान देने वाले कारक:

- **कर राजस्व में कमी:** बड़े अनौपचारिक क्षेत्र और व्यापक कर चोरी/परिहार्य प्रथाओं (Avoidance Practice) के कारण कर आधार सीमित है।
  - **वर्ष 2021-22 में 3.5% आबादी ने आयकर का भुगतान किया, जबकि वर्ष 2022-23 में यह संख्या और कम होकर 2.2% हो गई।**
  - **अक्षम कर प्रशासन और प्रवर्तन तंत्र, राजस्व संग्रह में रिसाव (Leakage) को बढ़ावा देते हैं।**
- **स्थिर राजस्व व्यय:** सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ (केंद्र का वित्त वर्ष 25 का ब्याज व्यय चालू वित्त वर्ष 24 से 11 से 12% बढ़ सकता है), जो ऋण लेने की बढ़ती लागत से प्रेरित है।
  - **खाद्य, उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी में वृद्धि (Ballooning Subsidies), बढ़ती वैश्विक कीमतों तथा अकुशल लक्ष्यीकरण से अधिक बढ़ गई है।**
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि:** सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत बजटीय व्यय वर्ष 2024-25 में वर्ष 2014-15 के स्तर से लगभग 4.5 गुना बढ़ने का अनुमान है।
  - **राजमार्ग, रेलवे और शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जैसे महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम इसके प्रेरक कारक हैं।**
    - रक्षा आधुनिकीकरण और उन्नत सैन्य हार्डवेयर की खरीद भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- **संरचनात्मक कठोरता:** उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों को पुन: आवंटित करने के लिये सीमित लचीलेपन के साथ कठोर व्यय पैटर्न।
  - **राजकोषीय अनुशासन की कमी (FRBM के अपवाद खंड का शोषण) के कारण व्यय में वृद्धि होती है।**
- **बाह्य कारक:** वैश्विक आर्थिक मंदी, व्यापार तनाव, अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतें, विशेष रूप से कच्चे तेल और अन्य आयात-गहन वस्तुओं की कीमतें भारत के आयात बिल, व्यापार संतुलन तथा राजकोषीय स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
  - **उच्च राजकोषीय घाटे के अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसमें ऋण लेने की लागत में वृद्धि, उच्च ब्याज दरें तथा निजी निवेश पर संभावित अतिरेक प्रभाव शामिल हैं।**
  - **इसलिये राजकोषीय समेकन, जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करना और सतत् ऋण स्तर को बनाए रखना शामिल है, जो समावेशी विकास तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक हैं।**

राजकोषीय समेकन और समावेशी विकास के उपाय:

- **राजस्व वृद्धि:** अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाकर और कर छूट को तर्कसंगत बनाकर कर आधार को व्यापक बनाना।

- **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार करना।**

- **व्यय युक्तिकरण (Rationalization):** लाभार्थियों की बेहतर पहचान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी को लक्षित करना।
  - **गैर-उत्पादक व्यय की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे में उत्पादक निवेश को प्राथमिकता देना।**
- **परिणाम-आधारित बजट:** पारंपरिक इनपुट-आधारित बजट से परिणाम-आधारित बजट की ओर बदलाव। यह दृष्टिकोण मापनीय लक्ष्यों और सामाजिक लाभों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है।
- **उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में सुधार:** उत्पाद-आधारित सब्सिडी से पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी प्रणाली में बदलाव, साथ ही संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों से राजकोषीय बोझ कम हो सकता है और सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिल सकता है।

राजकोषीय समेकन में FRBM अधिनियम की भूमिका:

वर्ष 2003 में पेश किया गया FRBM अधिनियम, सरकार को नियम-आधारित राजकोषीय नीति ढाँचे का पालन करने के लिये बाध्य करके राजकोषीय समेकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FRBM अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- **राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को स्थायी स्तर तक कम करने के लिये लक्ष्य निर्धारित करना।**
- **विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिये तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्यों के साथ एक मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य की स्थापना करना।**
- **नियमित रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के माध्यम से राजकोषीय संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।**

निष्कर्ष:

सीमित बचाव प्रावधानों, बाध्यकारी लक्ष्यों और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र के माध्यम से राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम की विश्वसनीयता एवं प्रवर्तनीयता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन व समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।

प्रश्न : क्वांटम कंप्यूटर में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमताएँ हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्निहित सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **क्वांटम कंप्यूटिंग को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।**
- **क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्निहित सिद्धांत बताइये।**
- **क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोगों और संभावित प्रभावों पर गहनता के साथ वर्णन कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का एक ऐसा क्षेत्र जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न तरीकों से सूचना को संसाधित करने के लिये क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है।

- **यह अनूठा दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण कम्प्यूटेशनल गति को बढ़ाने और कुछ समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिये कठिन हैं।**

मुख्य भाग:

क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्निहित सिद्धांत:

- **क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स):** क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स (बाइनरी डिजिट्स) का उपयोग करते हैं, जो 0 या 1 को दर्शा सकते हैं।
  - **दूसरी ओर क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स (क्वांटम बिट्स) का उपयोग करते हैं जो 0 या 1 दोनों अवस्थाओं के सुपरपोज़िशन में एक साथ मौज़ूद हो सकते हैं।**
  - **यह सुपरपोज़िशन क्यूबिट्स को एक साथ कई संभावनाओं को दर्शाने और संसाधित करने की अनुमति देता है।**
- **क्वांटम एंटेंगलमेंट:** दो या अधिक क्यूबिट अनुचित हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि भौतिक पृथक्करण की परवाह किये बगैर उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
  - **एक एंटेंगल क्यूबिट को मापने से दूसरे की स्थिति का शीघ्र पता चल जाता है।**
  - **यह सहसंबद्ध प्रणालियों से जुड़ी जटिल गणनाओं को सक्षम बनाता है, जैसे अणुओं के व्यवहार का अनुकरण करना।**
- **क्वांटम एल्गोरिदम:** पारंपरिक कंप्यूटरों के लिये डिज़ाइन किये गए पारंपरिक एल्गोरिदम, क्वांटम कंप्यूटरों के लिये अनुकूलित नहीं हैं।

- **बड़ी संख्याओं (Large Numbers) के गुणकों के लिये शोर एल्गोरिदम (Shor's Algorithm) जैसे नए एल्गोरिदम विशेष रूप से क्यूबिट के अद्वितीय गुणों का फायदा उठाने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जिससे कुछ समस्याओं के लिये घातांकी (Exponential) गति में वृद्धि होती है।**

क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग और संभावित प्रभाव:

- **सामग्री विज्ञान:** क्वांटम सिमुलेशन परमाणु स्तर पर नई सामग्रियों के गुणों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे सुपरकंडक्टर या उच्च दक्षता वाले सौर सेल जैसी वांछित विशेषताओं वाली सामग्रियों के विकास में तेज़ी आती है।
- **सिमुलेशन और मॉडलिंग:** क्वांटम कंप्यूटर अभूतपूर्व सटीकता के साथ आणविक संरचनाओं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे जटिल क्वांटम सिस्टम का अनुकरण कर सकते हैं।
  - **इस क्षमता के अनुप्रयोग सामग्री विज्ञान, दवाओं की खोज और नए ऊर्जा स्रोतों के विकास में हैं।**
- **मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान:** क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझने और उन घटनाओं की खोज करने में सहायता कर सकते हैं, जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटरों पर अनुकरण करना मुश्किल या असंभव है।
  - **इससे उच्च-ऊर्जा भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है।**
- **अनुकूलन और मशीन लर्निंग:** क्वांटम एल्गोरिदम को परिवहन, विनिर्माण और वित्त में संभावित अनुप्रयोगों के साथ रसद एवं नियोजन जैसी जटिल अनुकूलन समस्याओं को हल करने के लिये लागू किया जा सकता है।
- **क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा:** क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कुंजी वितरण के माध्यम से नए क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल और सुरक्षित संचार चैनल विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।

हालाँकि वे वर्तमान क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकट भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे RSA और अण्डाकार वक्र (Elliptic Curve) क्रिप्टोग्राफी जैसी व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन विधियों को कुशलतापूर्वक विघटित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

यद्यपि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, तथापि त्रुटि सुधार और मापनीयता जैसी चुनौतियों पर काबू पाने के लिये अनुसंधान तथा विकास के प्रयास जारी हैं, इसमें क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार संभावनाएँ हैं।

प्रश्न : समावेशी विकास हासिल करने के लिये वित्तीय समावेशन महत्त्वपूर्ण है। भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति और उसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **वित्तीय समावेशन को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये**
- **भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति पर प्रकाश डालिये**
- **मौजूद चुनौतियों पर विचार कीजिये**
- **आगे की राह सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

वित्तीय समावेशन समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और बैंक रहित आबादी के लिये बैंक खाते, ऋण, बीमा एवं भुगतान जैसे किफायती व उचित वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

- **यह हाशिये पर रहे समुदायों की आर्थिक भागीदारी और सशक्तीकरण को सक्षम करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

मुख्य भाग :

भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति:

- **खाता खोलना:** जून 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 52 करोड़ से अधिक लाभार्थी खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें जमा राशि 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
  - **यह योजना बुनियादी बैंकिंग खाते और ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आ जाते हैं।**
- **बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार:** पहुँच बढ़ाने के लिये भारत ने शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) सहित बैंकिंग अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण विस्तार देखा है।
  - **निजी बैंकों ने 2015 से शाखाओं की संख्या में 60% की वृद्धि की है।**
  - **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी की सुविधा प्रदान की है।**

- **डिजिटल वित्तीय समावेशन:** सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और RuPay कार्ड नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दिया है।
  - **वित्त वर्ष 24 में भारत ने लगभग 131 बिलियन UPI लेनदेन दर्ज किये।**
  - **AePS ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिये आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम किया है।**
- **ऋण पहुँच:** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं ने छोटे व्यवसायों, उद्यमियों तथा वंचित समुदायों के लिये ऋण तक पहुँच को आसान बनाया है।
  - **मार्च 2024 तक, PMMY के तहत 27.75 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।**
- **बीमा कवरेज़:** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ने लाखों कम आय वाले परिवारों को किफायती बीमा कवरेज़ प्रदान किया है।

तत्कालीन चुनौतियाँ:

- **स्थायी लैंगिक अंतर:** प्रगति के बावजूद, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में लैंगिक अंतर बना हुआ है, जिसमें महिलाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - **भारत में महिलाओं के पास 35% बैंक खाते हैं, लेकिन मार्च 2023 तक कुल जमा राशि का केवल 20% ही उनके पास है।**
- **कम वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों में वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा के रूप में कार्य करता है।
  - **हाल ही में किये गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत की केवल 27% आबादी ही वित्तीय रूप से साक्षर है**
- **सीमित खाता उपयोग:** दिसंबर 2023 तक लगभग 20% PMJDY खाते निष्क्रिय थे, जो बुनियादी खातों से परे वित्तीय उत्पादों के सीमित उपयोग को दर्शाता है।
- **वित्तीय समावेशन पहलों की स्थिरता और व्यवहार्यता:** वित्तीय समावेशन पहलों की स्थिरता और व्यवहार्यता बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कई कार्यक्रम सरकारी सब्सिडी या अन्य बैंकिंग सेवाओं से क्रॉस-सब्सिडी पर निर्भर हैं।

आगे की राह

- **वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना:** विशिष्ट जनसांख्यिकी पर लक्षित वित्तीय साक्षरता अभियान व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय उत्पादों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु सशक्त बना सकते हैं।
- **उत्पाद नवाचार:** कम आय वाले समूहों के लिये अनुकूलित सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म ऋण जैसे आवश्यकता-आधारित वित्तीय उत्पादों का विकास, उनकी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
- **फिनटेक का लाभ उठाना:** विभिन्न सरकारी टचपॉइंट्स में फिनटेक समाधानों के आगे एकीकरण से वित्तीय सेवाओं की पहुँच और सामर्थ्य में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **अभय जैसे क्रेडिट परामर्श केंद्र स्थापित करना।**
- **रंगराजन समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करना:** जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने हेतु गरीबों के लिये वित्तीय सेवाओं के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में सूक्ष्म बीमा को बढ़ावा देना।
  - **सहकारी ऋण प्रणाली के लिये पुनरुद्धार पैकेज को लागू करना ताकि वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका को मज़बूत किया जा सके और इसके लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा सके।**
  - **छोटे और काश्तकारों जैसे मध्यम वर्ग के ग्राहकों को बिना किसी ज़मानत के ऋण देने के लिये जेएलजी मॉडल को अपनाना एवं बढ़ावा देना।**
- **डिजिटल डिवाइड को कम करना:** इंटरनेट पहुँच का विस्तार करना और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि हर कोई डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में भाग ले सके।

निष्कर्ष:

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा सराहनीय है। हालाँकि वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार शेष चुनौतियों का समाधान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि वित्तीय समावेशन का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, जिससे समावेशी एवं स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

प्रश्न : समावेशी विकास हासिल करने के लिये वित्तीय समावेशन महत्त्वपूर्ण है। भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति और उसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **वित्तीय समावेशन को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये**
- **भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति पर प्रकाश डालिये**
- **मौजूद चुनौतियों पर विचार कीजिये**
- **आगे की राह सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय :

वित्तीय समावेशन समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और बैंक रहित आबादी के लिये बैंक खाते, ऋण, बीमा एवं भुगतान जैसे किफायती व उचित वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

- **यह हाशिये पर रहे समुदायों की आर्थिक भागीदारी और सशक्तीकरण को सक्षम करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

मुख्य भाग :

भारत में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति:

- **खाता खोलना:** जून 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 52 करोड़ से अधिक लाभार्थी खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें जमा राशि 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
  - **यह योजना बुनियादी बैंकिंग खाते और ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आ जाते हैं।**
- **बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार:** पहुँच बढ़ाने के लिये भारत ने शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) सहित बैंकिंग अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण विस्तार देखा है।
  - **निजी बैंकों ने 2015 से शाखाओं की संख्या में 60% की वृद्धि की है।**
  - **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी की सुविधा प्रदान की है।**
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन:** सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और RuPay कार्ड नेटवर्क जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दिया है।
  - **वित्त वर्ष 24 में भारत ने लगभग 131 बिलियन UPI लेनदेन दर्ज किये।**
  - **AePS ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिये आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम किया है।**
- **ऋण पहुँच:** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं ने छोटे व्यवसायों, उद्यमियों तथा वंचित समुदायों के लिये ऋण तक पहुँच को आसान बनाया है।
  - **मार्च 2024 तक, PMMY के तहत 27.75 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।**
- **बीमा कवरेज़:** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ने लाखों कम आय वाले परिवारों को किफायती बीमा कवरेज़ प्रदान किया है।

तत्कालीन चुनौतियाँ:

- **स्थायी लैंगिक अंतर:** प्रगति के बावजूद, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में लैंगिक अंतर बना हुआ है, जिसमें महिलाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - **भारत में महिलाओं के पास 35% बैंक खाते हैं, लेकिन मार्च 2023 तक कुल जमा राशि का केवल 20% ही उनके पास है।**
- **कम वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों में वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा के रूप में कार्य करता है।
  - **हाल ही में किये गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत की केवल 27% आबादी ही वित्तीय रूप से साक्षर है**
- **सीमित खाता उपयोग:** दिसंबर 2023 तक लगभग 20% PMJDY खाते निष्क्रिय थे, जो बुनियादी खातों से परे वित्तीय उत्पादों के सीमित उपयोग को दर्शाता है।
- **वित्तीय समावेशन पहलों की स्थिरता और व्यवहार्यता:** वित्तीय समावेशन पहलों की स्थिरता और व्यवहार्यता बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कई कार्यक्रम सरकारी सब्सिडी या अन्य बैंकिंग सेवाओं से क्रॉस-सब्सिडी पर निर्भर हैं।

आगे की राह

- **वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना:** विशिष्ट जनसांख्यिकी पर लक्षित वित्तीय साक्षरता अभियान व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय उत्पादों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु सशक्त बना सकते हैं।
- **उत्पाद नवाचार:** कम आय वाले समूहों के लिये अनुकूलित सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म ऋण जैसे आवश्यकता-आधारित वित्तीय उत्पादों का विकास, उनकी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

नोट :

- **फिनटेक का लाभ उठाना:** विभिन्न सरकारी टचपॉइंट्स में फिनटेक समाधानों के आगे एकीकरण से वित्तीय सेवाओं की पहुँच और सामर्थ्य में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **अभय जैसे क्रेडिट परामर्श केंद्र स्थापित करना।**
- **रंगराजन समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करना:** जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने हेतु गरीबों के लिये वित्तीय सेवाओं के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में सूक्ष्म बीमा को बढ़ावा देना।
  - **सहकारी ऋण प्रणाली के लिये पुनरुद्धार पैकेज को लागू करना ताकि वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका को मज़बूत किया जा सके और इसके लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा सके।**
  - **छोटे और काश्तकारों जैसे मध्यम वर्ग के ग्राहकों को बिना किसी ज़मानत के ऋण देने के लिये जेएलजी मॉडल को अपनाना एवं बढ़ावा देना।**
- **डिजिटल डिवाइड को कम करना:** इंटरनेट पहुँच का विस्तार करना और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि हर कोई डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में भाग ले सके।

निष्कर्ष:

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा सराहनीय है। हालाँकि वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार शेष चुनौतियों का समाधान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि वित्तीय समावेशन का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, जिससे समावेशी एवं स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

प्रश्न : मूल्यांकन कीजिये कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इसके साथ ही इनकी वित्तीय एवं परिचालन बाधाओं को दूर करने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर:

हल करने का दृष्टिकोण:

- **विकास के उत्प्रेरक के रूप में MSMEs को रेखांकित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **MSMEs को भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में प्रदर्शित करने वाले तर्कों का उल्लेख कीजिये।**
- **MSMEs के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। उनकी वित्तीय एवं परिचालन बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइये।**
- **उचित निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत के आर्थिक ढाँचे की आधारशिला हैं, जो उद्यमशीलता, रोज़गार सृजन तथा समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

- **हाल के वर्षों में इनका महत्त्व (खासकर भारत की आत्मनिर्भरता, सतत् विकास एवं 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की आकांक्षाओं के मद्देनजर) और भी बढ़ गया है।**

मुख्य भाग

भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में MSMEs:

- **रोज़गार सृजन:** यह क्षेत्र भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।
  - **भारत में 11.10 करोड़ नौकरियों में से MSMEs क्षेत्र द्वारा 360.41 लाख नौकरियाँ प्रदान की जाती हैं।**
    - ये नौकरियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं।
  - **इसके अलावा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से 7 मिलियन से अधिक कारीगरों को रोज़गार मिलता है।**
- **जीडीपी और निर्यात में योगदान:** भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का लगभग 30% योगदान है और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 45% है।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** विविध सामाजिक-आर्थिक समूहों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, यह क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ समान धन वितरण सुनिश्चित करता है।
  - **स्थानीय प्रतिभा और स्वदेशी कौशल हेतु इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करते हुए यह क्षेत्र महिला उद्यमियों को सशक्त बनाता है।**
  - **इसका एक उदाहरण केरल का कुदुंबश्री मिशन है, जिसके द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का रूपांतरण हो रहा है।**
  - **इसके अलावा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 1.38 लाख परियोजनाओं की शुरुआत की गई है।**
- **नवाचार और अनुकूलनशीलता:** यह क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में बाज़ार में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक लचीला और अनुकूलनीय है तथा अक्सर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों को विकसित करने में इसकी अग्रणी भूमिका रहती है।

- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन हेतु यह महत्त्वपूर्ण होने के साथ अभिनव व्यापार मॉडल के लिये परीक्षण आधार के रूप में कार्य करता है।**
- **पेटीएम और ओला जैसे कई सफल स्टार्ट-अप छोटे उद्यमों के रूप में शुरू हुए, जिनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में क्रांति लाई गई।**

- **बड़े उद्योगों को समर्थन:** बड़े उद्योगों के लिये सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए, यह क्षेत्र आपूर्ति शृंखला का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनता है और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **यह क्षेत्र मेक इन इंडिया पहल की सफलता के लिये आवश्यक होने के साथ विशिष्ट सेवाएँ और उत्पाद प्रदान करता है।**
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** यह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद करने के साथ स्थानीय रोज़गार प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करता है।
  - **इसमें स्थानीय संसाधनों एवं कौशल का बेहतर उपयोग होने से सतत् विकास को बढ़ावा मिलने के साथ औद्योगिक समूहों के विकास में योगदान मिलता है।**
  - **उदाहरण के लिये, कानपुर में चमड़ा क्लस्टर ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:** यह क्षेत्र पारंपरिक कला तथा शिल्प को संरक्षित करने के साथ सांस्कृतिक पर्यटन एवं भारत की सॉफ्ट पावर में योगदान देता है।
  - **यह CSR गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय सामुदायिक विकास का समर्थन करता है।**
  - **इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में चंदेरी हथकरघा क्लस्टर है, जो न केवल आजीविका प्रदान करता है बल्कि सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को भी संरक्षित करता है।**

MSMEs से संबंधित चुनौतियाँ:

- **ऋण तक सीमित पहुँच:** MSMEs की अक्सर ऋण तक सीमित पहुँच रहती है क्योंकि बैंक उन्हें उच्च जोखिम वाले उधारकर्त्ताओं के रूप में देखते हैं।
  - **जटिल ऋण प्रक्रियाओं तथा उच्च ब्याज दरों से यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है।**
  - **इसके अलावा इस क्षेत्र से संबंधित हितधारकों में वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों की समझ सीमित है।**
  - **उदाहरण के लिये केवल 16% MSMEs की औपचारिक ऋण तक पहुँच है, जिनमें से कई अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।**
- **तकनीकी का पुराना होना:** प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिये कई MSMEs के पास आवश्यक धन की कमी रहती है जिससे इन्हें बड़ी एवं तकनीकी रूप से उन्नत फर्मों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना मुश्किल हो जाता है।
  - **अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक सीमित पहुँच तथा उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने में चुनौतियाँ, इनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में और बाधा डालती हैं।**
- **विपणन और ब्रांडिंग चुनौतियाँ:** MSMEs के पास अक्सर विपणन और ब्रांडिंग के लिये सीमित संसाधन होते हैं, जिससे स्थापित ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना मुश्किल हो जाता है।
  - **उदाहरण के लिये कई हस्तशिल्प उत्पादकों को स्थानीय बाज़ारों से परे अपने उत्पादों का विपणन करना मुश्किल होता है, जिससे इन्हें वैश्विक स्तर के अवसर नहीं मिल पाते हैं।**
- **कुशल कर्मचारियों की कमी:** कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना MSMEs के लिये एक बड़ी चुनौती है। प्रशिक्षण एवं विकास हेतु सीमित संसाधनों तथा कर्मचारी टर्नओवर की अधिकता से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।
  - **उद्योग की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कौशल के बीच अक्सर अंतराल बना रहता है।**
  - **उदाहरण के लिये ऑटो सेक्टर में (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में) कौशल अंतराल बना रहता है।**
- **कच्चे माल की खरीद:** सीमित वित्तीय क्षमता के कारण कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण MSMEs को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  - **उदाहरण के लिये, छोटी कपड़ा इकाइयों को अक्सर कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लाभ एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर असर पड़ता है।**

MSMEs से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के उपाय:

- **ऋण पहुँच को बढ़ाना:** इसके तहत MUDRA और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) जैसी योजनाओं को मज़बूत करना, फिनटेक तथा डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना व वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ावा देना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार सहायता:** इसमें क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु उद्योग-अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा

देना, देश भर में अधिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करना और सब्सिडी तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

- **बाज़ार संबंध और निर्यात संवर्द्धन:** इसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मज़बूत करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा निर्यात-विशिष्ट ऋण एवं बीमा सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कौशल भारत मिशन के तहत कार्यक्रमों का विस्तार करना, उद्योग-विशिष्ट कौशल विकास केंद्रों को प्रोत्साहित करना, MSMEs में प्रशिक्षुता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल हैं।
- **व्यापार करने में सुलभता:** इसके तहत विनियमों को सरल बनाना, एकल-खिड़की निकासी प्रणालियों को बढ़ावा देना, श्रम सुधारों को लागू करना, अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना तथा सरकारी विभागों में समर्पित MSMEs सुविधा प्रकोष्ठ प्रदान करना शामिल हैं।
  - **उदाहरण के लिये, उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया ने MSMEs पंजीकरण को सरल बनाया है और यह इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।**
- **औपचारिकता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना:** इसके तहत पंजीकरण एवं कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना, औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिये लाभ प्रदान करना, डिजिटल भुगतान तथा लेखा प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और MSMEs-विशिष्ट क्लाउड-आधारित समाधान विकसित करना शामिल हैं।
  - **उदाहरण के लिये MSMEs की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से औपचारिकता को प्रोत्साहन मिलने के साथ अधिक इकाइयों को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।**
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और गुणवत्ता में वृद्धि:** इसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना तथा निर्यात-उन्मुख MSMEs क्लस्टर विकसित करना शामिल हैं।
  - **उदाहरण के लिये ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणन योजना से MSMEs की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिली है।**

निष्कर्ष:

MSMEs, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन हैं। बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इनकी वित्तीय तथा परिचालन बाधाओं को हल करके, सरकार इन्हें भारत की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने हेतु सशक्त बना सकती है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न: भारत में हीट वेव की आवृत्ति एवं तीव्रता लगातार बढ़ रही है। भारतीय शहरों में हीट वेव की प्रभावी शमन रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **हीटवेव को परिभाषित करते हुए परिचय लिखिये।**
- **भारत में तीव्र हीटवेव के लिये ज़िम्मेदार कारकों पर प्रकाश डालिये।**
- **भारतीय शहरों में हीटवेव के लिये शमन रणनीतियाँ बताइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

हीटवेव अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है, जिसमें तापमान किसी विशेष क्षेत्र और वार्षिक समय के लिये सामान्य से काफी अधिक होता है। IMD के अनुसार भारत में हीटवेव के दिनों की संख्या वर्ष 1981-1990 के दौरान 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 हो गई है।

मुख्य भाग:

भारत में तीव्र हीटवेव के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव:** तीव्र शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण निर्मित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जो प्राकृतिक परिदृश्यों की तुलना में अधिक ऊष्मा को अवशोषित तथा बनाए रखते हैं। इससे शहरी ऊष्मा द्वीप का निर्माण होता है, जिससे शहरों में हीटवेव की तीव्रता बढ़ जाती है।
  - **उदाहरण के लिये इस प्रभाव के कारण दिल्ली और मुंबई में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान का अनुभव हुआ है।**
- **वनाच्छादन और हरित आवरण का नुकसान:** शहरी क्षेत्रों में वनाच्छादन और हरित स्थानों में कमी ने वनस्पति द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रभावों को कम कर दिया है।
  - **बेंगलुरु जैसे शहरों में हरित आवरण के नुकसान ने हीटवेव की तीव्रता की वृद्धि में योगदान दिया है।**
- **जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग:** जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि ने भारत में हीटवेव की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता को बढ़ा दिया है।
- **तैयारी और अनुकूलन उपायों का अभाव:** कई भारतीय शहरों में हीटवेव से निपटने के लिये पर्याप्त तैयारी तथा अनुकूलन उपायों का अभाव है।

- **शीतलन अवसंरचना तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और हीटवेव जोखिमों के बारे में अपर्याप्त सार्वजनिक जागरुकता उसके प्रभावों की गंभीरता में योगदान करती है। कई शहरों में व्यापक हीट एक्शन प्लान की कमी ने आबादी को असुरक्षित बना दिया है।**

- **मानवजनित गतिविधियाँ:** औद्योगिक प्रक्रियाएँ, परिवहन और ऊर्जा खपत जैसी मानवीय गतिविधियाँ अपशिष्ट ऊष्मा तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करती हैं, जो शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग में व योगदान देती हैं।
  - **वर्ष 2024 में दिल्ली में भीषण हीटवेव, जिसमें कुछ क्षेत्रों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा।**

भारतीय शहरों में हीटवेव से निपटने की रणनीतियाँ:

- **ऊष्मा प्रतिरोधी अवसंरचना:** ऊष्मा अवशोषण को कम करने के लिये फुटपाथों और छतों के लिये परावर्तक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **शहरी हरियाली पहल (Urban Greening Initiatives):** प्राकृतिक शीतलन सिंक निर्माण के लिये शहरी वन, पार्क और छत उद्यान (Rooftop Garden) विकसित करना।
  - **इन्सुलेशन प्रदान करने और परिवेशी वायु तापमान को कम करने के लिये भवन के अग्रभाग पर ऊर्ध्वाधर उद्यानों को प्रोत्साहित करना।**
- **हीट एक्शन प्लान:** शहरी स्तर पर व्यापक गर्मी से निपटने के लिये हीट एक्शन प्लान विकसित और कार्यान्वित करना।
  - **इन योजनाओं में गर्मी का पूर्वानुमान, रियल टाइम अलर्ट और गर्मी से संबंधित बीमारियों तथा निवारक उपायों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम शामिल होने चाहिये।**
- **कमज़ोर आबादी तक पहुँच:** बुज़ुर्गों, बच्चों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों जैसी कमज़ोर आबादी तक पहुँच जैसे कार्यक्रमों की पहचान करना तथा उन्हें लक्षित करना, जो हीटस्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन:** विद्युत वितरण को अनुकूलित करने और हीटवेव के दौरान पीक डिमांड को कम करने के लिये स्मार्ट ग्रिड तकनीक लागू करना। इससे विद्युत की कटौती को रोकने में मदद मिल सकती है जो गर्मी के तनाव को बढ़ाती है।

निष्कर्ष:

शहरी नियोजन, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, तकनीकी हस्तक्षेपों और सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, शहर लचीलापन विकसित कर सकते हैं तथा हीटवेव के विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकते हैं, जिससे सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 11: सतत् शहर एवं समुदाय को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

प्रश्न : अनियोजित विकास तथा भीड़भाड़ के कारण शहरी क्षेत्र आपदा जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। शहरी बुनियादी ढाँचे एवं समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक अनुकूलित बनाने हेतु रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **शहरीकरण तथा शहरी बुनियादी ढाँचे पर बढ़ते दबाव का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **इस बात पर प्रकाश डालिये कि किस प्रकार अनियोजित विकास एवं भीड़भाड़ से शहर आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।**
- **शहरी बुनियादी ढाँचे एवं समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक अनुकूलित बनाने हेतु रणनीतियाँ बताइये।**
- **SDG की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय:

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक आबादी में लगभग 70% की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की होने से शहरी बुनियादी ढाँचे एवं प्रणालियों पर काफी दबाव पड़ेगा।

- **शहरीकरण एक वैश्विक घटना है लेकिन इसके असंतुलित होने से यह आपदा का कारण बनता है।**

अनियोजित विकास और भीड़भाड़ के कारण शहर आपदा के केंद्र बन जाते हैं जैसे:

- **बुनियादी ढाँचे की वहनीय क्षमता सीमित होना:**
  - **अवरुद्ध जल निकासी प्रणालियाँ:** अनियोजित निर्माण गतिविधियों से अक्सर प्राकृतिक जल निकासी चैनलों एवं आर्द्रभूमि का अतिक्रमण होता है।
    - इससे शहर में भारी वर्षा के दौरान जल निकासी के प्रभावी न होने से बाढ़ और जलभराव की समस्या हो जाती है।
    - उदाहरण: गुरुग्राम में जलभराव का आंशिक कारण अनियोजित निर्माण तथा नालियों के जल का अवरुद्ध होना है।

- **सतही अपवाह में वृद्धि:** अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से प्राकृतिक परिदृश्य, कंक्रीट में रूपांतरित हो रहे हैं।
  - इससे वर्षा जल का भूमि में रिसाव कम होने से सतही अपवाह में वृद्धि होने के साथ जल निकासी प्रणालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं।
  - उदाहरण: दिल्ली में हीटवेव की लंबी अवधि का संबंध अनियोजित शहरीकरण से है।
- **बुनियादी ढाँचे का प्रभावी न होना:** बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति प्रणाली एवं परिवहन नेटवर्क जैसे मौजूदा बुनियादी ढाँचे का अनियोजित तरीके से विकास हुआ है।
  - इससे ओवरलोडिंग होने से आपदाओं के दौरान चुनौतियों पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है।
  - उदाहरण: विद्युत ग्रिड पर अधिक भार वाले शहरों में चरम मौसमी घटनाओं के दौरान बिजली की कटौती में वृद्धि हो जाती है।

- **सुविधाओं तक सीमित पहुँच एवं परिवहन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - **संकरी गलियाँ एवं भीड़भाड़:** अनियोजित विकास से चौड़ी सड़कों एवं खुली जगहों की अवहेलना की जाती है।
    - इससे संकरी गलियों के साथ भीड़भाड़ की समस्या होने से परिवहन में बाधा आती है।
    - उदाहरण: जापान में वर्ष 2011 की सुनामी के दौरान सीमित निकासी मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले तटीय क्षेत्रों में काफी समस्याएँ आईं।
  - **अनौपचारिक बस्तियाँ एवं झुग्गियाँ:** भीड़भाड़ के कारण अक्सर बाढ़ के मैदानों या पहाड़ी क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों का विकास होता है।
    - इन बस्तियों में बुनियादी ढाँचे का अभाव होने के साथ आपदा का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक एवं आर्थिक क्षति:**
  - **आजीविका का नुकसान एवं विस्थापन:** आपदाओं से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीब तथा हाशिये पर रहने वाले लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - घरों, व्यवसायों एवं बुनियादी ढाँचे के नुकसान से आर्थिक कठिनाई होने के साथ विस्थापन को बढ़ावा मिल सकता है।
    - उदाहरण: वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले एवं कम आय वाले समुदाय व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए।
  - **संसाधनों तक सीमित पहुँच:** भीड़भाड़ से स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।
    - इससे आपदा के बाद की स्थिति से निपटने में समस्या आने के साथ बीमारी के प्रसार के जोखिम को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन में समस्याएँ आईं।

शहरी अनुकूलन बढ़ाने की रणनीतियाँ:

- **उचित शहरी नियोजन:** भू-उपयोग नियोजन में आपदा जोखिम का आकलन शामिल होना चाहिये।
  - **स्थानीय खतरों के अनुरूप बिल्डिंग कोड विकसित और लागू करने के साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करना।**
  - **उदाहरण:** टोक्यो के प्रभावी बिल्डिंग कोड से भूकंप का प्रतिरोध सुनिश्चित होता है।
- **बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाना:** आपदाओं का प्रबंधन करने के क्रम में मौजूदा इमारतों तथा बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार करना चाहिये।
  - **शहरी बाढ़ को रोकने के लिये जल निकासी प्रणालियों में सुधार करने के साथ बहुउद्देश्यीय अनुकूलित बुनियादी ढाँचा विकसित करना चाहिये।**
  - **उदाहरण:** रॉटरडैम के जल संग्रहण क्षेत्र, जो सार्वजनिक स्थान तथा बाढ़ नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं।
- **हरित बुनियादी ढाँचा और प्रकृति-आधारित समाधान:** ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने तथा बाढ़ के जल को अवशोषित करने के लिये शहरी हरित स्थानों के संरक्षण के साथ इनको विस्तारित करना चाहिये।
  - बाढ़ से सुरक्षा के क्रम में हरित आवरणों के साथ शहरी आर्द्रभूमि एवं मैंग्रोव क्षेत्रों का विकास करना चाहिये।
  - सिंगापुर का ABC (सक्रिय, सुंदर, स्वच्छ) जल कार्यक्रम इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया:** विभिन्न खतरों के लिये एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने एवं समुदाय-आधारित आपदा प्रतिक्रिया दल स्थापित करने के साथ निर्दिष्ट सुरक्षित आश्रय बनाए जाने चाहिये।
- **स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियाँ:** बुनियादी ढाँचे एवं पर्यावरणीय स्थितियों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिये IoT सेंसर का उपयोग करना चाहिये।
  - **आपदा अलर्ट एवं सूचना प्रसार के क्रम में AI-संचालित प्रणाली लागू करने के साथ मोबाइल एप विकसित करने चाहिये।**

- **उदाहरण:** रियो डी जेनेरियो में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिये कई एजेंसियों से डेटा एकीकृत किया जाता है।
- **समावेशी अनुकूलन रणनीतियाँ:** आपदा नियोजन में हाशिये पर पड़े समुदायों की कमज़ोरियों का समाधान करना चाहिये।
  - **सभी समूहों के लिये आपदा सूचना तथा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के साथ समुदाय-आधारित अनुकूलन एवं सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिये।**
  - **सूरत की समावेशी जलवायु अनुकूलन रणनीति (जो झुग्गी समुदायों पर केंद्रित है) इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।**

निष्कर्ष:

आपदा की तैयारियों के मामले में अनियोजित विकास तथा भीड़भाड़ काफी विनाशकारी हैं। धारणीय शहरी नियोजन को प्राथमिकता देकर, लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश करके तथा समुदायों को सशक्त बनाकर हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और भविष्य के लिये सुरक्षित शहरों का निर्माण कर सकते हैं। इस क्रम में हम SDG 11 (धारणीय शहर एवं समुदाय) को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

पर्यावरण

प्रश्न : जैसे-जैसे मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है और वन्यजीवों के आवासों पर अतिक्रमण हो रहा है, वैसे-वैसे मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए परिचय लिखिये।**
- **मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार कारक बताइये।**
- **मानव-पशु सह-अस्तित्व के लिये उपाय सुझाइये।**
- **तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

मानव बस्तियों और वन्यजीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन तनाव में है। भारत में वर्ष 2022-23 के सरकारी आँकड़ों में 8,800 से अधिक जंगली जानवरों के हमले दर्ज किये गए हैं।

- **यह बढ़ता तनाव न केवल सार्वजनिक सुरक्षा बल्कि अनगिनत जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्त्व को भी खतरे में डालता है।**

मुख्य भाग:

बढ़ता मानव-पशु संघर्ष:

- **आवास की हानि और विखंडन:** जैसे-जैसे मानव बस्तियाँ फैलती जा रही हैं, प्राकृतिक आवास नष्ट या विखंडित होते जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों को भोजन, जल और आश्रय की तलाश में मानव-प्रधान क्षेत्रों में जाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। इससे मानव-वन्यजीव मुठभेड़ तथा संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।
  - **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के निर्माण से आवासों के नुकसान और वन्यजीव गलियारों में गड़बड़ी की चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं, जिससे इस क्षेत्र में मानव-पशु संघर्षों में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है।**
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण:** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार तथा प्रवासन पैटर्न में व्यवधान आ रहा है, जिसके कारण वे संसाधनों की तलाश में मानव-वास क्षेत्रों में जा रहे हैं।
  - **हाथी, अफ्रीकी बारहसिंघा (wildebeest) और ज़ेबरा दक्षिणी अफ्रीकी देश में सूखे की स्थिति से बचने के लिये ज़िम्बाब्वे के ह्वांगे नेशनल पार्क को छोड़ रहे हैं।**
- **कृषि का विस्तार और फसल पर हमला:** जैसे-जैसे कृषि गतिविधियाँ वन्यजीवों के आवासों में फैलती हैं, जानवरों द्वारा फसल पर हमला अधिक होता जाता है, जिससे किसानों की ओर से प्रतिशोध और वन्यजीवों के साथ संघर्ष होता है।
  - **असम जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चाय बागानों और कृषि गतिविधियों के विस्तार के कारण फसलों पर हाथियों के हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है।**
- **मानवीय दृष्टिकोण और जागरुकता की कमी:** कुछ मामलों में वन्यजीवों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, उनके पारिस्थितिक महत्त्व के बारे में जागरुकता की कमी और उनके व्यवहार के बारे में गलत धारणाएँ संघर्ष तथा जानवरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में योगदान कर सकती हैं।

मानव-पशु सह-अस्तित्त्व के उपाय:

- **परिदृश्य-स्तरीय योजना:**
  - **आवास गलियारे:** महत्त्वपूर्ण आवास गलियारे स्थापित करना जो खंडित आवासों को जोड़ते हैं, जिससे मानव बस्तियों के साथ संघर्ष के बिना वन्यजीवों की आवाजाही की अनुमति मिलती है।
  - **शहरी नियोजन:** वन्यजीव-अनुकूल शहर बनाने के लिये शहरी नियोजन में हरित स्थानों और वन्यजीव गलियारों को एकीकृत करना।

- **मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना:**
  - **गैर-घातकनिवारक(Non-lethal Deterrent):** बाड़ लगाना, रक्षक जानवरों (पशुधन संरक्षक कुत्ते) को पालना तथा वन्यजीवों को मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिये डराने वाली रणनीति (रोशनी, ध्वनि) का उपयोग करना।
  - **मुआवज़ा संबंधी योजनाएँ:** वन्यजीवों द्वारा पशुओं के शिकार या फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिये योजनाएँ विकसित करना, जिससे वन्यजीवों के प्रति आक्रोश कम हो।
- **सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा:**
  - **जागरुकता कार्यक्रम:** वन अधिकारियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्यजीव संरक्षण और सह-अस्तित्त्व रणनीतियों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना। इससे ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है तथा डर कम हो सकता है।
  - **पारिस्थितिकी पर्यटन और आजीविका के अवसर:** पारिस्थितिकी पर्यटन उपक्रमों को बढ़ावा देना, जो स्थानीय समुदायों के लिये राजस्व उत्पन्न करते हैं, वन्यजीव संरक्षण में निहित रुचि उत्पन्न करते हैं।
- **तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना:**
  - **वन्यजीव निगरानी:** वन्यजीवों की गतिविधियों पर नज़र रखने और संभावित संघर्ष क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के लिये कैमरा ट्रैप, ड्रोन तथा अन्य तकनीकों का उपयोग करना।
  - **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** स्थानीय समुदायों को वन्यजीवों के नज़दीक आने के बारे में सचेत करने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, जिससे निवारक उपाय किये जा सकें।

निष्कर्ष:

आवास संरक्षण, सतत् भूमि उपयोग प्रथाओं, जन जागरुकता और प्रभावी संघर्ष प्रबंधन रणनीतियों के संयोजन को लागू करके, हम मनुष्यों तथा वन्यजीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्त्व का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के लिये विनियामक ढाँचे का विश्लेषण कीजिये। अनुवांशिक संशोधन प्रौद्योगिकी से संबंधित संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण :

- **आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी को परिभाषित करके परिचय दीजिये।**
- **भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के लिये विनियामक ढाँचे पर प्रकाश डालिये।**
- **आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी से जुड़े संभावित लाभों और जोखिमों पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **आगे की राह सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय :

आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी, जिसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है, विशिष्ट जीन को प्रस्तुत करने, हटाने या संशोधित करके किसी जीव की आनुवंशिक सामग्री को बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

भारत में इस तकनीक का अनुप्रयोग एक व्यापक नियामक ढाँचे द्वारा शासित है जिसका उद्देश्य GMOs के लाभों का दोहन करते हुए उनके सुरक्षित विकास, हैंडलिंग और व्यावसायीकरण को सुनिश्चित करना है।

भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के लिये विनियामक ढाँचा:

- **अंब्रेला विधान:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
- **विशिष्ट नियम:** खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण/उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के नियम (1989) GMO के लिये एक विनियामक प्रक्रिया स्थापित करते हैं।
- **कार्यान्वयन निकाय:** आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) GMO के अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण और आयात/निर्यात को स्वीकृति देने के लिये शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है।
  - **पुन: संयोजक DNA सलाहकार समिति (RDAC) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी में विकास की समीक्षा करती है तथा r-DNA अनुसंधान, उपयोग व अनुप्रयोगों में भारत के लिये उपयुक्त एवं उचित सुरक्षा नियमों की सिफारिश करती है।**
- **राज्य-स्तरीय समन्वय:** राज्य जैव सुरक्षा समन्वय समितियाँ (SBCC) और ज़िला स्तरीय समितियाँ (DLC) राज्य तथा ज़िला स्तरों पर कार्यान्वयन का समर्थन करती हैं।

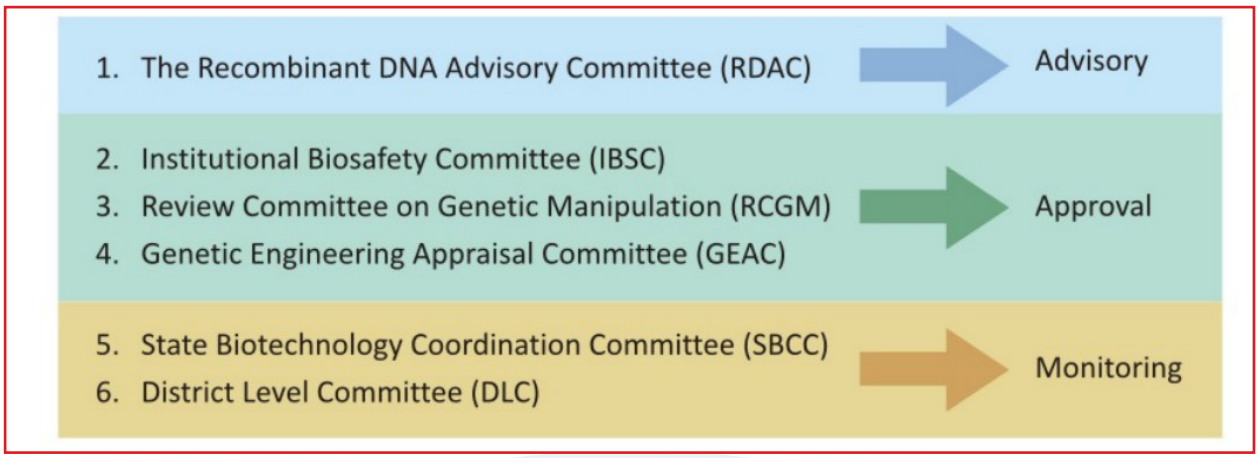

आनुवंशिक संशोधन प्रौद्योगिकी के संभावित लाभ:

- **फसल की पैदावार में वृद्धि:** आनुवंशिक संशोधन कीट प्रतिरोध, सूखा सहिष्णुता और बेहतर पोषक तत्त्व उपयोग जैसे गुणों को शामिल करके फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलता है।
  - **उदाहरण:** बॉलवर्म कीटों का प्रतिरोध करने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास ने भारत में उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- **पोषण की बेहतर गुणवत्ता:** आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से बायोफोर्टिफिकेशन आवश्यक विटामिन, खनिज और पोषक तत्त्वों को बढ़ाकर फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ा सकता है।
  - **उदाहरण:** विटामिन ए से समृद्ध गोल्डन राइस में विकासशील देशों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने की क्षमता है।
- **कीटनाशक और शाकनाशी के उपयोग में कमी:** कीट प्रतिरोध या शाकनाशी सहिष्णुता के लिये आनुवंशिक रूप से इंजीनियर फसलें रासायनिक कीटनाशकों तथा शाकनाशियों की आवश्यकता को कम कर सकती हैं, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे सकती हैं एवं पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती हैं।
- **चिकित्सा और दवा अनुप्रयोग:** आनुवंशिक संशोधन आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों या पौधों के माध्यम से चिकित्सीय प्रोटीन, टीके तथा अन्य चिकित्सा उत्पादों के उत्पादन में योगदान दे सकता है।

संभावित जोखिम और चिंताएँ:

- **पर्यावरणीय जोखिम:** GMO से गैर-लक्ष्यित प्रजातियों (जीन प्रवाह) में ट्रांसजीन का अनपेक्षित प्रसार और जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन पर संभावित प्रभाव प्रमुख चिंताएँ हैं।
- **खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के सेवन से संभावित एलर्जी, विषाक्तता तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएँ हैं, हालाँकि व्यापक अध्ययनों में अब तक कोई महत्त्वपूर्ण जोखिम नहीं पाया गया है।
- **नैतिक और सामाजिक चिंताएँ:** आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का पेटेंट और बड़े निगमों द्वारा बीज उद्योग पर संभावित एकाधिकार पहुँच, सामर्थ्य तथा किसानों के अधिकारों से संबंधित नैतिक एवं सामाजिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **नियामक और जैव सुरक्षा चुनौतियाँ:** मज़बूत जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और जैव सुरक्षा विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ संसाधनों की कमी है।

आगे की राह

- **बाज़ार के बाद की निगरानी (Post-Market Monitoring):** पर्यावरण में जारी होने के बाद GMO के दीर्घकालिक प्रभावों को ट्रैक करने के लिये सख्त बाज़ार के बाद की निगरानी कार्यक्रमों को लागू करना।
- **पारदर्शिता और लेबलिंग:** उपभोक्ताओं को चुनने का अधिकार देने के लिये GMO उत्पादों की स्पष्ट लेबलिंग सुनिश्चित करना।
- **तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना:** अनपेक्षित परिणामों को कम करने के लिये CRISPR जैसी नई, अधिक सटीक जीन संपादन तकनीकों पर शोध को बढ़ावा देना।
  - **मंज़ूरी से पहले विशिष्ट GMO से जुड़े संभावित जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु मज़बूत जोखिम मूल्यांकन उपकरण विकसित करना।**

- **संरक्षकता और सह-अस्तित्त्व को बढ़ावा देना:** GMO के जीन प्रवाह को रोकने और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिये अलगाव दूरी (isolation distances), बफर ज़ोन एवं रोकथाम रणनीतियों जैसे मज़बूत जैव सुरक्षा उपायों को लागू करना।
  - **GMO और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम करने के लिये एकीकृत कीट प्रबंधन एवं फसल चक्रण जैसी टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना।**
- **नियमों का सामंजस्य:** GMO के लिये नियमों को सुसंगत बनाने हेतु अन्य देशों के साथ सहयोग करना, एक सुसंगत वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना।
  - **GMO अनुसंधान और जोखिम मूल्यांकन निष्कर्षों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देना।**

निष्कर्ष:

खाद्य सुरक्षा (SDG 2) को बढ़ाने, टिकाऊ कृषि (SDG 2 व 15) को बढ़ावा देने एवं मानव स्वास्थ्य (SDG 3) में योगदान देने हेतु GMO की क्षमता का दोहन करने के लिये एक मज़बूत नियामक ढाँचा, निरंतर निगरानी और समावेशी हितधारक जुड़ाव अनिवार्य है, जबकि इससे जुड़े जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना तथा नैतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना भी ज़रूरी है।

■■■

दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : चंद्रपुर में स्थानीय प्रशासन को दुविधा का सामना करना पड़ा क्योंकि शिवाजी स्टेडियम, जो कि स्थानीय खेलों के लिये एक लोकप्रिय स्थान है लेकिन खराब होता जा रहा है, ढहने के कगार पर था। साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था कोयला खदानों के बंद होने से पीड़ित थी, जिससे बेरोज़गारी बढ़ रही थी और पलायन की समस्या आ रही थी। संयोगवश दो प्रस्ताव ज़िला कलेक्टर की मेज पर आ गए। जिसमें से एक प्रस्ताव में एक कंपनी ने स्टेडियम की ज़मीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की पेशकश की, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार देने का वादा किया गया, जबकि दूसरी ओर भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्थानीय खेल संस्कृति को संरक्षित करने तथा संभावित रूप से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिये स्टेडियम को एक बहु-खेल प्रशिक्षण अकादमी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा।

दोनों प्रस्तावों में स्टेडियम की संपूर्ण ज़मीन की आवश्यकता थी, जिससे टाउन हॉल मीटिंग में तनावपूर्ण चर्चा छिड़ गई। पूर्व एथलीट, बेरोज़गार खनिक और युवा खेल उत्साही आर्थिक स्थिरता तथा अपनी खेल विरासत को संरक्षित करने के बीच उलझे हुए थे। ज़िला कलेक्टर के तौर पर आपको इस स्थिति से निपटना होगा।

शिवाजी स्टेडियम के भविष्य के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

चंद्रपुर पर दोनों निर्णयों (टेक पार्क और खेल परिसर) के संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये।

चंद्रपुर के लिये सतत् दीर्घकालिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये ज़िला कलेक्टर कौन-सी रणनीति अपना सकते हैं?

उत्तर :

परिचय:

चंद्रपुर को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: एक खेल स्टेडियम की हालत खराब होना और दूसरा खदानों के बंद होने से आर्थिक संकट। स्टेडियम एक स्थानीय धरोहर है, जो शहर की खेल संस्कृति का प्रतीक है। वहीं खदानों के बंद होने से बेरोज़गारी और पलायन बढ़ने से शहर का सामाजिक ताना-बाना खतरे में पड़ गया है।

ज़िला कलेक्टर के सामने दो परस्पर अनन्य प्रस्ताव हैं: एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (आर्थिक पुनरुद्धार) तथा एक खेल अकादमी (सांस्कृतिक संरक्षण)।

नैतिक दुविधा:

- **आर्थिक विकास बनाम सांस्कृतिक संरक्षण:** क्या किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की तुलना में रोज़गार सृजन को प्राथमिकता देना नैतिक है?
- **अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक लाभ:** क्या तात्कालिक आर्थिक राहत स्थानीय प्रतिभा एवं गौरव को पोषित करने के दीर्घकालिक लाभों से अधिक होगी?
- **सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत लाभ:** क्या सार्वजनिक भूमि (स्टेडियम) का उपयोग निजी वाणिज्यिक लाभ के लिये करना सही है, भले ही इससे रोज़गार उत्पन्न हो?
- **समानता और पहुँच:** क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभी को लाभान्वित करेगा, या मुख्य रूप से संपन्न लोगों को? इसी तरह से क्या खेल अकादमी सभी के लिये सुलभ होगी या कुछ प्रतिभाशाली लोगों को लाभ पहुँचाएगी?

1. शिवाजी स्टेडियम के भविष्य के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हितधारक:

हितधारक	हित और चिंताएँ
ज़िला कलेक्टर	सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना।
कंपनी (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स)	नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और लाभप्रदता को सुनिश्चित करना।
भारतीय खेल प्राधिकरण	खेल संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के साथ प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
पूर्व एथलीट	खेलों के लिये स्टेडियम का रखरखाव, विरासत को संरक्षित करना तथा प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना।
बेरोज़गार खनिक	नौकरी के अवसर और आर्थिक स्थिरता की तलाश करना।
युवा खिलाड़ी	खेल सुविधाओं एवं खेल विकास के अवसरों तक पहुँच होना।

स्थानीय व्यवसाय	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या खेल अकादमियों से व्यवसाय एवं आय में संभावित वृद्धि होना।
निर्माण श्रमिक/संघ	किसी भी निर्माण परियोजना से संबंधित रोज़गार के अवसर सृजित होना।
निवासी	सामान्य सामुदायिक कल्याण के साथ संभावित रोज़गार के अवसर एवं स्थानीय विरासत को संरक्षित करना।
मीडिया	विकास, जनमत एवं सार्वजनिक धारणा की रिपोर्टिंग करना।

2. चंद्रपुर के संबंध में दोनों निर्णयों (टेक पार्क और खेल परिसर) के संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संभावित प्रभाव:

- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:**
- **रोज़गार सृजन:** इससे बेरोज़गारी कम होने के साथ पलायन में कमी आ सकती है।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि से निवेश आकर्षित हो सकता है।
- **शहरी विकास:** एक आधुनिक परिसर से शहर के बुनियादी ढाँचे एवं आकर्षण में वृद्धि हो सकती है।
- **सामाजिक-आर्थिक नुकसान:**
  - **सांस्कृतिक पहचान का संकट:** स्टेडियम को ध्वस्त करने से स्थानीय गौरव एवं एकता का क्षरण होगा।
  - **असमान लाभ:** इसमें नौकरियाँ कम वेतन वाली हो सकती हैं और इसके मुनाफे से स्थानीय लोगों को कोई खास लाभ नहीं हो सकता है।
  - **दीर्घकालिक स्थिरता:** यदि परिसर विफल हो जाता है, तो इससे एक बड़ा आर्थिक अंतराल विकसित हो सकता है।

खेल अकादमी के संभावित प्रभाव:

- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:**
  - **सांस्कृतिक संरक्षण:** इससे स्थानीय खेल विरासत एवं सामुदायिक गौरव की रक्षा होगी।
  - **प्रतिभा विकास:** इससे राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार होने के साथ क्षेत्र को नई पहचान मिल सकती है।
  - **स्वास्थ्य और सामाजिक सामंजस्य:** खेल शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन एवं सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देते हैं।
  - **अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ:** एक सफल अकादमी खेल पर्यटन संबंधित व्यवसायों को आकर्षित कर सकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक नुकसान:**
  - **सीमित प्रत्यक्ष नौकरियाँ:** इससे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जितनी नौकरियाँ सृजित नहीं हो सकती हैं।
  - **आर्थिक प्रभाव में विलंब:** खेल पर्यटन और एथलीट की सफलता जैसे लाभ दीर्घकालिक तथा अनिश्चित होते हैं।
  - **वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ:** उच्च गुणवत्ता वाली अकादमी को बनाए रखने के लिये निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है।

यह देखते हुए कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विरासत से समझौता किये बिना कहीं और बनाया जा सकता है, जबकि स्टेडियम के स्थान का महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य होता है, नैतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्टेडियम को संरक्षित करना एवं खेल अकादमी का समर्थन करना आवश्यक हो जाता है।

3. चंद्रपुर के लिये सतत् दीर्घकालिक विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये ज़िला कलेक्टर के रूप में अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ:

- **ग्रीन एनर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स:** स्टेडियम को कार्बन-न्यूट्रल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने के क्रम में इसकी छत पर सौर पैनल एवं पवन टर्बाइन को लगाया जाए।
  - **इस पर्यावरण-पहल से हरित-ऊर्जा निवेश के साथ पर्यावरण-पर्यटन आकर्षित हो सकता है, जिससे चंद्रपुर को सतत् विकास में अग्रणी स्थान मिल सकता है।**
- **नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना:** कोयला खनन पर निर्भरता कम करने के लिये नए उद्योगों को आकर्षित करना।
  - **इस क्रम में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और कृषि-आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **चंद्रपुर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड वेलनेस वैली:** स्पोर्ट्स एकेडमी का लाभ उठाकर स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर और वेलनेस सेंटर को आकर्षित करना।
  - **इससे स्वास्थ्य सेवा से संबंधित रोज़गार सृजित होने के साथ मेडिकल पर्यटन को आकर्षित किया जा सकता है तथा चंद्रपुर को एक समग्र स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे एथलीटों एवं आम जनता दोनों को लाभ होगा।**
- **वर्चुअल माइन हेरिटेज पार्क:** चंद्रपुर के खनन इतिहास को प्रदर्शित करने वाले एक पुराने खदान को वर्चुअल संग्रहालय में बदलने के लिये VR/AR तकनीक का उपयोग करना।
  - **इससे पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ पूर्व खनिकों को गाइड के रूप में नौकरी मिल सकती है तथा औद्योगिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है।**

- **खेल-तकनीक के बीच संतुलन:** स्टेडियम के आस-पास "खेल-तकनीक हब" स्थापित करने के लिये तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग करना।
  - **यह हब खेल-संबंधी तकनीक (पहनने योग्य उपकरण, एनालिटिक्स, वर्चुअल प्रशिक्षण) पर ध्यान केंद्रित करने एवं स्टार्टअप को आकर्षित करने के साथ खेल अकादमी को बढ़ावा देते हुए उच्च-कुशल रोज़गार सृजित करेगा।**

निष्कर्ष:

स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और संभावित दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए, शिवाजी स्टेडियम को बहु-खेल प्रशिक्षण अकादमी में बदलना बेहतर विकल्प है। चंद्रपुर की समृद्ध खेल विरासत का त्याग किये बिना वैकल्पिक तरीकों से आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सकती है।

प्रश्न : रियासी के पुलिस अधीक्षक के रूप में आपको तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकवादी हमले के बारे में एक दुखद सूचना मिली है। इस हमले में नौ नागरिकों की जान चली गई, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण हालिया वर्षों में कायम सापेक्षिक शांति भंग हो गई है।

इस समय क्षेत्र में होने वाले हमलों के कारण लोगों में अशांति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यह क्षेत्र आगामी विधानसभा चुनावों के लिये तैयार है। अब आप स्वयं को एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं, जहाँ आपको तत्काल राहत उपायों और आतंकवादी गतिविधियों के इस पुनरुत्थान को संबोधित करने के लिये एक व्यापक रणनीति तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आपका कर्त्तव्य है।

हालाँकि राजनीतिक तनाव भी बहुत अधिक है और आपकी प्रतिक्रिया में कोई भी चूक संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश के लिये दूरगामी परिणाम उत्पन्न कर सकती है।

उत्तर :

परिचय:

रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादी हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में शांति का माहौल उत्पन्न हो गया है। हमले का समय महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ है, जिससे पहले से ही उच्च राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया है।

पुलिस अधीक्षक के रूप में, आपका अत्यावश्यक कार्य पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना, आतंकवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान का सामना करने के लिये एक व्यापक रणनीति तैयार करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में प्रमुख हितधारक कौन-कौन से हैं?

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच अंतर बताइये। न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिये समानता के सिद्धांतों को कानूनी और सामाजिक ढाँचों में कैसे शामिल किया जा सकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर लिखिये।**
- **वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच अंतर बताइये।**
- **कानूनी और सामाजिक ढाँचे में समानता को शामिल करने के तरीके सुझाइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिये दो मौलिक अवधारणाएँ उभर कर सामने आती हैं: वितरणात्मक न्याय, जो सामाजिक लाभों और भारों के निष्पक्ष आवंटन से संबंधित है तथा प्रक्रियात्मक न्याय जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर केंद्रित है।

जैसे-जैसे असमानता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियाँ तीव्र होती जा रही हैं, वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय तथा समानता में सामंजस्य स्थापित करना न केवल एक दार्शनिक आदर्श बन गया है, बल्कि सामाजिक स्थिरता एवं मानव गरिमा के लिये एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गया है।

मुख्य भाग:

वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच अंतर:

पहलू	वितरात्मक न्याय	प्रक्रियात्मक न्याय
मुख्य प्रश्न	"किसको क्या मिलेगा और क्या यह उचित है?"	"क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष है?"
केंद्र	वितरण के परिणाम	निर्णय लेने की प्रक्रिया
मुख्य चिंता	आवंटन की निष्पक्षता	प्रक्रियाओं की निष्पक्षता
महत्त्वपूर्ण तत्त्व	समता, समानता, योग्यता, आवश्यकता	आवाज, तटस्थता, सम्मान, विश्वास
ऐतिहासिक विकास	सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में निहित	प्राकृतिक न्याय के कानूनी सिद्धांतों से विकसित
सिद्धांत	समतावाद, योग्यतावाद, आवश्यकता-आधारित, सामाजिक अनुबंध	उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता, निष्पक्षता
कानूनी उदाहरण	प्रगतिशील कराधान	निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
सामाजिक उदाहरण	सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, कल्याण कार्यक्रम	सार्वजनिक परामर्श, पारदर्शी नियुक्ति
आलोचना	प्रक्रिया के महत्त्व को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है	अनुचित परिणामों को भी उचित बना सकते हैं

कानूनी और सामाजिक ढाँचे में समानता को शामिल करना:

- **समता प्रभावी आकलन:** वंचित समुदायों पर उनके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये नई नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के लिये समता प्रभावी आकलन को लागू करना।
- **इन आकलनों का उपयोग करके सूचित निर्णय लेना, संसाधन आवंटन और सेवा वितरण में समानता को प्राथमिकता देना।**
- **डेटा संग्रहण और विश्लेषण:** असमानताओं की पहचान करने और प्रगति को मापने के लिये नस्ल, जातीयता, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अलग-अलग डेटा एकत्र करना।
- **रुझानों को समझने, अंतराल की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण को सूचित करने के लिये नियमित रूप से डेटा का विश्लेषण करना।**
- **समावेशी नियुक्ति और पदोन्नति प्रथाएँ:** ऐसी नीतियों और प्रथाओं का क्रियान्वयन करना, जो संगठनों के भीतर विविधता, समानता तथा समावेशन को बढ़ावा देती हों, जिसमें न्यायसंगत नियुक्ति प्रक्रियाएँ, निष्पक्ष पदोन्नति मानदंड एवं व्यावसायिक विकास के अवसर शामिल हों।
- **सेवाओं और संसाधनों तक समान पहुँच:** सभी व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास तथा रोज़गार के अवसर जैसी आवश्यक सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- **न्याय और कानून प्रवर्तन में समानता:** नस्लीय भेदभाव को संबोधित करने, कारावास (Incarceration) के विकल्पों को बढ़ावा देने तथा पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण का समर्थन करने जैसे सुधारों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

न्यायपूर्ण समाज की ओर यात्रा जटिल है, जिसके लिये वितरणात्मक और प्रक्रियात्मक न्याय के बीच एक कमज़ोर संतुलन की आवश्यकता होती है, जो समानता के सिद्धांतों से जुड़ा हो। इस संतुलन के लिये प्रयास करके हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहाँ निष्पक्षता को न केवल इस बात से मापा जाता है कि हम क्या आवंटित करते हैं, बल्कि इस बात से भी मापा जाता है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं और क्या हम सबसे कमज़ोर लोगों का उत्थान करते हैं। यह सच्चे न्याय का सार है ताकि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर मिले।

प्रश्न : उपयोगितावाद और कर्त्तव्यवाद के नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिये। निर्णय लेने के अपने दृष्टिकोण में ये सिद्धांत किस प्रकार भिन्न हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **उपयोगितावाद और कर्त्तव्यवाद के उद्भव का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।**
- **उपयोगितावाद और कर्त्तव्यवाद के नैतिक सिद्धांत बताइये।**
- **दोनों के दृष्टिकोणों में मुख्य अंतर बताइये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

नैतिक दर्शन में उचित और अनुचित का निर्धारण करने की खोज ने विभिन्न नैतिक ढाँचों के विकास को जन्म दिया है।

- **इनमें से उपयोगितावाद और कर्त्तव्यवाद दो सबसे प्रभावशाली तथा व्यापक रूप से चर्चित सिद्धांत हैं।**
- **दोनों ही नैतिक दुविधाओं को देखने के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।**

मुख्य भाग:

उपयोगितावाद और कर्त्तव्यवाद के नैतिक सिद्धांत:

- **उपयोगितावाद:**
  - **नैतिक सिद्धांत:** जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा समर्थित उपयोगितावाद, लोगों के लिये समग्र कल्याण को अधिकतम करने पर ज़ोर देता है।
  - **उदाहरण:** बड़ी संख्या में नागरिकों के लिये किफायती आवास के निर्माण के लिये एक ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के नीतिगत निर्णय पर विचार करना।
    - एक उपयोगितावादी सांस्कृतिक स्थल के नुकसान के बावजूद इस कार्रवाई का समर्थन करेगा, क्योंकि इससे अधिक संख्या में लोगों को लाभ होगा।
- **कर्त्तव्यवाद:**
  - **नैतिक सिद्धांत:** कर्त्तव्यवाद, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व इमैनुअल कांट हैं, परिणामों की परवाह किये बिना कार्यों की अंतर्निहित उचितता या अनुचितता पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - इस मामले में कुछ नैतिक कर्त्तव्यों और सिद्धांतों को निरपेक्ष एवं सार्वभौमिक माना जाता है।
  - **उदाहरण:** ऐसी स्थिति जिसमें कोई सरकारी अधिकारी किसी विदेशी अधिकारी को रिश्वत देकर कोई महत्त्वपूर्ण आर्थिक सौदा हासिल कर सकता है।
    - देश की अर्थव्यवस्था के लिये संभावित लाभ के बावजूद, एक कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रिश्वतखोरी पर आपत्ति करेगा क्योंकि यह ईमानदारी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

दोनों के दृष्टिकोणों में मुख्य अंतर:

पहलू	उपयोगितावाद	कर्त्तव्यवाद
केंद्र	कार्यों के परिणाम	नैतिक नियमों या कर्त्तव्यों का पालन
निर्णय का आधार	परिणाम और समग्र कल्याण	नैतिक कानूनों के प्रति आशय और पालन
लचीलापन	उच्च; परिणामों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन	निम्न; नियमों के अनुरूप कार्यों का मूल्यांकन
महत्त्वपूर्ण प्रश्न	"सर्वोत्तम परिणाम किससे प्राप्त होता है?"	"मेरे नैतिक कर्त्तव्य क्या हैं?"
मुख्य आलोचना	अच्छे उद्देश्यों के लिये अनैतिक साधनों को उचित ठहराया जा सकता है	कठोर, अव्यावहारिक निर्णय हो सकते हैं
अनुप्रयोग	प्राय: लोक नीति, अर्थशास्त्र में	प्राय: व्यक्तिगत नैतिकता, मानवाधिकारों में

निष्कर्ष:

वास्तविक जीवन की नैतिक दुविधाओं की जटिलता में दोनों सिद्धांतों की सूक्ष्म समझ मूल्यवान है। प्रभावी नैतिक तर्क के लिये प्राय: कर्त्तव्यों और अधिकारों के लिये कर्त्तव्यनिष्ठ समझ को परिणामों तथा समग्र कल्याण के उपयोगितावादी विचार के साथ संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

नोट :

प्रश्न : नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार, नैतिकता किसी विशेष संस्कृति या समाज के सापेक्ष होती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **नैतिक सापेक्षवाद को परिभाषित करके परिचय दीजिये।**
- **नैतिक सापेक्षवाद के पक्ष में तर्क दीजिये।**
- **नैतिक सापेक्षवाद के विरुद्ध तर्कों पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **संतुलित निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय :

नैतिक सापेक्षवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि नैतिक निर्णय निरपेक्ष या सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि किसी विशेष संस्कृति या समाज के मानदंडों और मूल्यों के सापेक्ष होते हैं।

- **यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों के विचार को चुनौती देता है जो प्रत्येक व्यक्ति और स्थान पर लागू होते हैं।**

नैतिक सापेक्षवाद के लिये तर्क:

- **सांस्कृतिक विविधता और सम्मान:** विभिन्न समाजों ने सदियों के विकास के दौरान अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराएँ, विश्वास प्रणाली और मूल्य प्रणाली विकसित की हैं।
  - **नैतिक सापेक्षवाद इस विविधता को स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है।**
  - **उदाहरण:** बहुविवाह की प्रथा, जिसे कुछ संस्कृतियों में स्वीकार की जाती है लेकिन दूसरी संस्कृतियों में इस प्रथा को अनैतिक माना जाता है।
- **नैतिक मानदंड और सामाजिक विकास में परिवर्तन:** नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांत स्थिर नहीं हैं; वे समय के साथ समाज के भीतर विकसित होते एवं बदलते रहते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी विकास से प्रभावित होते हैं।
  - **नैतिक सापेक्षवाद, बदलते सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर नैतिक मानदंडों के इस अनुकूलन व विकास की अनुमति देता है।**
  - **उदाहरण:** समान-लिंग संबंधों और LGBTQ+ अधिकारों की क्रमिक स्वीकृति, जिनकी पहले निंदा की जाती थी या उन्हें अपराधी माना जाता था।
- **नैतिक साम्राज्यवाद से बचना:** नैतिक सापेक्षवाद एक संस्कृति के नैतिक मूल्यों को दूसरी संस्कृति पर थोपने से रोकता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिये सम्मान को बढ़ावा देता है।
  - **यह नैतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा से बचता है, जिसे उत्पीड़न या नव-उपनिवेशवाद के रूप में देखा जा सकता है।**
- **सार्वभौमिक सिद्धांतों की सीमाएँ:** नैतिक सापेक्षवाद का मानना है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। "नुकसान" या "सम्मान" का अर्थ संस्कृतियों के बीच भिन्न हो सकता है।
  - **उदाहरण:** कुछ संस्कृतियों में मृत्युदंड को बर्बर माना जाता है, लेकिन अन्य में इसे न्याय का एक रूप माना जाता है।

नैतिक सापेक्षवाद के विरुद्ध तर्क:

- **सांस्कृतिक प्रथाएँ बनाम सार्वभौमिक त्रुटियाँ:** कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे महिला जननांग विकृति या बाल विवाह, बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। नैतिक सापेक्षवाद हानिकारक परंपराओं को उचित ठहराने का जोखिम उठाता है।
- **आंतरिक असहमति और विविधता को नज़रअंदाज़ करना:** नैतिक सापेक्षवाद संस्कृतियों के भीतर असहमतिपूर्ण मतों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को अनदेखा कर सकता है या दबा सकता है, जिससे नैतिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  - **उदाहरण:** नारीवादी आंदोलन पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और अपने समाजों के भीतर सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं।
- **नैतिक शून्यवाद और नैतिक व्यक्तिपरकता:** जब नैतिक सापेक्षवाद चरम बिंदु पर पहुँच जाता है, तो इसका परिणाम नैतिक शून्यवाद हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें नैतिक निर्णय केवल व्यक्तिपरक और मनमाने होते हैं तथा कोई भी वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांत या सत्य स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
  - **उदाहरण:** व्यक्ति या समूह बिना किसी वस्तुनिष्ठ नैतिक आधार के केवल अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर हानिकारक या अनैतिक कार्यों को उचित ठहराते हैं।
- **नैतिक असंगति और पाखंड:** संस्कृतियाँ या समाज चुनिंदा रूप से सापेक्षतावादी सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, कुछ सार्वभौमिक नैतिक मानकों को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक सुविधा या स्वार्थ के आधार पर दूसरों को अस्वीकार कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** एक संस्कृति जो कुछ मानवाधिकारों के हनन की निंदा करते हुए, राजनीतिक औचित्य या सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों के कारण अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ अन्य दुर्व्यवहार जेसे पूर्वाग्रह को सहन करती है।

- **नैतिक जवाबदेही का अभाव:** नैतिक सापेक्षता नैतिक जवाबदेही को कमज़ोर कर सकती है और अनैतिक कार्यों के लिये व्यक्तियों या समाजों को ज़िम्मेदार ठहराना मुश्किल बना सकती है।
  - **उदाहरण:** नेता या सरकारें सार्वभौमिक नैतिक मानकों के प्रति जवाबदेह हुए बिना, यह दावा करके अत्याचार या उत्पीड़न को उचित ठहराती हैं कि वे उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष:

नैतिक सापेक्षवाद हमें सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति सजग रहने के लिये बाध्य करता है। फिर भी मूल नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। इस जटिल क्षेत्र में मार्गनिर्देशन करने के लिये एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है।

प्रश्न : लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं का विश्लेषण कीजिये। लोक सेवा मूल्यों के आधार पर नैतिक आचरण हेतु दिशा-निर्देश प्रस्तुत कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **सोशल मीडिया के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।**
- **लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताओं को बताइये।**
- **नैतिक आचरण के लिये उचित दिशा-निर्देश प्रस्तावित कीजिये।**
- **उचित निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय :

सोशल मीडिया ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे लोक सेवकों को नागरिकों से जुड़ने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वास बनाने के अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुए हैं। हालाँकि यह शक्तिशाली उपकरण दोधारी तलवार के सामान है।

- **इसका दुरुपयोग जनता के विश्वास को कम कर सकता है, संवेदनशील जानकारी से समझौता कर सकता है और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है।**

मुख्य भाग :

लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताएँ:

- **गोपनीयता और निजता:** लोक सेवकों के पास संवेदनशील जानकारी तक पहुँच होती है और वे गोपनीयता दायित्वों से बँधे होते हैं।
  - **सोशल मीडिया पर भूलवश निजी जानकारी साझा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।**
  - **उदाहरण:** एक आईएएस अधिकारी ने पदनाम की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपने आधिकारिक वाहन के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।
- **हितों का टकराव:** तरजीही उपचार चाहने वाली कंपनियों या व्यक्तियों के साथ सोशल मीडिया पर चर्चा पक्षपात की धारणा उत्पन्न कर सकती है।
  - **उदाहरण:** एक नगर परिषद सदस्य किसी निर्माण कंपनी को अनुबंध देने से पहले सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करता है।
- **गलत सूचना और पक्षपात:** लोक सेवकों को विवादास्पद विषयों पर तटस्थता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, जिससे संभावित रूप से जनता की राय प्रभावित हो सकती है।
  - **उदाहरण:** एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध के बारे में एक असत्यापित समाचार लेख साझा करता है, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता है।
- **प्रतिष्ठा जोखिम:** अनुचित व्यक्तिगत पोस्ट या ऑनलाइन व्यवहार सरकार की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - **उदाहरण:** एक राजनयिक की आपत्तिजनक सोशल मीडिया टिप्पणियाँ (जैसे भारत के प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर मालदीव के राजनेता की हालिया टिप्पणियाँ), एक कूटनीतिक संकट को उत्पन्न करती हैं।
- **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:** व्यक्तिगत जीवन या पक्षपातपूर्ण पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से लोक सेवकों की व्यावसायिकता में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
  - **उदाहरण:** एक सरकारी अधिकारी व्यक्तियों से जुड़ने की तुलना में सेल्फी और भव्य एंट्री वीडियो पोस्ट करने में अधिक समय व्यतीत करता है।
- **सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग:** सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिये।
  - **कार्य समय के दौरान या सरकारी उपकरणों पर सोशल मीडिया का उपयोग संसाधनों का दुरुपयोग माना जा सकता है।**
  - **उदाहरण:** एक सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी वाहनों या कार्यालय परिसर का उपयोग रील बनाने के लिये करता है।

नैतिक आचरण के लिये प्रस्तावित दिशा-निर्देश:

- **मज़बूत सोशल मीडिया प्रशिक्षण लागू करना:** सभी लोक सेवकों के लिये सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

- **प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना और सोशल मीडिया के उभरते रुझानों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता।**

- **स्पष्ट सोशल मीडिया नीति:** उत्तर प्रदेश पुलिस की हालिया सोशल मीडिया नीति की तरह एक व्यापक सोशल मीडिया नीति विकसित करना और उसे लागू करना, जो लोक सेवकों के लिये अपेक्षाओं, ज़िम्मेदारियों एवं सीमाओं को रेखांकित करती है।
  - **नीति की समझ और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना।**
- **व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों को अलग करना:** लोक सेवकों को अलग-अलग व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सोशल मीडिया खाते बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - **व्यक्तिगत खातों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिये और उनका उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।**
  - **आधिकारिक संसाधनों का ज़िम्मेदार उपयोग:** डिवाइस, ईमेल खातों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित आधिकारिक संसाधनों के स्वीकार्य उपयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
  - **संसाधनों के दुरुपयोग की निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिये तंत्र स्थापित करना।**
- **पेशेवर आचरण और जवाबदेही:** सोशल मीडिया पर पेशेवर आचरण के उच्च मानक को बनाए रखने के महत्त्व पर ज़ोर देना।
  - **अनुचित पोस्ट या व्यवहार जैसे आचरण के उल्लंघन के लिये अनुशासनात्मक उपायों को लागू करना।**

निष्कर्ष:

व्यापक दिशा-निर्देशों को लागू करने और नैतिक सोशल मीडिया उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने से, लोक सेवक सत्यनिष्ठा, जवाबदेही तथा सार्वजनिक सेवा मूल्यों के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सोशल मीडिया का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न. लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं का विश्लेषण कीजिये। लोक सेवा मूल्यों के आधार पर नैतिक आचरण हेतु दिशा-निर्देश प्रस्तुत कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- **सोशल मीडिया के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।**
- **लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताओं को बताइये।**
- **नैतिक आचरण के लिये उचित दिशा-निर्देश प्रस्तावित कीजिये।**
- **उचित निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय:

सोशल मीडिया ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे लोक सेवकों को नागरिकों से जुड़ने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वास बनाने के अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुए हैं। हालाँकि यह शक्तिशाली उपकरण दोधारी तलवार के सामान है।

- **इसका दुरुपयोग जनता के विश्वास को कम कर सकता है, संवेदनशील जानकारी से समझौता कर सकता है और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है।**

मुख्य भाग :

लोक सेवकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताएँ:

- **गोपनीयता और निजता:** लोक सेवकों के पास संवेदनशील जानकारी तक पहुँच होती है और वे गोपनीयता दायित्वों से बँधे होते हैं।
  - **सोशल मीडिया पर भूलवश निजी जानकारी साझा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।**
  - **उदाहरण:** एक आईएएस अधिकारी ने पदनाम की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपने आधिकारिक वाहन के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।
- **हितों का टकराव:** तरजीही उपचार चाहने वाली कंपनियों या व्यक्तियों के साथ सोशल मीडिया पर चर्चा पक्षपात की धारणा उत्पन्न कर सकती है।
  - **उदाहरण:** एक नगर परिषद सदस्य किसी निर्माण कंपनी को अनुबंध देने से पहले सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करता है।
- **गलत सूचना और पक्षपात:** लोक सेवकों को विवादास्पद विषयों पर तटस्थता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, जिससे संभावित रूप से जनता की राय प्रभावित हो सकती है।
  - **उदाहरण:** एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध के बारे में एक असत्यापित समाचार लेख साझा करता है, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता है।
- **प्रतिष्ठा जोखिम:** अनुचित व्यक्तिगत पोस्ट या ऑनलाइन व्यवहार सरकार की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - **उदाहरण:** एक राजनयिक की आपत्तिजनक सोशल मीडिया टिप्पणियाँ (जैसे भारत के प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर मालदीव के राजनेता की हालिया टिप्पणियाँ), एक कूटनीतिक संकट को उत्पन्न करती हैं।

- **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:** व्यक्तिगत जीवन या पक्षपातपूर्ण पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से लोक सेवकों की व्यावसायिकता में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
  - **उदाहरण:** एक सरकारी अधिकारी व्यक्तियों से जुड़ने की तुलना में सेल्फी और भव्य एंट्री वीडियो पोस्ट करने में अधिक समय व्यतीत करता है।
- **सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग:** सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिये।
  - **कार्य समय के दौरान या सरकारी उपकरणों पर सोशल मीडिया का उपयोग संसाधनों का दुरुपयोग माना जा सकता है।**
  - **उदाहरण:** एक सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी वाहनों या कार्यालय परिसर का उपयोग रील बनाने के लिये करता है।

नैतिक आचरण के लिये प्रस्तावित दिशा-निर्देश:

- **मज़बूत सोशल मीडिया प्रशिक्षण लागू करना:** सभी लोक सेवकों के लिये सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
  - **प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना और सोशल मीडिया के उभरते रुझानों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता।**
- **स्पष्ट सोशल मीडिया नीति:** उत्तर प्रदेश पुलिस की हालिया सोशल मीडिया नीति की तरह एक व्यापक सोशल मीडिया नीति विकसित करना और उसे लागू करना, जो लोक सेवकों के लिये अपेक्षाओं, ज़िम्मेदारियों एवं सीमाओं को रेखांकित करती है।
  - **नीति की समझ और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना।**
- **व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों को अलग करना:** लोक सेवकों को अलग-अलग व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सोशल मीडिया खाते बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - **व्यक्तिगत खातों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिये और उनका उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।**
  - **आधिकारिक संसाधनों का ज़िम्मेदार उपयोग:** डिवाइस, ईमेल खातों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित आधिकारिक संसाधनों के स्वीकार्य उपयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
  - **संसाधनों के दुरुपयोग की निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिये तंत्र स्थापित करना।**
- **पेशेवर आचरण और जवाबदेही:** सोशल मीडिया पर पेशेवर आचरण के उच्च मानक को बनाए रखने के महत्त्व पर ज़ोर देना।
  - **अनुचित पोस्ट या व्यवहार जैसे आचरण के उल्लंघन के लिये अनुशासनात्मक उपायों को लागू करना।**

निष्कर्ष:

व्यापक दिशा-निर्देशों को लागू करने और नैतिक सोशल मीडिया उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने से, लोक सेवक सत्यनिष्ठा, जवाबदेही तथा सार्वजनिक सेवा मूल्यों के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सोशल मीडिया का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न. नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार, नैतिकता किसी विशेष संस्कृति या समाज के सापेक्ष होती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण :

- **नैतिक सापेक्षवाद को परिभाषित करके परिचय दीजिये।**
- **नैतिक सापेक्षवाद के पक्ष में तर्क दीजिये।**
- **नैतिक सापेक्षवाद के विरुद्ध तर्कों पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **संतुलित निष्कर्ष दीजिये।**

परिचय :

नैतिक सापेक्षवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि नैतिक निर्णय निरपेक्ष या सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि किसी विशेष संस्कृति या समाज के मानदंडों और मूल्यों के सापेक्ष होते हैं।

- **यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों के विचार को चुनौती देता है जो प्रत्येक व्यक्ति और स्थान पर लागू होते हैं।**

नैतिक सापेक्षवाद के लिये तर्क:

- **सांस्कृतिक विविधता और सम्मान:** विभिन्न समाजों ने सदियों के विकास के दौरान अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराएँ, विश्वास प्रणाली और मूल्य प्रणाली विकसित की हैं।
  - **नैतिक सापेक्षवाद इस विविधता को स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है।**
  - **उदाहरण:** बहुविवाह की प्रथा, जिसे कुछ संस्कृतियों में स्वीकार की जाती है लेकिन दूसरी संस्कृतियों में इस प्रथा को अनैतिक माना जाता है।
- **नैतिक मानदंड और सामाजिक विकास में परिवर्तन:** नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांत स्थिर नहीं हैं; वे समय के साथ समाज के भीतर विकसित होते एवं बदलते रहते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी विकास से प्रभावित होते हैं।
  - **नैतिक सापेक्षवाद, बदलते सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर नैतिक मानदंडों के इस अनुकूलन व विकास की अनुमति देता है।**

- **उदाहरण:** समान-लिंग संबंधों और LGBTQ+ अधिकारों की क्रमिक स्वीकृति, जिनकी पहले निंदा की जाती थी या उन्हें अपराधी माना जाता था।

- **नैतिक साम्राज्यवाद से बचना:** नैतिक सापेक्षवाद एक संस्कृति के नैतिक मूल्यों को दूसरी संस्कृति पर थोपने से रोकता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिये सम्मान को बढ़ावा देता है।
  - **यह नैतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा से बचता है, जिसे उत्पीड़न या नव-उपनिवेशवाद के रूप में देखा जा सकता है।**

सार्वभौमिक सिद्धांतों की सीमाएँ: नैतिक सापेक्षवाद का मानना है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। "नुकसान" या "सम्मान" का अर्थ संस्कृतियों के बीच भिन्न हो सकता है।

- **उदाहरण:** कुछ संस्कृतियों में मृत्युदंड को बर्बर माना जाता है, लेकिन अन्य में इसे न्याय का एक रूप माना जाता है।

नैतिक सापेक्षवाद के विरुद्ध तर्क:

- **सांस्कृतिक प्रथाएँ बनाम सार्वभौमिक त्रुटियाँ:** कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे महिला जननांग विकृति या बाल विवाह, बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। नैतिक सापेक्षवाद हानिकारक परंपराओं को उचित ठहराने का जोखिम उठाता है।
- **आंतरिक असहमति और विविधता को नज़रअंदाज़ करना:** नैतिक सापेक्षवाद संस्कृतियों के भीतर असहमतिपूर्ण मतों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को अनदेखा कर सकता है या दबा सकता है, जिससे नैतिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  - **उदाहरण:** नारीवादी आंदोलन पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और अपने समाजों के भीतर सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं।
- **नैतिक शून्यवाद और नैतिक व्यक्तिपरकता:** जब नैतिक सापेक्षवाद चरम बिंदु पर पहुँच जाता है, तो इसका परिणाम नैतिक शून्यवाद हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें नैतिक निर्णय केवल व्यक्तिपरक और मनमाने होते हैं तथा कोई भी वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांत या सत्य स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
  - **उदाहरण:** व्यक्ति या समूह बिना किसी वस्तुनिष्ठ नैतिक आधार के केवल अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर हानिकारक या अनैतिक कार्यों को उचित ठहराते हैं।
- **नैतिक असंगति और पाखंड:** संस्कृतियाँ या समाज चुनिंदा रूप से सापेक्षतावादी सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, कुछ सार्वभौमिक नैतिक मानकों को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक सुविधा या स्वार्थ के आधार पर दूसरों को अस्वीकार कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** एक संस्कृति जो कुछ मानवाधिकारों के हनन की निंदा करते हुए, राजनीतिक औचित्य या सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों के कारण अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ अन्य दुर्व्यवहार जेसे पूर्वाग्रह को सहन करती है।
- **नैतिक जवाबदेही का अभाव:** नैतिक सापेक्षता नैतिक जवाबदेही को कमज़ोर कर सकती है और अनैतिक कार्यों के लिये व्यक्तियों या समाजों को ज़िम्मेदार ठहराना मुश्किल बना सकती है।
  - **उदाहरण:** नेता या सरकारें सार्वभौमिक नैतिक मानकों के प्रति जवाबदेह हुए बिना, यह दावा करके अत्याचार या उत्पीड़न को उचित ठहराती हैं कि वे उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष:

नैतिक सापेक्षवाद हमें सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति सजग रहने के लिये बाध्य करता है। फिर भी मूल नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। इस जटिल क्षेत्र में मार्गनिर्देशन करने के लिये एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है।

प्रश्न. देखभाल नैतिकता (Ethics of Care) और न्याय नैतिकता (Ethics of Justice) के विरोधाभाषी दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिये। चर्चा कीजिये कि कोई सिविल सेवक उन परिस्थितियों से किस प्रकार निपट सकता है जब ये नैतिक सिद्धांत परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- **देखभाल नैतिकता एवं न्याय की नैतिकता को सिविल सेवकों के साथ जोड़ते हुए परिचय लिखिये।**
- **देखभाल नैतिकता और न्याय की नैतिकता के विपरीत दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिये।**
- **ऐसी परिस्थितियों से निपटने के तरीके सुझाइये, जहाँ ये नैतिक सिद्धांत परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

एक सिविल सेवक के लिये नैतिक परिदृश्य एक जटिल क्षेत्र है। दो प्रमुख लेकिन विपरीत रूपरेखाएँ नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती हैं: देखभाल की नैतिकता (EoC) और न्याय की नैतिकता (EoJ)।

- इन विपरीत दृष्टिकोणों को समझना और उनके संभावित संघर्षों को नेविगेट करना, प्रभावी तथा नैतिक शासन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

देखभाल नैतिकता बनाम न्याय नैतिकता:

आयाम	देखभाल नैतिकता	न्याय नैतिकता
दार्शनिक आधार	नारीवादी दर्शन (जैसे- कैरोल गिलिगन, नेल नोडिंग्स)	पारंपरिक नैतिक दर्शन (जैसे- जॉन रॉल्स, इमैनुअल कांट)
मुख्य बिंदु	संबंध, संदर्भ, सहानुभूति	सार्वभौमिक सिद्धांत, न्यायसंगति, निष्पक्षता
मुख्य मूल्य	करुणा, उत्तरदायित्व, शिष्टता	समानता, अधिकार, कर्त्तव्य
वैयक्तिक दृष्टिकोण	परस्पर संबंधित, सामाजिक संजाल का हिस्सा	अधिकारों का स्वायत्त अभिकरण
नैतिक तर्क	विवरण-आधारित, प्रासंगिक	सार, सिद्धांत-आधारित
संघर्ष समाधान	संबंधों को बनाए रखने, नुकसान को कम करने का प्रयास करता है	नियमों के आधार पर निष्पक्ष परिणामों का लक्ष्य रखता है
न्यायिक अवधारणा	प्रासंगिक, आवश्यकताओं और संबंधों के आधार पर	सार्वभौमिक, समानता और अधिकारों के आधार पर
प्राथमिक नैतिक प्रश्न	"कैसे प्रतिक्रिया दें?"	"क्या उचित है?"
स्वायत्तता का दृष्टिकोण	संबंधपरक स्वायत्तता	व्यक्तिगत आत्मनिर्णय
संभावित कमज़ोरियाँ	पक्षपात या पूर्वाग्रह को जन्म दे सकती हैं	व्यक्तिगत परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं
नीतिगत अनुप्रयोग	समुदाय-आधारित, उत्तरदायी	मानकीकृत, सार्वभौमिक रूप से लागू

ऐसी परिस्थितियों से निपटना, जहाँ ये नैतिक सिद्धांत परस्पर विरोधी प्रतीत होते हों:

- **संदर्भ-विशिष्ट विश्लेषण:**
  - **हितधारकों और आवश्यकताओं की पहचान करना:** शामिल व्यक्तियों या समूहों, उनकी आवश्यकताओं तथा संभावित नुकसानों सहित विशिष्ट संदर्भ का विश्लेषण करना।
    - इससे यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि कौन-सा नैतिक ढाँचा (देखभाल नैतिकता का संबंधों से या न्याय नैतिकता का अधिकारों से) सबसे अधिक प्रासंगिक है।
  - **उदाहरण:** एक सिविल सेवक निवासियों (EoC) के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियमों (EoJ) को लागू करने को प्राथमिकता दे सकता है।
- **बहु-स्तरीय तर्क:**
  - **सिद्धांतों में सामंजस्य:** यह पता लगाना कि क्या दोनों ढाँचे के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई तरीका है।
    - क्या एक निष्पक्ष नीति (EoJ) को देखभाल और सहानुभूति (EoC) के साथ लागू किया जा सकता है?
    - उदाहरण: निर्माण में सख्त सुरक्षा मानकों की आवश्यकता वाली नीति (EoJ) से नौकरी छूट सकती है (EoC के विपरीत)।
      - सिविल सेवक श्रमिकों को सुरक्षित नौकरियों में सहायता करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (EoC) की खोज कर सकता है।
- **पारदर्शिता और भागीदारी:**
  - **हितधारकों को शामिल करना:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को शामिल करना। इससे विश्वास (EoC) बढ़ता है, संदर्भ से संबंधित मूल्यवान जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती है और संभावित रूप से ऐसे समाधान निकलते हैं, जो निष्पक्षता (EoJ) एवं विशिष्ट आवश्यकता (EoC) दोनों पर विचार करते हैं।
  - **उदाहरण:** भूमि अधिग्रहण परियोजना में एक सिविल सेवक अधिग्रहण करने वाली कंपनी और प्रभावित समुदाय (EoC) दोनों के साथ परामर्श कर सकता है।
    - इससे समुदाय की विशिष्ट चिंताओं (EoC) को समझते हुए उचित मुआवज़े (EoJ) की अनुमति मिलती है।
- **प्रक्रियात्मक न्याय का उपयोग करना:**
  - **प्रक्रिया में निष्पक्षता:** जब कोई निर्णय किसी एक रूपरेखा को दूसरे पर तरजीह देता है, तो यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया स्वयं निष्पक्ष और पारदर्शी (EoJ) हो।

- यह निष्पक्ष निर्णय लेने और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखता है।
- **उदाहरण:** पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्री को परमिट देने से इनकार करना पारदर्शी अपील प्रक्रिया (EoJ) के साथ किया जा सकता है, जिससे कंपनी को निष्पक्षता बनाए रखते हुए चिंताओं को दूर करने की अनुमति मिलती है।

निष्कर्ष:

EoC और EoJ को समझकर तथा उनके संभावित संघर्षों को कुशलता से परे, सिविल सेवक अच्छी तरह से नैतिक निर्णय ले सकते हैं। यह शासन को बढ़ावा देता है, जो न केवल न्यायपूर्ण है बल्कि मानवीय भी है, जो अंततः एक अधिक न्यायसंगत तथा सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर ले जाता है।

प्रश्न. लोकतंत्र में अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बीच संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामाजिक कर्त्तव्यों के बीच किस प्रकार टकराव देखा जाता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- **अधिकारों और कर्त्तव्यों को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिये।**
- **अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच संभावित संघर्षों पर गहराई से विचार कीजिये।**
- **तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कर्त्तव्यों के बीच एक नाजुक संतुलन पर पनपता है। ये अवधारणाएँ परस्पर अनन्य नहीं हैं; जबकि आपस में जुड़ी हुई हैं।

- अधिकार व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, जो सामाजिक संरचना में अभिकरण और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- दूसरी ओर, कर्त्तव्य व्यक्तियों को सामूहिक हित के लिये बाँधते हैं, साथ ही सामाजिक व्यवस्था और प्रगति सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य भाग:

अधिकारों और कर्त्तव्यों के बीच संबंध:

- **नागरिक भागीदारी के सक्षमकर्त्ता के रूप में अधिकार:** लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकार नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, जिससे एक जीवंत नागरिक समाज का निर्माण होता है।
  - **उदाहरण:** सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व के स्तंभ के रूप में कर्त्तव्य:** सामाजिक कर्त्तव्य सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।
  - **उदाहरण:** चुनावों में मतदान करने का कर्त्तव्य, भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढाँचे को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **सहजीवी संबंध:** लोकतंत्र में अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक सहजीवी संबंध में मौजूद हैं।
  - **उदाहरण:** भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (भाग III) और मौलिक कर्त्तव्य (भाग IV-A) को शामिल किया गया है, जो लोकतांत्रिक ढाँचे में उनके परस्पर संबंधित स्वरूप को उजागर करता है।

अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बीच संभावित संघर्ष:

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था:** बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार असहमति की अनुमति देता है, यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कर्त्तव्य के साथ संघर्ष कर सकता है।
  - घृणास्पद भाषण या हिंसा को बढ़ावा देने से सामाजिक शांति भंग हो सकती है। हालाँकि संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- **संपत्ति अधिकार बनाम विकास:** संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार आवश्यक है, लेकिन विकास परियोजनाओं के लिये प्रायः भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से व्यक्तियों को विस्थापित होना पड़ता है।
  - व्यापक हित के लिये विकास को बढ़ावा देने का सरकार का कर्त्तव्य विस्थापित लोगों के अधिकारों के साथ टकराव कर सकता है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लैंगिक समानता:** भारत का धर्मनिरपेक्ष ढाँचा धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है।
  - हालाँकि धार्मिक संबंधों के बावजूद सती (विधवा को जलाने) जैसी हानिकारक मानी जाने वाली प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित किया गया है।
  - ऐसे मामलों में लैंगिक समानता को बनाए रखने का कर्त्तव्य पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता पर वरीयता लेता है।
- **गोपनीयता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा:** गोपनीयता का अधिकार व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करता है। हालाँकि राज्य का कर्त्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है, जिसके लिये संभावित रूप से जाँच के लिये डेटा संग्रह की आवश्यकता होती है।

- आधार कार्यक्रम गोपनीयता बनाम सुरक्षा लाभों के बारे में चिंताएँ व्यक्त करता है।

- **पर्यावरण अधिकार बनाम आजीविका:** स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि पर्यावरण संरक्षण के लिये बनाए गए नियम कभी-कभी उन लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर हैं।
  - **उदाहरण:** नदियों की रक्षा के लिये रेत खनन पर बनाए गए नियम रेत खनिकों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कर्त्तव्यों के बीच संबंध गतिशील है, जो सामाजिक मूल्यों तथा प्रगति के साथ-साथ निरंतर विकसित होता रहता है। आपसी सम्मान एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत का लोकतंत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक कर्त्तव्य की मज़बूत भावना के साथ-साथ पनपें, जिससे अंततः सभी के लिये न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का निर्माण हो।

प्रश्न : सद्गुण नैतिकता एवं परिणामवाद के बीच अंतर एवं तुलना पर प्रकाश डालिये। आपके अनुसार सिविल सेवक में मज़बूत नैतिक चरित्र निर्माण हेतु कौन सा दृष्टिकोण सबसे मूल्यवान है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **सद्गुण नैतिकता और परिणामवाद को परिभाषित करते हुए उत्तर लिखिये।**
- **सद्गुण नैतिकता की तुलना परिणामवाद से कीजिये।**
- **इस बात पर प्रकाश डालें कि सद्गुण नैतिकता और परिणामवाद सिविल सेवकों के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं।**
- **सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

सद्गुण नैतिकता और परिणामवाद दो प्रमुख नैतिक सिद्धांत हैं। सद्गुण नैतिकता व्यक्ति के चरित्र तथा गुणों पर ध्यान केंद्रित करती है, विशिष्ट कार्यों पर नैतिक चरित्र पर ज़ोर देती है।

दूसरी ओर, परिणामवाद कार्यों की नैतिकता का आकलन उनके परिणामों के आधार पर करता है, जबकि उपयोगितावाद समग्र खुशी या उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है।

मुख्य बिंदु:

परिणामवाद और सद्गुण नैतिकता के बीच अंतर:

पहलू	सद्गुण नैतिक	परिणामवाद
मुख्य फोकस	चरित्र और नैतिक गुण	कार्यों के परिणाम
प्रमुख प्रश्न	"एक सद्गुण व्यक्ति क्या करेगा?"	"कौन-सी कार्रवाई सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करेगी?"
नैतिक आधार	सद्गुण (जैसे- ईमानदारी, साहस, करुणा)	कार्यों के परिणाम
निर्णय लेना	अर्जित सद्गुणों और व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित	अपेक्षित परिणामों की गणना के आधार पर
अनुकूलनीयता	संदर्भ-संवेदनशील, परिस्थितियों के अनुकूल होती है	सार्वभौमिक सिद्धांत, लेकिन नई जानकारी के लिये अनुकूलनीय
जवाबदेहिता	व्यक्ति के चरित्र की पहचान को प्रदर्शित करता है	कार्यों के परिणामों को दर्शाता है
कमज़ोरियाँ	कुछ स्थितियों में स्पष्ट कार्रवाई और मार्गदर्शन का अभाव होता है	"अच्छे" उद्देश्यों के लिये अनैतिक साधनों को उचित ठहराया जाता है

सिविल सेवकों के लिये मूल्य:

सद्गुण नैतिकता और परिणामवाद दोनों ही सिविल सेवकों में मज़बूत नैतिक चरित्र के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं। दोनों तत्त्वों को शामिल करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण सबसे प्रभावी हो सकता है।

- **व्यापक निर्णय लेना:** सद्गुण नैतिकता समग्र चरित्र और इरादों का मार्गदर्शन कर सकती है, जबकि परिणामवाद विशिष्ट नीति विकल्पों को सूचित कर सकता है।

- **प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करना:** यह संयोजन व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी और सार्वजनिक कल्याण के मूल्यों में वृद्धि के बीच तनाव को कम करने में मदद करता है।
- **नैतिक लचीलापन:** सद्गुण नैतिकता एक स्थिर नैतिक आधार प्रदान करती है, जबकि परिणामवाद जटिल नीति चुनौतियों से निपटने के लिये उपकरण प्रदान करता है।
- **सार्वजनिक विश्वास और प्रभावशीलता:** मज़बूत चरित्र (सद्गुण नैतिकता) सकारात्मक परिणामों (परिणामवाद) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सार्वजनिक विश्वास और सरकारी प्रभावशीलता दोनों को बढ़ा सकता है।
- **नैतिक नेतृत्व:** दोहरा दृष्टिकोण सिविल सेवकों को नैतिक आदर्श और प्रभावी समस्या-समाधानकर्त्ता दोनों के लिये तैयार करता है।

निष्कर्ष:

जबकि दोनों दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हैं, सद्गुण नैतिकता को सिविल सेवकों के लिये थोड़ा अधिक महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि यह आधारभूत मूल्यों का निर्माण करता है, जिसके आधार पर सभी निर्णय लिये जाते हैं। एक मज़बूत नैतिक चरित्र वाला सिविल सेवक लगातार अच्छे निर्णय लेने और भ्रष्टाचार का विरोध करने की अधिक संभावना रखता है, यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ परिणाम अनिश्चित होते हैं।

प्रश्न : आंतरिक मूल्य की अवधारणा यह बताती है कि मनुष्यों के लिये प्रकृति का मूल्य उसकी उपयोगिता से स्वतंत्र है। पर्यावरण नीति निर्माण के संबंध में इस परिप्रेक्ष्य के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **आंतरिक मूल्य की अवधारणा को परिभाषित करते हुए उत्तर को लिखिये।**
- **नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके आंतरिक मूल्यों के नैतिक दृष्टिकोण को समझाइये।**
- **पर्यावरण नीति निर्माण पर प्रमुख नैतिक प्रभावों पर गहनता से विचार कीजिये।**
- **संतुलन के साथ निष्कर्ष लिखिये।**

परिचय:

आंतरिक मूल्य की अवधारणा मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देती है कि प्रकृति का मूल्य केवल मनुष्यों के लिये इसकी उपयोगिता पर आधारित है। यह माना जाता है कि प्रकृति में अंतर्निहित मूल्य है, जो इसकी उपयोगिता से स्वतंत्र है। इस दृष्टिकोण के पर्यावरण नीति निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण नैतिक निहितार्थ हैं, जो प्राकृतिक रूप से विश्व के साथ हमारे संबंधों में परिवर्तन चाहते हैं।

आंतरिक मूल्य:

- **कर्त्तव्यपरायण दृष्टिकोण:** प्रकृति में अधिकार और नैतिक स्थितियाँ निहित है।
  - **मानव का कर्त्तव्य है कि वह परिणामों की परवाह किये बिना प्रकृति का सम्मान करे और उसकी रक्षा करे।**
- **सद्गुण नैतिकता:** प्रकृति के आंतरिक मूल्य को पहचानने से विनम्रता, सम्मान और संरक्षकता जैसे पर्यावरणीय गुणों का विकास होता है।
- **परिणामवादी दृष्टिकोण:** प्रकृति के आंतरिक मूल्य को संरक्षित करने से पारिस्थितिकी तंत्र और मानवता दोनों के लिये बेहतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

पर्यावरण से संबंधित नीति निर्माण पर प्रमुख नैतिक निहितार्थ:

- **नैतिक विचारशीलता का विस्तार:** प्रकृति के हितों के विरुद्ध मानव के हितों को संतुलित करना एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है।
  - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिक समग्र और पारदर्शी होना चाहिये तथा इसमें प्रकृति को एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। इसका एक उदाहरण न्यूज़ीलैंड द्वारा वांगानुई नदी को कानूनी रूप से व्यक्ति की मान्यता प्रदान करना है, जिसमें "जीवित तथा सुशोभित रहने" के उसके अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई है।**
- **अंतर-पीढ़ीगत न्याय:** भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति को संरक्षित करना एक दायित्व है, जो एक नैतिक सिद्धांत भी है।
  - **दीर्घकालिक संरक्षण से संबंधित रणनीतियों में अल्पकालिक आर्थिक लाभ के तरीकों को अपनाना चाहिये, जैसे कि " वन्यजीव" के लिये हमेशा भूमि का संरक्षण, जो प्राकृतिक क्षेत्रों को स्थायी संरक्षण प्रदान करते हैं।**
- **प्रगति और विकास को पुनर्परिभाषित करना:** यह नैतिक प्रश्न उठता है कि क्या आर्थिक विकास को प्रकृति के आंतरिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **विकास लक्ष्यों में पारिस्थितिकी संरक्षण को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण है। भूटान का सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, जिसमें पारिस्थितिकी विविधता को एक प्रमुख पैमाने के रूप में शामिल किया गया है, इस दृष्टिकोण का उदाहरण है।**
- **मानव-केंद्रितता को चुनौती देना:** मानव को केंद्र में रखकर पर्यावरण को वैश्विक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना एक नैतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

- **प्रजातियों या पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा उनके अंतर्निहित मूल्य के आधार पर करनी चाहिये, जैसे कि विशाल पांडा जैसी प्रजातियों के लिये संरक्षण, जिनका पारिस्थितिक कार्य सीमित है, लेकिन इनका एक आंतरिक मूल्य भी है।**

- **प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन:** प्रकृति में विभिन्न अंतर्निहित मूल्यों, जैसे पशु कल्याण बनाम पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्राथमिकता तय करना एक नैतिक चुनौती है।
  - **विभिन्न पर्यावरणीय मूल्यों के बीच संघर्षों से निपटने के लिये रूपरेखा विकसित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये प्रजनन कार्यक्रमों की नैतिकता पर वाद विवाद देखा गया है।**
- **मानव-प्रकृति संबंध को नया स्वरूप देना:** प्रकृति पर प्रभुत्व से साझेदारी की ओर बढ़ना एक नैतिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **नीतियों द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। औद्योगिक कृषि के विकल्प के रूप में कृषि पारिस्थितिकी एवं पर्माकल्चर को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ इस दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।**
- **पर्यावरण न्याय का विस्तार:** सामाजिक न्याय के विस्तार के रूप में प्रकृति के लिये न्याय एक महत्त्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। प्रकृति के हितों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देने वाले कानूनी ढाँचे का विस्तार करना समय की मांग है।
  - **मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रकृति को अधिकार और कर्त्तव्यों सहित 'जीवित प्राणी' का दर्जा प्रदान करना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।**

निष्कर्ष:

प्रकृति के अंतर्निहित मूल्य को पहचानने के लिये प्राकृतिक रूप से विश्व के साथ हमारे संबंधों का मौलिक पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जिससे हम ऐसी नीतियाँ विकसित करने के लिये प्रेरित हों जो सतत् विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी प्रणालियों एवं प्रजातियों के अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करें।

■■■

निबंध

1. हम एक साथ पर्यवेक्षक और प्रेक्षित की भूमिका में होते हैं, जिससे आत्म-धारणा के पुनरावलोकन से हमारी वास्तविकताओं का चित्रण होता है। चेतना एक ऐसा कैनवास एवं उसमें रूपांकन हेतु प्रयुक्त ब्रश है, जिसमें प्रत्येक विचार से संबंधित वास्तविकताओं का चित्रण होता है।
2. प्रत्येक समस्या एक उपहार है - समस्याओं के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।कोई भी महान मस्तिष्क उन्मत्तता के बिना अस्तित्व में नहीं आया है।
3. परिवर्तन की हवा बुद्धि में विचरण करती रहती है और हमें याद दिलाती है कि विकास, अनुकूलनशीलता की उपजाऊ मृदा से ही निकलता है।
4. तारे उस अंधकार से जन्म लेते हैं, जिससे वे उत्सर्जित होते हैं।
5. सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है: आगे बढ़ते रहने का साहस ही प्रासंगिक है।
6. रचनात्मकता एवं बुद्धिमत्ता का समन्वय ही सृजन का सार है।

■■■

दृष्टि The Vision